857

[2023] 8 एस. सी. आर 857

क.

सुभाष देसाई

वी.

प्रधान सचिव, महाराष्ट्र और ओ. आर. एस. के राज्यपाल।

(लिखित याचिका (सी) 2022 की संख्या 493) 11 मई, 2023

[डॉ**.** धनंजय वाई**.** चंद्रचूड़**,** सीजेआई**,** एम**.** आर**.** शाह**,** कृष्णा मुरारी**,** हिमा कोहली और

पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा**,** जे**.** जे**.]**

ग

भारत का संविधानःArt.191 (2)-महाराष्ट्र विधान सभा नियम -आर. 95-गठबंधन सरकार-राजनीतिक दल में विभाजन-सदन का विश्वास खोना-फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाने के लिए राज्यपाल की शक्ति-2019 में राज्य चुनावों के बाद, महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी (एम. वी. ए.) (शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एन. सी. पी.), भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आई. एन. सी.) और कुछ निर्दलीय विधायकों का चुनाव के बाद गठबंधन) की गठबंधन सरकार का गठन किया गया, जिसमें शिवसेना के श्री ठाकरे मुख्यमंत्री थे-हालाँकि, 2022 के मध्य में कुछ घटनाएं हुईं, जिसके कारण शिवसेना दो गुटों में विभाजित हो गई, एक के नेतृत्व में श्री ठाकरे और दूसरे के नेतृत्व में श्री शिंदे-34 शिवसेना विधायक (शिंदे समूह) ने उपाध्यक्ष को नोटिस जारी करते हुए कहा कि उन्हें अब उनका समर्थन और आह्वान प्राप्त नहीं है।शक्ति परीक्षण का आह्वान करने का विवेकाधिकार एक निरंकुश विवेकाधिकार नहीं है, बल्कि इसका उपयोग कानून द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुसार सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए-राज्यपाल के पास ऐसी कोई वस्तुनिष्ठ सामग्री नहीं थी जिसके आधार पर वह ए के विश्वास पर संदेह कर सकें।

डी.

ई.

च

जी.

एच.

857

858 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 8 एस. सी. आर.

वर्तमान सरकार-जिस प्रस्ताव पर राज्यपाल ने भरोसा किया था, उसमें इस बात का कोई संकेत नहीं था कि विधायक एमवीए सरकार से बाहर निकलना चाहते हैं-कुछ विधायकों की ओर से असंतोष व्यक्त करने वाला संचार राज्यपाल के लिए शक्ति परीक्षण का आह्वान करने के लिए पर्याप्त नहीं है-राज्यपाल को यह आकलन करने के लिए अपने सामने संचार या अन्य सामग्री पर अपना दिमाग लगाना चाहिए कि क्या सरकार ने सदन का विश्वास खो दिया है-शिवसेना के 34 विधायकों ने प्रस्ताव में एमवीए सरकार से समर्थन वापस लेने की इच्छा व्यक्त नहीं की-शक्ति परीक्षण का उपयोग पार्टी के आंतरिक विवादों या पार्टी के भीतर के विवादों को हल करने के लिए एक माध्यम के रूप में नहीं किया जा सकता है-वर्तमान मामले में, राज्यपाल के पास यह संकेत देने के लिए कोई वस्तुनिष्ठ सामग्री नहीं थी कि वर्तमान सरकार ने सदन का विश्वास खो दिया है और उन्हें सदन की मांग करनी चाहिए।

ग

डी.

ई.

भारत का संविधान-Art.153-राज्यपाल की स्थिति-एक राजनीतिक दल के आंतरिक विवादों में-राजनीतिक दल में विभाजन-आयोजितःराज्यपाल राज्य सरकार का नाममात्र का प्रमुख होता है-वह एक संवैधानिक पदाधिकारी होता है जो संविधान से अपना अधिकार प्राप्त करता है और वह ऐसी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है जो उसे संविधान या उसके तहत बनाए गए कानून द्वारा प्रदान नहीं की गई है-न तो संविधान और न ही संसद द्वारा अधिनियमित कानून एक ऐसी प्रणाली प्रदान करते हैं जिसके द्वारा किसी विशेष राजनीतिक दल के सदस्यों के बीच विवादों का निपटारा किया जा सके-वे निश्चित रूप से राज्यपाल को राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने और अंतर-पार्टी विवादों या पार्टी के भीतर के विवादों में (हालांकि सूक्ष्म) भूमिका निभाने का अधिकार नहीं देते हैं।भारत का संविधानःदसवीं अनुसूची और कला।32 & 226 – न्यायालय की शक्ति और क्षेत्राधिकार-विधायी सदस्यों की अयोग्यताओं पर निर्णय लेने के लिए-आयोजितःसदन का सदस्य होने के लिए किसी व्यक्ति की अयोग्यता के संबंधित सदस्य के लिए गंभीर परिणाम होते हैं और विस्तार से, उस निर्वाचन क्षेत्र के नागरिकों के लिए-सर्वोच्च न्यायालय को आम तौर पर ए

च

जी.

एच.

859

सुभाष देसाई बनाम राज्यपाल सचिव, महाराष्ट्र के राज्यपाल ए.

संवैधानिक इरादे को ध्यान में रखते हुए पहली बार में अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने से-अयोग्यता के सवाल पर संबंधित संवैधानिक प्राधिकरण, अर्थात् विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके निर्णय लिया जाना चाहिए-अध्यक्ष को एक उचित अवधि के भीतर अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेना चाहिए।

भारत का संविधानःArt.181-बड़ी पीठ का संदर्भ-क्या अध्यक्ष को हटाने का नोटिस उन्हें दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता की कार्यवाही जारी रखने से रोकता है जैसा कि इस न्यायालय ने नबाम रेबिया में कहा था-आयोजित किया गयाःयद्यपि नबाम रेबिया में निर्णय तथ्यात्मक परिदृश्य पर लागू नहीं होता है, फिर भी नबाम रेबिया किहोतो होलोहन में निर्णय के साथ टकराव में है-ऐसा प्रतीत होता है कि नबाम रेबिया में बहुमत ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 181 के प्रभाव और महत्व पर विचार नहीं किया-इसलिए, नबाम रेबिया में निर्णय एक बड़ी पीठ के संदर्भ के योग्य है क्योंकि कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न का निपटारा किया जाना बाकी है।

ग

डी.

भारत का संविधानःदसवीं अनुसूची-महाराष्ट्र विधायी सदस्य (अयोग्यता उन्मूलन) अधिनियम, 1956 -धारा 23-महाराष्ट्र विधानसभा (दलबदल के आधार पर अयोग्यता) नियम 1986-नियम 3 (1) (ए) और 6-सचेतक की नियुक्ति-राजनीतिक दल और विधायक दल के बीच अंतर-आयोजितःराजनीतिक दल, न कि विधायक दल, सचेतक और नेता की नियुक्ति करता है-यदि 'राजनीतिक दल' शब्द को 'विधायक दल' के रूप में पढ़ा जाता है तो दसवीं अनुसूची अव्यवहारिक हो जाएगी-पैराग्राफ 4 के तहत विलय के उद्देश्य से राजनीतिक दल और विधायक दल के बीच एक स्पष्ट सीमांकन किया जाता है-'राजनीतिक दल' शब्द को 'विधायक दल' के रूप में पढ़ना दसवीं अनुसूची की सरल भाषा के विपरीत होगा-एक विशेष तरीके से मतदान करने या

मतदान से दूर रहने का निर्देश राजनीतिक दल द्वारा जारी किया जाता है न कि विधायक दल द्वारा-अध्यक्ष को सचेतक और नेता को मान्यता देनी चाहिए जो इस संबंध में जांच करने के बाद राजनीतिक दल द्वारा विधिवत अधिकृत हैं।

ई.

च

भारत का संविधान-कला।189(2) और 190 (3)-अध्यक्ष का निर्णय-सदस्य की अयोग्यता-विधानमंडल की कार्यवाही की वैधता-आयोजितःएक विधायक को अपनी अयोग्यता के लिए किसी भी याचिका के लंबित होने की परवाह किए बिना सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है-अंतराल में सदन की कार्यवाही की वैधता अयोग्यता के परिणाम के अधीन नहीं है।

जी.

एच.

याचिकाएं-अध्यक्ष का निर्णय उस तारीख से संबंधित नहीं है जब विधायक निषेधात्मक आचरण में लिप्त था-अध्यक्ष का निर्णय और अयोग्यता के परिणाम संभावित हैं-यदि किसी सदस्य को दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता का सामना करना पड़ता है, तो इसका परिणाम स्वचालित रूप से उस राजनीतिक दल से निष्कासन नहीं होता है जिससे वे संबंधित हैं।

भारत का संविधान-दसवीं अनुसूची-चुनाव प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968-पैरा 15-आयोजितःअध्यक्ष और निर्वाचन आयोग को क्रमशः दसवीं अनुसूची और प्रतीक आदेश के पैराग्राफ 15 के तहत उनके समक्ष दायर याचिकाओं पर समवर्ती निर्णय लेने का अधिकार है।

ग

चुनाव प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968-पैरा 15-आयोजितःप्रतीक आदेश के पैराग्राफ 15 के तहत याचिकाओं पर निर्णय लेते समय, ईसीआई एक परीक्षण लागू कर सकता है जो उसके सामने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के लिए सबसे उपयुक्त हो।

भारत का संविधान-दसवीं अनुसूची-पैरा 2 (1) और पैरा 3-दसवीं अनुसूची के पैरा 3 को हटाना-जिसका प्रभावःक्या 'विभाजन' का बचाव अब अयोग्यता की कार्यवाही का सामना कर रहे सदस्यों के लिए उपलब्ध नहीं है-अध्यक्ष प्रथम दृष्टया यह निर्धारित करेंगे कि दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 2 (1) के तहत अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने के उद्देश्य से राजनीतिक दल कौन है, जहां दो या दो से अधिक गुट उस राजनीतिक दल होने का दावा करते हैं-जब राजनीतिक दल के दो या दो से अधिक गुटों द्वारा दो सचेतक नियुक्त किए जाते हैं, तो अध्यक्ष तय करता है कि दोनों में से कौन सा सचेतक राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करता है।

डी.

ई.

भारत का संविधान-दसवीं अनुसूची-पैरा 2 और 3-चुनाव प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968-पैरा 15-भारत के चुनाव आयोग द्वारा इसका निर्धारण-किस समूह में राजनीतिक दल का गठन होता है-प्रतीक का आवंटन-आयोजितःपार्टी की विधायी और संगठनात्मक शाखाओं में बहुमत की परीक्षा एकमात्र या प्राथमिक परीक्षा नहीं है-चुनाव आयोग अपने समक्ष विशिष्ट मामले के तथ्यों और जटिलताओं के अनुकूल एक परीक्षण तैयार करने के लिए स्वतंत्र है-कुछ मामलों में, यह आकलन करना व्यर्थ है कि किस समूह को विधायिका में बहुमत प्राप्त है-अन्य परीक्षणों में राजनीतिक दल के संगठनात्मक शाखाओं में बहुमत का मूल्यांकन, पार्टी के संविधान के प्रावधानों का विश्लेषण, या कोई अन्य उपयुक्त परीक्षण शामिल है-चुनाव आयोग प्रतिद्वंद्वी गुटों द्वारा पसंद किए गए दृष्टिकोणों पर एक व्यक्तिपरक निर्णय पारित करने से बचने के लिए कि क्या प्रतिद्वंद्वी ए

च

जी.

एच.

861

सुभाष देसाई बनाम राज्यपाल सचिव, महाराष्ट्र के राज्यपाल ए.

समूह अपने संविधान में शामिल पार्टी के उद्देश्यों और उद्देश्यों का पालन कर रहे हैं-निर्वाचन आयोग का निर्णय अध्यक्ष के निर्णय के अनुरूप होने की आवश्यकता नहीं है-निर्वाचन आयोग के निर्णय का संभावित प्रभाव है-निर्वाचन आयोग के निर्णय की प्रत्याशा में अध्यक्ष के समक्ष अयोग्यता की कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई जा सकती है।

भारत का संविधान-Art.164 (1B)-मुख्यमंत्री की नियुक्ति-अयोग्यता याचिकाएं लंबित-आयोजितःअयोग्यता केवल तभी शुरू होती है जब दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता-केवल अयोग्यता याचिका की स्थापना कुछ या सभी परिणामों को ट्रिगर नहीं करती है जो अयोग्यता से ही उत्पन्न होते हैं।

ग

रिट याचिकाओं का निपटारा करते हुए, न्यायालय

पकड़नाः**1.1** नबाम रेबिया में निर्णय एक बड़ी पीठ के संदर्भ के योग्य है क्योंकि कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न का निपटारा किया जाना बाकी है।इस मुद्दे को शांत करने के लिए, निम्नलिखित प्रश्न (और कोई भी संबद्ध मुद्दे जो उत्पन्न हो सकते हैं) को एक बड़ी पीठ को भेजा जाता हैःक्या अध्यक्ष को हटाने के लिए प्रस्ताव पेश करने के इरादे की सूचना जारी करना उन्हें संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने से रोकता है।**[**पैरा **70** और **71] [907-**एफ; **908-**एफ-जी**]**

डी.

ई.

1.2 इस न्यायालय को आम तौर पर संवैधानिक इरादे को ध्यान में रखते हुए पहली बार में अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने से बचना चाहिए।अयोग्यता के प्रश्न का निर्णय संबंधित संवैधानिक प्राधिकारी, अर्थात् विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके किया जाना चाहिए।सदन का सदस्य होने के लिए किसी व्यक्ति को अयोग्य ठहराने से संबंधित सदस्य के लिए और विस्तार से, उस निर्वाचन क्षेत्र के नागरिकों के लिए भारी परिणाम होते हैं।इसलिए, अयोग्यता के किसी भी प्रश्न का निर्णय कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करके किया जाना चाहिए।असाधारण परिस्थितियों के अभाव में, अध्यक्ष दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के लिए याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी हैं।अध्यक्ष से उम्मीद की जाती है कि वह दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेते समय निष्पक्ष, स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कार्य करेगा।अंततः अयोग्यता के प्रश्न पर अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है।इसलिए, महाराष्ट्र विधान सभा के अध्यक्ष

च

जी.

एच.

862 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 8 एस. सी. आर.

दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए उपयुक्त संवैधानिक प्राधिकरण है।**[**पैरा **80** और **85] [912-**जी, एच; **916-**ए-बी**]**

1.3 दसवीं अनुसूची**, 1986** के नियम और **1956** के अधिनियम के प्रावधानों के स्पष्ट अर्थ से संकेत मिलता है कि सचेतक और नेता की नियुक्ति राजनीतिक दल द्वारा की जानी चाहिए।यह मानना कि यह विधायक दल है जो सचेतक की नियुक्ति करता है**,** प्रतीकात्मक नाभि को तोड़ना होगा जो सदन के सदस्य को राजनीतिक दल से जोड़ता है।इसका मतलब यह होगा कि विधायक चुनाव के लिए उन्हें स्थापित करने के उद्देश्य से राजनीतिक दल पर भरोसा कर सकते हैं**,** कि उनका अभियान राजनीतिक दल की ताकत **(**और कमजोरियों**)** और उसके वादों और नीतियों पर आधारित होगा**,** कि वे पार्टी के साथ अपनी संबद्धता के आधार पर मतदाताओं से अपील कर सकते हैं**,** लेकिन वे बाद में खुद को उसी पार्टी से पूरी तरह से अलग कर सकते हैं और विधायकों के एक समूह के रूप में कार्य करने में सक्षम हो सकते हैं जो अब राजनीतिक दल के प्रति निष्ठा का संकेत भी नहीं देते हैं।यह शासन की वह प्रणाली नहीं है जिसकी परिकल्पना संविधान ने की है।वास्तव में**,** दसवीं अनुसूची सटीक रूप से इस परिणाम से बचाती है।राजनीतिक दल द्वारा एक सचेतक की नियुक्ति दसवीं अनुसूची के निर्वाह के लिए महत्वपूर्ण है।यदि इस आवश्यकता का पालन नहीं किया जाता है तो दसवीं अनुसूची की पूरी संरचना जो राजनीतिक दलों पर बनी है**,** ध्वस्त हो जाएगी।यह दसवीं अनुसूची के प्रावधानों को अनुचित बना देगा और इस देश के लोकतांत्रिक ताने**-**बाने के लिए व्यापक प्रभाव डालेगा।इस प्रकार**,** न्यायालयों को अनुच्छेद **212** द्वारा सचेतक को मान्यता देने वाली अध्यक्ष की कार्रवाई की वैधता की जांच करने से बाहर नहीं किया जा सकता है।**[**पैरा **111,113** और **114] [932-**एच**; 933-**डी**-**जी**; 934-**ए**]**

ग

डी.

ई.

च

1.4 प्रतीक आदेश के तहत ईसीआई के निर्णय का संभावित प्रभाव पड़ता है।एक घोषणा कि प्रतिद्वंद्वी समूहों में से एक यह है कि राजनीतिक दल निर्णय की तारीख से संभावित रूप से प्रभावी होता है।जिस गुट को प्रतीक दिया गया है**,** उसके सदस्यों को अध्यक्ष द्वारा सदन से अयोग्य घोषित किए जाने की स्थिति में**,** समूह के जो सदस्य सदन में बने रहेंगे**,** उन्हें अपने समूह को नए प्रतीक के आवंटन के लिए प्रतीक आदेश और किसी अन्य प्रासंगिक कानून **(**ओं**)** में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा।निर्वाचन आयोग के निर्णय की प्रत्याशा में अध्यक्ष के समक्ष अयोग्यता की कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। ऐसे मामलों में जहां प्रतीक आदेश के पैराग्राफ **15** के तहत एक याचिका ए के **(**कथित**)** कमीशन के बाद दायर की जाती है।

जी.

एच.

863

सुभाष देसाई बनाम राज्यपाल सचिव, महाराष्ट्र के राज्यपाल ए.

निषेधात्मक आचरण**,** अयोग्यता कार्यवाही के निर्णय के लिए अध्यक्ष द्वारा निर्वाचन आयोग के निर्णय पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।यदि अयोग्यता याचिकाओं पर ऐसे मामलों में निर्वाचन आयोग के निर्णय के आधार पर निर्णय लिया जाता है**,** तो निर्वाचन आयोग के निर्णय का पूर्वव्यापी प्रभाव होगा।यह कानून के खिलाफ होगा।**[**पैरा **155** और **156] [948-**बी**-**ई**]**

1.5 राज्यपाल के पास ऐसी कोई वस्तुनिष्ठ सामग्री नहीं थी जिसके आधार पर वह मौजूदा सरकार के विश्वास पर संदेह कर सकें।जिस प्रस्ताव पर राज्यपाल ने भरोसा किया**,** उसमें इस बात का कोई संकेत नहीं था कि विधायक एमवीए सरकार से बाहर निकलना चाहते हैं।कुछ विधायकों की ओर से असंतोष व्यक्त करने वाला संचार राज्यपाल के लिए शक्ति परीक्षण का आह्वान करने के लिए पर्याप्त नहीं है।राज्यपाल को यह आकलन करने के लिए अपने समक्ष संचार **(**या किसी अन्य सामग्री**)** पर अपना दिमाग लगाना चाहिए कि क्या सरकार ने सदन का विश्वास खो दिया है।'राय' शब्द का उपयोग वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर संतुष्टि के लिए किया जाता है कि क्या उनके पास प्रासंगिक सामग्री है**,** और राज्यपाल की व्यक्तिपरक संतुष्टि का

अर्थ नहीं है।एक बार जब कोई सरकार कानून के अनुसार लोकतांत्रिक रूप से चुनी जाती है, तो यह धारणा होती है कि उसे सदन का विश्वास प्राप्त है।इस धारणा को दूर करने के लिए कुछ वस्तुनिष्ठ सामग्री मौजूद होनी चाहिए।राज्यपाल राज्य सरकार का नाममात्र प्रमुख होता है।वह एक संवैधानिक पदाधिकारी हैं जो संविधान से अपना अधिकार प्राप्त करते हैं।इस मामले में, राज्यपाल को अपने में निहित शक्ति की संवैधानिक सीमाओं से अवगत होना चाहिए।वह ऐसी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता जो उसे संविधान या उसके तहत बनाए गए कानून द्वारा प्रदान नहीं की गई हो।न तो संविधान और न ही संसद द्वारा अधिनियमित कानूनों में ऐसा तंत्र प्रदान किया गया है जिसके द्वारा किसी विशेष राजनीतिक दल के सदस्यों के बीच विवादों का निपटारा किया जा सके।वे निश्चित रूप से राज्यपाल को राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने और अंतर-पार्टी विवादों या अंतर-पार्टी विवादों में भूमिका निभाने (हालांकि सूक्ष्म) का अधिकार नहीं देते हैं।इससे पता चलता है कि राज्यपाल इस निष्कर्ष पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं कि शिवसेना का एक वर्ग सदन में सरकार से अपना समर्थन वापस लेना चाहता है।[पैरा **186** और **189] [959-**सी-ई**; 960-**ए-सी**]**

ग

डी.

ई.

च

जी.

2. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, यह इस प्रकार समाप्त होता है:(क) नबाम रेबिया में निर्णय की शुद्धता का उल्लेख किया गया है।

एच.

सात न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ को; (ख) यह न्यायालय पहली बार में दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के लिए याचिकाओं पर सामान्य रूप से निर्णय नहीं ले सकता है।तत्काल मामले में ऐसी कोई असाधारण परिस्थितियाँ नहीं हैं जो अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए इस न्यायालय द्वारा अधिकार क्षेत्र के प्रयोग की गारंटी देती हैं।अध्यक्ष को एक उचित अवधि के भीतर अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेना चाहिए; (ग) एक विधायक को सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, भले ही उनकी अयोग्यता के लिए कोई भी याचिका लंबित हो।मध्यावधि में सदन की कार्यवाही की वैधता अयोग्यता याचिकाओं के परिणाम के अधीन नहीं है; (घ) राजनीतिक दल, न कि विधायक दल, सदन में सचेतक और पार्टी के नेता की नियुक्ति करता है।इसके अलावा, एक विशेष तरीके से मतदान करने या मतदान से दूर रहने का निर्देश राजनीतिक दल द्वारा जारी किया जाता है न कि विधायक दल द्वारा।**3** जुलाई **2022** को महाराष्ट्र विधानसभा के उप सचिव द्वारा सूचित अध्यक्ष का निर्णय कानून के विपरीत है।अध्यक्ष इस संबंध में जांच करने के बाद और इस निर्णय में चर्चा किए गए सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए पार्टी संविधान के प्रावधानों के संदर्भ में शिवसेना राजनीतिक दल द्वारा विधिवत अधिकृत सचेतक और नेता को मान्यता देगा; (ङ) अध्यक्ष और निर्वाचन आयोग को क्रमशः दसवीं अनुसूची और प्रतीक आदेश के पैराग्राफ **15** के तहत उनके समक्ष याचिकाओं पर समवर्ती निर्णय लेने का अधिकार है; (च) प्रतीक आदेश के पैराग्राफ **15** के तहत याचिकाओं पर निर्णय लेते समय, निर्वाचन आयोग एक परीक्षण लागू कर सकता है जो उसके सामने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के लिए सबसे उपयुक्त है; (छ) दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ **3** को हटाने का प्रभाव यह है कि 'विभाजन' का बचाव कोई नहीं है। अध्यक्ष प्रथम दृष्टया यह निर्धारित करेंगे कि दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ **2 (1)** के तहत अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने के उद्देश्य से राजनीतिक दल कौन है, जहां दो या दो से अधिक गुट उस राजनीतिक दल होने का दावा करते हैं; (ज) राज्यपाल को श्री ठाकरे को सदन में अपना बहुमत साबित करने के लिए बुलाना उचित नहीं था क्योंकि उनके सामने वस्तुनिष्ठ सामग्री के आधार पर उनके पास इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कारण नहीं थे कि श्री ठाकरे ने सदन का विश्वास खो दिया था।हालांकि, पूर्व की स्थिति को बहाल नहीं किया जा सकता है क्योंकि श्री ठाकरे को शक्ति परीक्षण का सामना नहीं करना पड़ा और ए

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

865

सुभाष देसाई बनाम राज्यपाल सचिव, महाराष्ट्र के राज्यपाल ए.

उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और **(i)** राज्यपाल ने श्री शिंदे को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना उचित समझा।**[**पैरा **206] [966-**एफ**-**एच**; 967-**ए**-**एच**; 968-**ए**-**बी**]**

नबाम रेबिया और बामंग फेलिक्स बनाम उपाध्यक्ष, अरुणाचल प्रदेश विधान सभा (2016) 8 एस. सी. सी.

1 :[2016] 6 एस**.** सी**.** आर**. 1-**बड़े बेंच के लिए संदर्भित।

राजेंद्र सिंह राणा बनाम स्वामी प्रसाद मौर्य **(2007)**

4 एससीसी 270:[2007] 2 एस. सी. आर. 591 और अध्यक्ष, हरियाणा

विधानसभा बनाम कुलदिप बिश्नोई**, (2015) 12** एस**.** सी**.** सी**. 381**

:[2012] 10 एस**.** सी**.** आर**. 672-**लागू नहीं होता है।

ग

किहोतो होल्लोहन बनाम ज़चिल्लु **(1992)** सप **(2)** एस**.** सी**.** सी**. 651:[1992] 1** एससीआर **686** और श्रीमंत बालासाहेब पाटिल बनाम अध्यक्ष**,** कर्नाटक विधान सभा **(2020) 2** एससीसी

595 :[2019] 16 एस**.** सी**.** आर**. 886-**निर्भर।

डी.

रामदास अठावले बनाम भारत संघ**, (2010) 4** एससीसी **1:**

[2010] 3 एससीआर **1059-**समझाया गया।

1964 का विशेष संदर्भ संख्या **1 (**राज्य विधानमंडलों की शक्तियां**,** विशेषाधिकार और उन्मुक्ति**)** ए**.** आई**.** आर**. 1965** एस**.** सी**. 745:[1965] 1** एससीआर **413;** एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ **(1994)**

3 एससीसी 1:[1994] 2 एस. सी. आर. 644; मायवती बनाम मार्कण्डेय चंद (1998) 7 एस. सी. सी. 517:[1998] 2 पूरक।एससीआर 204;

ई.

सादिक अली बनाम भारत का चुनाव आयोग **(1972) 4** एस**.** सी**.** सी**. 664:[1972] 2** एस**.** सी**.** आर**. 318;** राजा राम पाल बनाम माननीय

अध्यक्ष, लोकसभा (2006) 2 एससीसी 1:[2006]

1 एस**.** सी**.** आर**. 562;** रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ

च

(2007) 3 एससीसी 184:[2007] 1 एससीआर 317; इंदौर

विकास प्राधिकरण बनाम मनोहर लाल **(2020) 8** एससीसी **129:[2020] 3** एस**.** सी**.** आर**. 1** प्रताप गौड़ा पाटिल बनाम कर्नाटक राज्य **(2019) 7** एस**.** सी**.** सी**. 463;** शिवराज सिंह चौहान

बनाम भारत संघ (2020) 17 एस. सी. सी. 1:[2020] 9 एससीआर 787;

क्षेत्रमयुम बीरेन सिंह बनाम माननीय अध्यक्ष, मणिपुर विधानसभा (2022) 2 एस. सी. सी. 759; कीशम मेघचंद्र सिंह बनाम माननीय अध्यक्ष मणिपुर

जी.

विधानसभा (2020) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 55;

न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (आधार 5 जे)

(2019) 1 एससीसी 1:[2018] 8 एस. सी. आर. 1; रोजर मैथ्यू बनाम साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड (2020) 6 एस. सी. सी. 1:[2019]

एच.

16 एससीआर **1;** यूपी राज्य बनाम देश राज**, (2007) 1** एससीसी **257**

:[2006] 9 पूरक।एस. सी. आर. 352; कुलदिप नायर बनाम भारत संघ (2006) 7 एस. सी. सी. 1:[2006] 5 पूरक। एससीआर 1; दिल्ली

प्रशासन बनाम गुरदीप सिंह उबन, (2000) 7 एस. सी. सी. 296:[2000] 2 पूरक।एससीआर 496 और टैक्सी ओनर्स यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट बनाम राज्य परिवहन प्राधिकरण (उड़ीसा), (1983) 4 एससीसी 34 -

संदर्भित किया गया।

निर्णीत विधि संदर्भ

[2016] 6 एससीआर **1**

बड़ी पीठ पैरा **32 (**ए**)** को संदर्भित किया गया

[1992] 1 एससीआर **686**

पर भरोसा किया

पैरा **35 (**ए**) [2007] 2** एस**.** सी**.** आर**. 591** लागू नहीं होता पैरा **35 (**ई**) [1998] 2** पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 204** संदर्भित

ग

पैरा **40 (**बी**) (i) [2006] 1** एस**.** सी**.** आर**. 562** पैरा **40 (**बी**) (vi) [2007] 1** एस**.** सी**.** आर**. 317** पैरा **40 (**एफ**) (iii) [2020] 3** एस**.** सी**.** आर**. 1** संदर्भित

पैरा **41 (**ए**) (**आई**)**

डी.

[1994] 2 एससीआर **644**

संदर्भित किया गया है

पैरा **41 (**ई**)**

[1972] 2 एससीआर **318**

संदर्भित किया गया है

पैरा **42 (**डी**)**

(2019) 7 एस**.** सी**.** सी**. 463**

संदर्भित किया गया है

पैरा **43 (**सी**) [2012] 10** एससीआर **672** लागू नहीं होता पैरा **43 (**सी**)** पैरा **44 (**बी**)**

ई.

[2020] 9 एससीआर **787**

संदर्भित किया गया है

(2022) 2 एस**.** सी**.** सी**. 759**

संदर्भित किया गया है

पैरा **45 (**बी**)**

[2019] 16 एससीआर **886**

पर भरोसा किया

पैरा **83**

[1965] 1 एससीआर **413**

संदर्भित किया गया है

पैरा **96**

च

[2018] 8 एससीआर **1**

संदर्भित किया गया है

पैरा **96**

पैरा **96**

[2019] 16 एससीआर **1**

संदर्भित किया गया है

[2006] 9 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 352** संदर्भित

पैरा **97**

[2010] 3 एससीआर **1059**

समझाया।

पैरा **101**

जी.

[2006] 5 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 1** संदर्भित

पैरा **112**

(1983) 4 एस**.** सी**.** सी**. 34**

संदर्भित किया गया है

पैरा **166**

सिविल मूल अधिकारिता 2022 की लिखित याचिका (सी) No.493।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

एच.

867

सुभाष देसाई बनाम राज्यपाल सचिव, महाराष्ट्र के राज्यपाल ए.

क.

सह

2022 की लिखित याचिका (सी) Nos.469,468,470,479 और 538।तुषार मेहता, एस. जी., कपिल सिब्बल, डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, देवदत्त कामत, नीरज किशन कौल, मनिंदर सिंह, सिद्धार्थ भटनागर, हरीश साल्वे, महेश जेठमलानी, सुश्री मालविका त्रिवेदी, वरिष्ठ अधिवक्ता।, अमित आनंद तिवारी, रोहित शर्मा, राजेश इनामदार, जावेदुर रहमान, निजाम पाशा, अनीश आर. शाह, हर्ष पांडे, रेवंता सोलंकी, अमित भंडारी, सनी जैन, निशांत पाटिल, सुश्री देवयानी गुप्ता, सुश्री तन्वी आनंद, सुश्री अप्रजिता जामवाल, धर्मेंद्र मिश्रा, सिद्धार्थ कौशिक, निखिल पुरोहित, अशोक कुमार, सिद्धार्थ सीम, एल. निधिराम शर्मा, अमन शर्मा, आशिमा चौहान सिंह, मुदस्सिर, अभिकल्प प्रताप सिंह, अभय अंतुरकर, प्रभास बजाज, ध्रुव शर्मा, सुश्री इरा महाजन, राघव अग्रवाल, तोशिव गोयल, सुश्री मनमीत कौर सरीन, नवनीत आर, सुश्री श्रेया सक्सेना,उपस्थित दलों के लिए।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई टेबल ऑफ कंटेंट *

उ. तथ्यात्मक पृष्ठभूमि। **4.**

आई. महाराष्ट्र राज्य की सरकार में परिवर्तन। **4 ii.**अध्यक्ष का चुनाव। **1 2 iii.**भारत के चुनाव आयोग के समक्ष कार्यवाही। **1 5**

ग

बी. वर्तमान कार्यवाही में मांगी गई राहतों का अवलोकन**. 1 6** सी. संदर्भ**. 2 0** डी. प्रस्तुतियाँ**. 2 2**

डी.

i. नबाम रेबिया के मामले को एक बड़ी पीठ को भेजा जाना चाहिए या नहीं**,** इस पर प्रस्तुतियाँ।मामले के गुण-दोष पर प्रस्तुतियाँ**. 2 8** ई. विश्लेषण**. 4 8 i.**नबाम रेबिया के मामले को एक बड़ी पीठ को संदर्भित करना। **4 8 ii.**इस न्यायालय की पहली बार में अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने की शक्ति।निषेधात्मक आचरण और अयोग्यता याचिकाओं में निर्णय के बीच सदन की कार्यवाही की वैधता। **6 9 iv.**विधायक दल के सचेतक और नेता को नियुक्त करने की शक्ति। **75**

ई.

च

जी.

ए। अनुच्छेद 212 के तहत प्रतिबंधःविधायी कार्यवाहियों की न्यायसंगतता। 76 ख।सचेतक और विधायक दल के नेता को नियुक्त करने की शक्ति। 80

एच.

*एड। ध्यान देंःतालिका में पृष्ठांकन मूल निर्णय के अनुसार है।

आई. 'राजनीतिक दल' और 'विधायक दल' अलग-अलग अवधारणाएँ हैं।..... 80 II. दसवीं अनुसूची, 1986 के नियमों और 1956 के अधिनियम के प्रावधानों की शाब्दिक और उद्देश्यपूर्ण व्याख्या।

v. यह तय करना कि "वास्तविक" शिवसेना कौन है।

ए। दसवीं अनुसूची का उद्देश्य और अयोग्यता का प्रभाव। 98 ख।प्रतीक आदेश का उद्देश्य और पैराग्राफ 15,100 सी के तहत निर्णय का प्रभाव।प्रतीक आदेश 104 डी के पैराग्राफ 15 के तहत विवादों पर लागू परीक्षण।वर्तमान मामले में जटिलताओं की संभावना। 107 ई।प्रतीक आदेश के पैराग्राफ 15 के साथ दसवीं अनुसूची को सुसंगत बनाना। 109

ग

डी.

vi)दसवीं अनुसूची के अनुच्छेद **3** को हटाने का प्रभाव। **114**

ई.

ए। 'विभाजन' का बचाव अब उन सदस्यों के लिए उपलब्ध नहीं है जो अयोग्यता कार्यवाही का सामना करते हैं। 118 बी।दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 2 के तहत अध्यक्ष का निर्णय।

च

vii.श्री ठाकरे को शक्ति परीक्षण का सामना करने का निर्देश देने में राज्यपाल द्वारा विवेक का प्रयोग। **121**

ए। शक्ति परीक्षण का आह्वान करने की राज्यपाल की शक्ति। 123 ख।राज्यपाल द्वारा शक्ति परीक्षण का आह्वान करने की शक्ति का प्रयोग। 127

जी.

viii.श्री शिंदे को मुख्यमंत्री के रूप में आमंत्रित करने में राज्यपाल द्वारा विवेक का प्रयोग। **133**

एच.

क.श्री शिंदे की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 164 (1 बी) द्वारा वर्जित नहीं है।राज्यपाल ने अपने अधिकार के दायरे को पार नहीं किया।

एफ**.** निष्कर्ष। **139**

1. संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय के समक्ष स्थापित रिट याचिकाएं महाराष्ट्र के राज्य विधानमंडल में राजनीतिक उलझन से उत्पन्न होती हैं।शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, 1 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 2 और विधानसभा के कुछ स्वतंत्र सदस्यों 3 के गठबंधन ने महाराष्ट्र राज्य में सरकार बनाई, जिसमें शिवसेना के श्री उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे।2022 के मध्य में कुछ घटनाएं हुईं, जिसके कारण शिवसेना के एक गुट (जिसने "असली" शिवसेना का दावा किया), भारतीय जनता पार्टी, 4 और कुछ निर्दलीय विधायकों के गठबंधन द्वारा एक नई सरकार का गठन किया गया। शिवसेना के श्री एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी सरकार का नेतृत्व किया।महाराष्ट्र राज्य में सरकार के गठन में बदलाव शिवसेना के भीतर दो गुटों के उभरने से हुआ।इन घटनाओं से उत्पन्न होने वाले विभिन्न मुद्दों का निर्धारण इस न्यायालय द्वारा इन कार्यवाहियों में किया जाता है।तथ्यात्मक पृष्ठभूमि का विस्तृत वर्णन नीचे दिया गया है।

ग

डी.

ई.

A. तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

आई. 2. महाराष्ट्र राज्य की सरकार में बदलाव।शिवसेना की स्थापना 1966 में महाराष्ट्र में हुई थी।भारत के चुनाव आयोग ने शिवसेना को एक राज्य राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी।जनवरी 2018 से जनवरी 2023 तक के कार्यकाल के लिए पार्टी का संगठनात्मक चुनाव 23 जनवरी 2018 को हुआ था और श्री उद्धव ठाकरे को पार्टी अध्यक्ष या 'पक्ष प्रमुख' के रूप में चुना गया था।'

च

3. महाराष्ट्र की 14 वीं विधानसभा के लिए चुनाव अक्टूबर 2019 में हुए थे।कुल दो सौ अड़सठ सीटों में से भाजपा ने एक सौ छह सीटों पर उम्मीदवार उतारे।

जी.

1 "एनसीपी "2" आईएनसी "3" विधायक "4" भाजपा "5" ईसीआई

एच.

871

सुभाष देसाई बनाम राज्यपाल सचिव, महाराष्ट्र के राज्यपाल [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

क.

शिवसेना 56 सीटों पर, राकांपा 53 सीटों पर और कांग्रेस 44 सीटों पर।तेरह निर्वाचन क्षेत्रों में निर्दलीय उम्मीदवारों की वापसी हुई और शेष निर्वाचन क्षेत्रों ने विभिन्न अन्य दलों के उम्मीदवारों की वापसी की।नवंबर 2019 में, शिवसेना, एनसीपी और आईएनसी ने चुनाव के बाद एक गठबंधन बनाया जिसे महा विकास अघाड़ी के नाम से जाना जाने लगा।6 एम. वी. ए. ने सफलतापूर्वक महाराष्ट्र में सरकार बनाने का दावा पेश किया और श्री उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।25 नवंबर 2019 को, श्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई एक बैठक के अनुसार, शिवसेना के सभी 56 विधायकों ने महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष को एक पत्र जारी कर सूचित किया कि श्री एकनाथ शिंदे को शिवसेना विधायक दल 7 का समूह नेता नियुक्त किया गया है और श्री सुनील प्रभु को एस. एस. एल. पी. का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है।

ग

4. एम. वी. ए. ने जून 2022 तक महाराष्ट्र राज्य पर शासन करना जारी रखा, जब समाचार रिपोर्टों से पता चला कि शिवसेना के कुछ विधायक भाजपा के नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे। इस समय अध्यक्ष का पद खाली था और अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन उपाध्यक्ष श्री नरहरि जिरवाल द्वारा किया जा रहा था।

डी.

5. इसके बाद की घटनाओं से संकेत मिलता है कि एस. एस. एल. पी. दो गुटों में विभाजित हो गईःएक का नेतृत्व तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे ने किया और दूसरे का नेतृत्व एस. एस. एल. पी. के समूह नेता श्री एकनाथ शिंदे ने किया।प्रत्येक गुट ने "वास्तविक" राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करने का दावा किया और संदर्भ की सहजता के मामलों से संबंधित विभिन्न प्रस्ताव पारित किए, हम श्री ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट को याचिकाकर्ता के रूप में और श्री शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को प्रतिवादी के रूप में संदर्भित करते हैं।6. 21 जून 2022 को शिवसेना के मुख्य सचेतक श्री सुनील प्रभु ने एक व्हिप जारी कर शिवसेना के सभी विधायकों को उसी दिन श्री ठाकरे के आवास पर एक बैठक में भाग लेने का निर्देश दिया।ग्रुप लीडर श्री एकनाथ शिंदे सहित कई विधायक इस बैठक में शामिल नहीं हुए।उपस्थित विधायकों ने श्री एकनाथ शिंदे को एस. एस. एल. पी. के समूह नेता के पद से हटाने और उनके स्थान पर श्री अजय चौधरी को नियुक्त करने का प्रस्ताव पारित किया।इस प्रस्ताव के माध्यम से लिए गए निर्णयों को उसी दिन यानी 21 जून 2022 को उपाध्यक्ष को सूचित किया गया था।उसी दिन, उपाध्यक्ष ने एस. एस. एल. पी. के समूह नेता में परिवर्तन की अपनी स्वीकृति के बारे में सूचित किया।

ई.

च

जी.

7. साथ ही, शिवसेना के चौंतीस विधायकों (यानी, उत्तरदाताओं) ने एक अलग बैठक आयोजित की और एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें पुष्टि की गई कि श्री एकनाथ शिंदे एस. एस. एल. पी. के समूह नेता बने रहेंगे। यह भी तय किया गया कि मुख्य सचेतक के रूप में श्री सुनील प्रभु की नियुक्ति रद्द कर दी गई और उनके स्थान पर श्री भरत गोगावले को नियुक्त किया गया।प्रस्ताव 21 जून 2022 का है और कथित तौर पर गुवाहाटी, असम में पारित किया गया था।याचिकाकर्ताओं का दावा है कि यह केवल 22 जून 2022 को उपाध्यक्ष द्वारा प्राप्त किया गया था, जबकि उत्तरदाताओं का दावा है कि यह 21 जून को भेजा गया था।श्री एकनाथ शिंदे ने उपसभापति को पत्र लिखकर शिवसेना के चौंतीस विधायकों द्वारा पारित प्रस्ताव का विवरण दिया, जिसके द्वारा एस. एस. एल. पी. के समूह नेता के रूप में उनकी नियुक्ति की पुष्टि की गई।उन्होंने उपाध्यक्ष से श्री अजय चौधरी की नियुक्ति की पुष्टि करने वाले प्रस्ताव को देखते हुए उन्हें समूह नेता के रूप में मान्यता नहीं देने का अनुरोध किया।एक बार फिर, याचिकाकर्ताओं का दावा है कि उपसभापति को यह सूचना 22 जून 2022 को मिली थी और उत्तरदाताओं का कहना है कि इसे 21 जून 2022 को भेजा गया था।

ग

डी.

9. उन्हीं चौंतीस विधायकों ने उपाध्यक्ष श्री नरहरि ज़िरवाल को एक नोटिस भी जारी किया, जिसमें कहा गया कि उन्हें अब उनका समर्थन प्राप्त नहीं है और उनसे उन्हें पद से हटाने के लिए एक प्रस्ताव पेश करने का आह्वान किया।यह नोटिस महाराष्ट्र विधानसभा नियम 2019 के नियम 11 के साथ पढ़े गए संविधान के अनुच्छेद 179 (सी) के तहत जारी किया गया था। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि यह नोटिस भी उपसभापति को 22 जून 2022 को प्राप्त हुआ था।उत्तरदाताओं का कहना है कि इसे पिछले दिन 21 जून 2022 को भेजा गया था।

ई.

10. 22 जून 2022 को, श्री सुनील प्रभु ने शिवसेना के सभी विधायकों को व्यक्तिगत संचार जारी किया, जिसमें उनसे उस शाम श्री ठाकरे के आवास पर होने वाली एस. एस. एल. पी. की बैठक में भाग लेने का आह्वान किया गया।पत्र में इस प्रकार कहा गया है:"... लिखित रूप में वैध और पर्याप्त कारण प्रदान किए बिना बैठक में भाग लेने में विफलता, अधोहस्ताक्षरित व्यक्ति को पहले से सूचित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप भारत के संविधान के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत आपके खिलाफ परिणामी कार्रवाई होगी।"

च

जी.

22 जून 2022 की बैठक में भी श्री एकनाथ शिंदे सहित शिवसेना के कई विधायक शामिल नहीं हुए थे।

11. श्री एकनाथ शिंदे ने 22 जून 2022 को श्री सुनील प्रभु को संबोधित एक पत्र में उन पर एस. एस. एल. पी. के लेटरहेड का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। पत्र में कहा गया है कि:

ए। श्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में शिवसेना के पैंतालीस विधायकों की बैठक हुई।

बी।श्री सुनील प्रभु को शिवसेना के मुख्य सचेतक के पद से हटा दिया गया था।

सी।श्री भरत गोगावले को श्री सुनील प्रभु के स्थान पर शिवसेना का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया था; और

डी।श्री सुनील प्रभु के पास 22 जून 2022 (उनके द्वारा शिवसेना के सभी विधायकों को जारी) के पत्र पर हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं था।इसलिए श्री एकनाथ शिंदे पर श्री ठाकरे के आवास पर होने वाली बैठक में भाग लेना बाध्यकारी नहीं था।

ग

12. 23 जून 2022 को, श्री सुनील प्रभु ने श्री एकनाथ शिंदे और शिवसेना के पंद्रह अन्य विधायकों की अयोग्यता के लिए संविधान की दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 2 (1) (ए) के तहत याचिकाएं दायर कीं।उपसभापति ने 25 जून 2022 को इन अयोग्यता याचिकाओं में नोटिस जारी किए।आदेश जारी करने की सूचना का प्रासंगिक हिस्सा नीचे दिया गया है:

डी.

“आपको निर्देश दिया जाता है कि महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य (दलबदल के आधार पर अयोग्यता) नियम 1986 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सोमवार, 27 जून 2022 तक शाम 5:30 बजे तक उपाध्यक्ष को लिखित प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत करें।"13. 27 जून 2022 को, अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को प्रतिवादियों द्वारा अयोग्यता याचिकाओं में जारी नोटिस को चुनौती देने के लिए लागू किया गया था।इस न्यायालय ने उसी दिन निम्नलिखित शर्तों में एक अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें अयोग्यता याचिकाओं का जवाब देने का समय 27 जून 2022 से बढ़ाकर 12 जुलाई 2022 कर दिया गया:

ई.

च

“इस बीच एक अंतरिम उपाय के रूप में, विधानसभा के उपाध्यक्ष द्वारा याचिकाकर्ताओं या विधान सभा के अन्य समान रूप से नियुक्त सदस्यों को 5.30P.M द्वारा अपनी लिखित प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत करने के लिए आज तक दिया गया समय 12.07.2022 तक बढ़ा दिया गया है।"14. अलग से, श्री सुनील प्रभु ने 25 जून 2022 को दो निर्दलीय विधायकों के साथ-साथ प्रहार जनशक्ति पार्टी के एक विधायक और 27 जून 2022 को शिवसेना के बाईस विधायकों के खिलाफ अयोग्यता के लिए याचिकाएं दायर कीं।

जी.

15. 28 जून 2022 को तत्कालीन विपक्ष के नेता श्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल को संबोधित एक पत्र में कहा था कि

एच.

उनका मानना था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री ठाकरे को सदन में बहुमत नहीं था।उन्होंने राज्यपाल से श्री ठाकरे को सदन में अपना बहुमत साबित करने का निर्देश देने का आह्वान किया।निर्दलीय उम्मीदवारों के रूप में चुने गए सात विधायकों ने उसी दिन राज्यपाल को इसी तरह का पत्र लिखा था।उन्होंने भी राज्यपाल से अनुरोध किया कि वे श्री ठाकरे को सदन में अपना बहुमत साबित करने का निर्देश दें।

16. राज्यपाल ने 28 जून 2022 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे को एक पत्र जारी किया, जिसमें उनसे 30 जून 2022 को शक्ति परीक्षण का सामना करने का आह्वान किया गया।संचार में निम्नलिखित शर्तों में विश्वास मत का संचालन करने का तरीका निर्दिष्ट किया गया थाः

ग

“(i) महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र 11 बजे बुलाया जाएः00 मैं सरकार के खिलाफ विश्वास मत के एकमात्र एजेंडे के साथ हूं।

((ii) सदन का कामकाज इस तरह से संचालित किया जाएगा कि भाषण, यदि कोई हो, तो कम समय में समाप्त हो जाएं और विश्वास मत 30.06.2022 पर 5 तक समाप्त हो जाएः00 प्रधानमंत्री. (iii) महाराष्ट्र विधानसभा नियमों के तहत विचार किए गए मतों की गिनती के उद्देश्य से सदस्यों को अपनी सीटों पर बैठने के लिए कहकर मतदान किया जाएगा।

डी.

ई.

(iv) कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जाना चाहिए और इसे सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यवस्था की जानी चाहिए।

(v) विश्वास मत की पूरी कार्यवाही की वीडियोग्राफी विधानसभा सचिवालय द्वारा एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से की जाएगी और मुझे प्रस्तुत की जाएगी।

च

(vi) उपरोक्त कार्यवाही 30.06.2022 को 11 बजे शुरू की जाएगीः00 ए. एम. और कोई भी मामला एक जैसा नहीं होगा, स्थगित, विलंबित या निलंबित नहीं किया जाएगा।

(vii) शक्ति परीक्षण के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए विधान भवन के बाहर और अंदर सदस्यों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी।"

जी.

राज्यपाल ने 28 जून 2022 को महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव को एक पत्र भी जारी किया, जिसमें उनसे महाराष्ट्र विधानसभा के सत्र के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का आह्वान किया गया, जिसमें शक्ति परीक्षण किया जाना था।

एच.

875

सुभाष देसाई बनाम राज्यपाल सचिव, महाराष्ट्र के राज्यपाल [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

क.

17. अगले ही दिन (29 जून 2022), श्री सुनील प्रभु ने राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव को 28 जून 2022 को जारी किए गए संचार को इस आधार पर रद्द करने के लिए इस अदालत के समक्ष एक रिट याचिका दायर की कि शिवसेना के बयालीस विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाएं उपाध्यक्ष के समक्ष विचाराधीन थीं।इस अदालत ने विश्वास मत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।इस न्यायालय द्वारा 29 जून 2022 को पारित आदेश का प्रासंगिक हिस्सा नीचे दिया गया हैः

“8 …

(i) हमें 30-6-2022 पर महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं मिलता है।यानी, कल सुबह 11.00 पर विश्वास मत के एकमात्र एजेंडे के साथ; (ii) 30-6-2022 पर बुलाए जाने वाले विश्वास मत की कार्यवाही तत्काल रिट याचिका के साथ-साथ ऊपर निर्दिष्ट रिट याचिकाओं के अंतिम परिणाम के अधीन होगी।

ग

(iii) महाराष्ट्र विधान सभा का विशेष सत्र महाराष्ट्र के राज्यपाल के दिनांक 1 के संचार में निहित निर्देशों के अनुसार आयोजित किया जाएगा।" श्री ठाकरे ने उसी दिन इस्तीफा दे दिया।

डी.

18. 30 जून 2022 को, श्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल को एक पत्र लिखा जिसमें कहा गया कि भाजपा के एक सौ छह विधायक और आठ निर्दलीय और अन्य विधायक सरकार बनाने के लिए श्री एकनाथ शिंदे को समर्थन दे रहे हैं।उसी दिन श्री शिंदे ने राज्यपाल को एक पत्र सौंपा जिसमें एस. एस. एल. पी. के उनतीस विधायकों ने सर्वसम्मति से श्री शिंदे को राज्य में सरकार बनाने के लिए कार्यवाही शुरू करने के लिए अधिकृत करने का संकल्प लिया।उक्त पत्र में श्री शिंदे ने एक सौ छह भाजपा विधायकों और सत्रह निर्दलीय और अन्य विधायकों के समर्थन का दावा किया। इसके अलावा, श्री शिंदे ने दावा किया कि उन्हें बहुमत का समर्थन प्राप्त है और राज्यपाल से उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया।30 जून 2022 को, सोलह विधायक जो स्वतंत्र उम्मीदवार थे या शिवसेना, भाजपा, कांग्रेस और राकांपा के अलावा अन्य दलों से संबंधित थे, उन्होंने राज्यपाल को पत्र लिखकर श्री शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया।उसी दिन राज्यपाल ने श्री शिंदे को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया और उनसे अनुरोध किया कि वे मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभालने के सात दिनों की अवधि के भीतर यह साबित करें कि उन्हें विधानसभा का विश्वास प्राप्त है।

ई.

च

जी.

एच.

19. राज्यपाल ने 30 जून 2022 को श्री शिंदे और श्री फडणवीस को पद की शपथ दिलाई और उन्होंने क्रमशः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री की भूमिका निभाई।उसी दिन श्री ठाकरे ने श्री शिंदे को एक पत्र जारी किया जिसमें कहा गया था कि उन्हें पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में 'शिवसेना नेता' के पद से हटा दिया गया है।श्री ठाकरे ने इसी तरह शिवसेना के अन्य विधायकों को पार्टी के पदाधिकारी के रूप में उनकी भूमिकाओं से हटा दिया।

ii.अध्यक्ष का चुनाव

20. उस सप्ताह बाद में, महाराष्ट्र विधानसभा के प्रधान सचिव ने 3 जुलाई 2022 को होने वाले सत्र के लिए कार्य आदेश प्रसारित किया।कार्यसूची के पाँचवें मद से पता चलता है कि अध्यक्ष पद के लिए चुनाव आयोजित किया जाना था।भाजपा के एक विधायक ने इस पद के लिए भाजपा के श्री राहुल नार्वेकर को नामित किया, जबकि शिवसेना के एक विधायक (जाहिरा तौर पर आईडी1 गुट के) ने शिवसेना के श्री राजन साल्वी को नामित किया।इसके अलावा, मुख्यमंत्री श्री शिंदे की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद के लिए विश्वास प्रस्ताव 4 जुलाई 2022 को विधानसभा के एक सत्र में पेश किया जाना था।

ग

डी.

21. विधानसभा के सत्रों के एजेंडे को ध्यान में रखते हुए, श्री सुनील प्रभु ने 2 जुलाई 2022 को दो व्हिप जारी किए।पहले सचेतक ने शिवसेना के सभी विधायकों को 4 जुलाई 2022 को महाराष्ट्र विधानसभा के सत्र में भाग लेने और मुख्यमंत्री श्री शिंदे की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद के लिए विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करने का निर्देश दिया।दूसरे सचेतक ने शिवसेना के सभी विधायकों को 3 जुलाई 2022 को महाराष्ट्र विधानसभा के सत्र में भाग लेने और अध्यक्ष पद के चुनाव में शिवसेना के उम्मीदवार श्री राजन साल्वी को वोट देने का निर्देश दिया।

ई.

च

22. अध्यक्ष पद के लिए चुनाव निर्धारित समय के अनुसार आयोजित किया गया और भाजपा के श्री राहुल नरवेकर विजयी हुए, उनके पक्ष में कुल एक सौ चौंसठ वोट पड़े।शिवसेना (श्री शिंदे के नेतृत्व में) के उनतीस विधायकों ने श्री राहुल नार्वेकर की उम्मीदवारी के पक्ष में मतदान किया।नतीजतन, श्री सुनील प्रभु ने अपने द्वारा जारी व्हिप का उल्लंघन करने के लिए संविधान की दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 2 (1) (बी) के तहत इन विधायकों के खिलाफ नए सिरे से अयोग्यता की कार्यवाही शुरू की।

जी.

एच.

877

सुभाष देसाई बनाम राज्यपाल सचिव, महाराष्ट्र के राज्यपाल [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

क.

23. सदन के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालने के बाद, श्री राहुल नार्वेकर ने श्री अजय चौधरी को एस. एस. एल. पी. के नेता के रूप में दी गई मंजूरी को रद्द कर दिया और उनके स्थान पर श्री एकनाथ शिंदे की नियुक्ति को मंजूरी दे दी।इसके अलावा, उन्होंने श्री सुनील प्रभु के स्थान पर श्री भरत गोगावले को शिवसेना के मुख्य सचेतक के रूप में मान्यता दी।अध्यक्ष के इन निर्णयों को महाराष्ट्र विधानसभा के उप सचिव द्वारा 3 जुलाई 2022 को जारी एक पत्र में दर्ज किया गया था, जिसका प्रासंगिक हिस्सा नीचे दिया गया है:

"...विचार-विमर्श के बाद। माननीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा ने श्री अजय चौधरी को शिवसेना विधायक दल के नेता के रूप में दी गई मंजूरी को रद्द कर दिया है और 31 अक्टूबर 2019 के पत्र के अनुसार शिवसेना विधायक दल के नेता के रूप में श्री एकनाथ शिंदे के नामांकन को मंजूरी और मान्यता दी है।इसी तरह, श्री सुनील प्रभु को शिवसेना विधायक दल के मुख्य सचेतक के रूप में नामित करने के प्रस्ताव को रद्द कर दिया जाना है और श्री भरत गोगावले को शिवसेना विधायक दल के मुख्य सचेतक के रूप में नामित करने को मंजूरी दे दी गई है और रजिस्ट्री में दर्ज किया गया है।"

ग

डी.

श्री भरत गोगावले ने 3 जुलाई 2022 को एक व्हिप जारी कर शिवसेना के सभी विधायकों को 4 जुलाई 2022 को महाराष्ट्र विधानसभा के सत्र में भाग लेने और मुख्यमंत्री श्री शिंदे की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद के लिए विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने का निर्देश दिया।

ई.

24. संक्षेप में-जून 2022 में, श्री ठाकरे मुख्यमंत्री थे, श्री शिंदे एस. एस. एल. पी. के नेता थे, और श्री सुनील प्रभु शिवसेना के मुख्य सचेतक थे।हालाँकि, 3 जुलाई 2022 तक श्री ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और श्री शिंदे मुख्यमंत्री थे, श्री अजय चौधरी को एस. एस. एल. पी. के नेता के रूप में मान्यता दी गई थी और बाद में श्री शिंदे द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, और श्री भरत गोगावले को श्री सुनील प्रभु के स्थान पर मुख्य सचेतक के रूप में मान्यता दी गई थी।प्रत्येक गुट ने यह दावा करना जारी रखा कि उनके द्वारा की गई नियुक्तियाँ और अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को सूचित की गई नियुक्तियाँ, जैसा भी मामला हो, कानूनी और वैध थीं, और विरोधी गुट द्वारा की गई नियुक्तियाँ अवैध और अमान्य थीं।बार-बार यह सवाल उठता रहा कि असली शिवसेना कौन थी।

च

जी.

25. अध्यक्ष के चुनाव के तुरंत बाद, शिवसेना के कुछ विधायक जो श्री ठाकरे के गुट से संबंधित थे, जारी किए गए (दो पर)

एच.

विभिन्न अवसरों पर) महाराष्ट्र विधानसभा नियम 2019 के नियम 11 के साथ पढ़े गए संविधान के अनुच्छेद 17 (सी) के तहत श्री राहुल नार्वेकर को अध्यक्ष के पद से हटाने के लिए एक प्रस्ताव पेश करने के इरादे के नोटिस।

26. 4 जुलाई 2022 को महाराष्ट्र विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश किया गया।सदन ने श्री शिंदे में अपना विश्वास व्यक्त किया। परिणामस्वरूप, श्री सुनील प्रभु ने 2 जुलाई 2022 को उनके द्वारा जारी किए गए व्हिप का उल्लंघन करने के लिए दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 2 (1) (बी) के तहत उनतीस विधायकों (श्री शिंदे के नेतृत्व में) को अयोग्य घोषित करने के लिए नई याचिकाएं दायर कीं। इसी तरह, श्री भरत गोगावले ने 3 जुलाई 2022 को उनके द्वारा जारी व्हिप का उल्लंघन करने के लिए दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 2 (1) (ए) और 2 (1) (बी) के तहत शिवसेना (श्री ठाकरे के नेतृत्व में) के चौदह विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए याचिकाएं दायर कीं।8 जुलाई 2022 को, श्री राहुल नार्वेकर ने अयोग्यता याचिकाओं के बाद के सेट में नोटिस जारी किए।

ग

iii.भारत के चुनाव आयोग के समक्ष कार्यवाही

डी.

27. 19 जुलाई 2022 को, श्री एकनाथ शिंदे ने चुनाव प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश 1968 8 के पैराग्राफ 15 के तहत चुनाव आयोग के समक्ष एक याचिका दायर की, जिसमें उनके नेतृत्व वाले गुट को शिवसेना के प्रतीक, यानी 'धनुष और तीर' के आवंटन के लिए कहा गया था।निर्वाचन आयोग ने श्री शिंदे और श्री ठाकरे के नेतृत्व वाले समूहों को अपने दावों के पक्ष में अपनी लिखित दलीलें और कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

ई.

28. इसके बाद, याचिकाकर्ताओं ने 2022 के डब्ल्यू. पी. (सी) 493 में ई. सी. आई. के पक्ष लेने और ई. सी. आई. के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए दो अंतर्वर्ती आवेदन दायर किए। इनमें से पहले (ईसीआई के पक्ष में) को इस न्यायालय द्वारा 27 सितंबर 2022 के अपने आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी।स्थगन की मांग करने वाले अंतर्वर्ती आवेदन को उसी आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।

च

29. 17 अक्टूबर 2022 को, निर्वाचन आयोग ने श्री शिंदे के नेतृत्व वाले समूह को 'धनुष और तीर' प्रतीक देने का आदेश पारित किया।

B. वर्तमान कार्यवाही में मांगी गई राहतों का अवलोकन

जी.

30. ये कार्यवाही श्री ठाकरे और श्री शिंदे दोनों के नेतृत्व वाले समूहों के सदस्यों द्वारा दायर छह रिट याचिकाओं से उत्पन्न होती हैं। इन याचिकाओं में से प्रत्येक में मांगी गई राहत को संदर्भ में आसानी के लिए नीचे दी गई तालिका में दर्ज किया गया हैः

एच.

8 "प्रतीकों का क्रम "

879

सुभाष देसाई बनाम राज्यपाल सचिव, महाराष्ट्र के राज्यपाल [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

मामले का विवरण	राहत की मांग
2022 का डब्ल्यू. पी. (सी) 493	ए। श्री एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने और सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने के 30 जून 2022 के राज्यपाल के निर्णय को रद्द करें; और/या ख। 3 जुलाई 2022 को आयोजित महाराष्ट्र विधान सभा की कार्यवाही को रद्द करें, और इसके परिणामस्वरूप अध्यक्ष का चुनाव; और/या ग। 4 जुलाई 2022 को आयोजित महाराष्ट्र विधान सभा की कार्यवाही को रद्द करें, और इसके परिणामस्वरूप श्री एकनाथ शिंदे के पक्ष में विश्वास प्रस्ताव; और/या घ। दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 2 (1) (ए) और पैराग्राफ 2 (1) (बी) के तहत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के समक्ष लंबित एकनाथ शिंदे और उनके नेतृत्व में अन्य विधायकों के खिलाफ दायर सभी लंबित अयोग्यता याचिकाओं के रिकॉर्ड की मांग करें और इन याचिकाओं को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय में

	स्थानांतरित करें और उन पर निर्णय लें।
2022 का डब्ल्यू. पी. (सी) 469	ए। उपसभापति को निर्देश दें कि जब तक उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव तय नहीं हो जाता, तब तक दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 2 (1) (ए) के तहत श्री एकनाथ शिंदे को अयोग्य ठहराने की याचिका पर कोई कार्रवाई न की जाए। बी। अंतरिम में, उपसभापति द्वारा एकनाथ शिंदे को 25 जून 2022 को जारी किए गए नोटिस के प्रभाव और संचालन पर रोक लगा दें। ग. श्री अजय चौधरी की शिवसेना विधायक दल के नेता के रूप में नियुक्ति को स्वीकार करते हुए उपसभापति द्वारा 21 जून 2022 को पारित पत्र/आदेश को रद्द करें; घ. अंतरिम में, डिप्टी द्वारा पारित 21 जून 2022 के पत्र/आदेश के प्रभाव और संचालन पर रोक लगा दें।

क.

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

	अध्यक्ष श्री अजय चौधरी की शिवसेना विधायक दल के नेता के रूप में नियुक्ति को मान्यता देते हुए; ई. भारत संघ और पुलिस महानिदेशक, महाराष्ट्र को श्री एकनाथ शिंदे के परिवार और शिवसेना विधायक दल के भीतर उनके सभी समर्थकों को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दें।
2022 का डब्ल्यू. पी. (सी) 468	ए। उपसभापति को निर्देश दें कि जब तक उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव तय नहीं हो जाता, तब तक दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 2 (1) (ए) के तहत इस याचिका में याचिकाकर्ताओं को अयोग्य ठहराने की याचिकाओं पर कोई कार्रवाई न की जाए। बी। अंतरिम में, उपाध्यक्ष द्वारा याचिकाकर्ताओं को 25 जून 2022 को जारी किए गए नोटिस के प्रभाव और संचालन पर रोक लगाने के लिए; ग. डी. जी. पी., महाराष्ट्र को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दें कि किसी भी विधायक

	को नागरिक के रूप में अपने अधिकारों और स्वतंत्रता का सहारा लेने में कोई बाधा न हो और सभी विधायकों और उनके परिवारों को सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जाए।
2022 का डब्ल्यू. पी. (सी) 479	ए। महाराष्ट्र विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा 3 जुलाई 2022 को जारी किए गए पत्र को रद्द करें।
2022 का डब्ल्यू. पी. (सी) 470	ए। राज्यपाल द्वारा 28 जून 2022 को श्री उद्धव ठाकरे के साथ-साथ महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव को भेजे गए पत्र को एक तरफ रख दें।

ग

डी.

ई.

च

जी.

C. संदर्भ

31. इस निर्णय के पिछले खंड में वर्णित रिट याचिकाओं को इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष 4 ए पर सूचीबद्ध किया गया था।

एच.

881

सुभाष देसाई बनाम राज्यपाल सचिव, महाराष्ट्र के राज्यपाल [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

अगस्त 2022, जब श्री कपिल सिब्बल और डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, याचिकाकर्ताओं और श्री हरीश साल्वे की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील, प्रतिवादियों की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील ने इस बात पर बहस की कि क्या इन याचिकाओं में उठाए

गए मुद्दों को इस अदालत की पांच-न्यायाधीशों की पीठ को संदर्भित करने की आवश्यकता है।32. 23 अगस्त 2022 के अपने आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने इस दलील को स्वीकार कर लिया कि रिट याचिकाओं के इस समूह को संविधान के अनुच्छेद 145 (3) के तहत पांच-न्यायाधीशों की पीठ को भेजा जाना चाहिए क्योंकि कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय लिया जाना बाकी है।इसने तदनुसार मामले को संदर्भित किया।निम्नलिखित प्रश्नों को विचार के लिए तैयार किया गया थाः

ए। क्या अध्यक्ष को हटाने का नोटिस उन्हें संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता की कार्यवाही जारी रखने से रोकता है, जैसा कि इस न्यायालय ने कहा है

ग

नबाम रेबिया और बामंग फेलिक्स बनाम उपाध्यक्ष, अरुणाचल प्रदेश विधान सभा; 9

बी। चाहे अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 32 के तहत कोई याचिका हो, जो उच्च न्यायालयों या उच्चतम न्यायालय द्वारा अयोग्यता याचिका पर निर्णय आमंत्रित करती है, जैसा भी मामला हो;

डी.

ग. क्या कोई अदालत यह अभिनिर्धारित कर सकती है कि किसी सदस्य को उसके कार्यों के आधार पर अयोग्य माना जाता है, अध्यक्ष द्वारा निर्णय की अनुपस्थिति में;

ई.

घ. सदस्यों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान सदन में कार्यवाही की स्थिति क्या है?ङ. यदि किसी अध्यक्ष का यह निर्णय कि किसी सदस्य ने दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता प्राप्त की है, शिकायत की गई कार्रवाई की तारीख से संबंधित है, तो अयोग्यता याचिका के लंबित रहने के दौरान हुई कार्यवाही की स्थिति क्या है?

च

च. दसवीं अनुसूची के अनुच्छेद 3 को हटाने का क्या प्रभाव पड़ता है?

छ. सदन के विधायक दल के सचेतक और नेता को निर्धारित करने की अध्यक्ष की शक्ति का दायरा क्या है?दसवीं अनुसूची के प्रावधानों के संबंध में इसकी परस्पर क्रिया क्या है?

जी.

ज. क्या अंतर-पक्षीय निर्णय न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी हैं?उसी का दायरा क्या है; i. विवेक की सीमा क्या है?

एच.

और किसी व्यक्ति को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने की राज्यपाल की शक्ति, और क्या वह न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी है; और

जे. किसी दल के भीतर विभाजन के निर्धारण के संबंध में भारत के चुनाव आयोग की शक्तियों का क्या दायरा है।

डी. प्रस्तुतियाँ

i. इस पर प्रस्तुतियाँ कि क्या नबाम रेबिया के मामले को एक बड़ी पीठ को भेजा जाना चाहिए।

33. पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस न्यायालय को पूर्ववर्ती पैराग्राफ में निर्दिष्ट मुद्दों में से पहले पर संबोधित किया, अर्थात इस बात पर कि क्या अध्यक्ष को हटाने के लिए एक प्रस्ताव पेश करने के इरादे की सूचना उन्हें संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता की कार्यवाही जारी रखने से प्रतिबंधित करती है, जैसा कि इस न्यायालय ने नबाम रेबिया (उपरोक्त) में अभिनिर्धारित किया था।

ग

डी.

34. श्री कपिल सिब्बल, डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी और श्री देवदत्त कामत ने याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं की अग्रिम दलीलें सुनीं।श्री हरीश साल्वे, श्री नीरज किशन कौल, श्री महेश जेठमलानी, श्री मनिंदर सिंह और श्री सिद्धार्थ भटनागर ने उनकी दलीलों का विरोध किया।श्री तुषार मेहता, विद्वान सॉलिसिटर जनरल, महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल की ओर से पेश हुए।

ई.

35. नबाम रेबिया (उपरोक्त) में, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने अन्य बातों के साथ-साथ फैसला सुनाया कि अध्यक्ष के पद से उन्हें हटाने के लिए एक प्रस्ताव पेश करने के इरादे की सूचना जारी होने के बाद दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेना अध्यक्ष के लिए अस्वीकार्य है।याचिकाकर्ताओं ने आग्रह किया है कि नबाम रेबिया (उपरोक्त) में निर्णय के इस पहलू को इस न्यायालय के सात न्यायाधीशों की पीठ को भेजा जाना चाहिए क्योंकिः

च

ए। इस न्यायालय की 10 वीं संविधान पीठ ने किहोतो होलोहन बनाम ज़चिल्लू मामले में कहा कि न्यायालय असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर किसी अंतर्वर्ती चरण में दसवीं अनुसूची के अनुच्छेद 6 के तहत अयोग्यता की कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। नबाम रेबिया (ऊपर) में निर्णय के संदर्भ में, दसवीं अनुसूची के तहत कार्यवाही होगी

जी.

एच.

10 (1992) पूरक (2) एस. सी. सी. 651 ए

883

सुभाष देसाई बनाम राज्यपाल सचिव, महाराष्ट्र के राज्यपाल [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

अध्यक्ष को हटाने के लिए एक प्रस्ताव पेश करने के इरादे की सूचना जारी करने पर रोक लगाई जाएगी।यह अंतर्वर्ती चरण में अयोग्यता की कार्यवाही में हस्तक्षेप के बराबर है।किहोतो होल्लोहन (ऊपर) और नबाम रेबिया (ऊपर) में निर्णय, इसलिए, एक दूसरे के साथ संघर्ष करते हैं।

बी। नबाम रेबिया (उपरोक्त) में निर्णय का दलबदल करने वाले विधायकों द्वारा दुरुपयोग किए जाने की संभावना है, जिनकी दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता को संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत उन्हें हटाने के लिए एक प्रस्ताव पेश करने के इरादे की सूचना जारी करके अध्यक्ष को अयोग्यता कार्यवाही के साथ आगे बढ़ने से अक्षम करके टाला जा सकता है।अध्यक्ष को उनके अनुचित निष्कासन के मामले में एक उपाय के बिना छोड़ दिया जाता है, जबकि एक अयोग्य सदस्य न्यायिक समीक्षा के उपाय का उपयोग कर सकता है यदि उन्हें गैरकानूनी रूप से अयोग्य ठहराया गया है;

ग

डी.

ग. यह अभिनिर्धारित करके कि अध्यक्ष दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता की कार्यवाही के साथ आगे बढ़ने से अक्षम है, जब उन्हें हटाने के लिए एक प्रस्ताव पेश करने के इरादे की सूचना जारी की जाती है, नबाम रेबिया (उपरोक्त) का प्रभाव होता हैः i. दसवीं अनुसूची के तहत एक न्यायाधिकरण के रूप में अध्यक्ष की भूमिका और राज्य विधानमंडल के एक अधिकारी के रूप में अध्यक्ष की भूमिका के बीच अंतर को लागू करना;

ई.

ii.दसवीं अनुसूची के अनुच्छेद 6 के तहत न्यायाधिकरण के कामकाज में निरंतरता को बाधित करना; और

iii.दसवीं अनुसूची के संचालन में एक संवैधानिक अंतराल पैदा करना।

च

घ. नबाम रेबिया (उपरोक्त) में निर्णय संविधान के अनुच्छेद 17 (ग) में "विधानसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों" वाक्यांश की व्याख्या पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि अध्यक्ष को हटाने के लिए प्रस्ताव पेश करने के इरादे की सूचना जारी होने के बाद सदन की संरचना और संख्या में बदलाव नहीं किया जा सकता है।यह व्याख्या इसके विपरीत हैः

जी.

आई. अनुच्छेद 17 की सादा भाषा;ii. अनुच्छेद 181 का महत्व; और

एच.

iii.संविधान सभा की बहसों में विचार-विमर्श।ई. राजेंद्र सिंह में इस न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में

राणा बनाम स्वामी प्रसाद मौर्य, 11 की अयोग्यता

एक विधायक उस तारीख का उल्लेख करता है जिस दिन वे दसवीं अनुसूची के तहत निषिद्ध आचरण में शामिल हुए थे।संविधान की योजना में इस संभावना की परिकल्पना नहीं की गई है कि अयोग्य ठहराए गए विधायक जिस तारीख को वे निषिद्ध आचरण में लगे थे, उसके बाद अध्यक्ष को हटाने के लिए प्रस्ताव पेश करने के इरादे का नोटिस जारी कर सकते हैं।

36. प्रत्यर्थियों ने याचिकाकर्ताओं की ओर से की गई दलीलों का विरोध किया।उन्होंने प्रस्तुत किया कि नबाम रेबिया (उपरोक्त) में निर्णय को निम्नलिखित कारणों से इस न्यायालय के सात न्यायाधीशों की पीठ को भेजे जाने की आवश्यकता नहीं हैः

ग

ए। नबाम रेबिया (ऊपर) में निर्णय नैतिक और संवैधानिक विचारों पर आधारित है।यदि किसी विधायक को अध्यक्ष द्वारा अन्यायपूर्ण रूप से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है और अदालतों द्वारा उनकी अयोग्यता को दरकिनार कर दिया जाता है, तो वे अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव पर मतदान करने के साथ-साथ सदन की अन्य कार्यवाही में भाग लेने के अवसर से वंचित हो जाते।दूसरी ओर, यदि अध्यक्ष को अनुचित तरीके से पद से हटा दिया जाता है, तो वे सदन की सदस्यता नहीं खोते हैं और परिणामस्वरूप सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार बनाए रखते हैं।उन्हें अध्यक्ष के रूप में भी फिर से चुना जा सकता है।

डी.

ई.

बी। अध्यक्ष दसवीं अनुसूची के तहत एक न्यायाधिकरण के रूप में तभी कार्य कर सकता है जब उन्हें सदन का विश्वास प्राप्त हो।

च

ग. अनुच्छेद 181 (1) में प्रावधान है कि जब उन्हें हटाने का प्रस्ताव लंबित हो तो अध्यक्ष विधानसभा की अध्यक्षता नहीं कर सकते।

घ. किहोतो होलोहन (ऊपर) में निर्णय एक अपवाद है न कि एक सामान्य नियम।अध्यक्ष को अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने से अक्षम करना, उन्हें हटाने के लिए एक प्रस्ताव पेश करने के इरादे की सूचना जारी करने पर, किहोतो होलोहन (ऊपर) के फैसले के साथ विरोधाभास नहीं है क्योंकि अध्यक्ष का अक्षम होना अंतर्वर्ती स्तर पर हस्तक्षेप के बराबर नहीं है; और

जी.

एच.

11 (2007) 4 एससीसी 270 ए

885

सुभाष देसाई बनाम राज्यपाल सचिव, महाराष्ट्र के राज्यपाल [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

ङ. नबाम रेबिया (ऊपर) में, संविधान पीठ ने विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष की भूमिका से संबंधित मुद्दे को संबोधित किया। यह मुद्दा "कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न" नहीं रह गया है और इसे संविधान के अनुच्छेद 145 (3) के तहत एक बड़ी पीठ को नहीं भेजा जा सकता है।

37. श्री तुषार मेहता, विद्वान सॉलिसिटर जनरल, महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल की ओर से पेश हुए और आग्रह किया कि नबाम रेबिया (ऊपर) निम्नलिखित कारणों से एक बड़ी पीठ को संदर्भित करने की आवश्यकता नहीं हैः

ए। यह याचिकाकर्ताओं का मामला नहीं है कि नबाम रेबिया (ऊपर) इनक्यूरियम के अनुसार है।यह सभी प्रासंगिक पहलुओं, पूर्ववर्ती और संवैधानिक प्रावधानों पर विचार करता है।

ग

ख. नबाम रेबिया (ऊपर) अध्यक्ष की अस्थायी अक्षमता के दुरुपयोग की संभावना पर विचार करता है;

डी.

ग. यह दावा कि नबाम रेबिया (उपरोक्त) सदन के किसी सदस्य को अयोग्यता से बचाता है, गलत है क्योंकि सदस्यों को हमेशा एक अध्यक्ष द्वारा अयोग्यता की कार्यवाही के अधीन किया जा सकता है जिसका सदन में बहुमत संदेह के बादल में नहीं है।

ई.

घ. यद्यपि अध्यक्ष दसवीं अनुसूची के तहत "न्यायाधिकरण" के रूप में और सदन के नियमों के तहत "राज्य विधानमंडल के अधिकारी" के रूप में अलग-अलग कार्य करता है, दोनों कार्यों को करने का उनका अधिकार एक ही स्रोत से प्राप्त होता है जो सदन के बहुमत का विश्वास है; और

च

ई. नबाम रेबिया (ऊपर) किहोतो होलोहन (ऊपर) के साथ संघर्ष नहीं करता है क्योंकि बाद वाला उन समयबद्ध कार्यों की अनुमति देता है जहां "गंभीर, आसन्न और अपूरणीय परिणाम" होते हैं।"

38. 17 फरवरी 2023 के अपने आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने निर्देश दिया कि क्या नबाम रेबिया (ऊपर) में निर्णय को एक बड़ी पीठ को संदर्भित करना आवश्यक था, इस मुद्दे को मामले के गुण-दोष के साथ निर्धारित किया जाएगा।आदेश इस प्रकार हैः

जी.

“8. सात न्यायाधीशों की पीठ को संदर्भित किया जाना चाहिए या नहीं, इस मुद्दे पर सार में विचार नहीं किया जा सकता है।

मामले के तथ्यों से तलाक हो गया।क्या उपरोक्त सिद्धांत जो नबाम रेबिया (उपरोक्त) में तैयार किया गया है, वर्तमान मामले में तथ्यात्मक स्थिति पर प्रभाव डालता है, इस पर विचार-विमर्श की आवश्यकता है।9. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, यह मुद्दा कि क्या नबाम रेबिया (उपरोक्त) में निर्णय का एक बड़ी पीठ को संदर्भ आवश्यक है, मामले के गुण-दोष के साथ निर्धारित किया जाएगा।"39. तब पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान वकीलों को मामले के गुण-दोष पर सुना गया।

ii.मामले के गुण-दोष पर प्रस्तुतियाँ

40. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री कपिल सिब्बल ने निम्नलिखित दलीलें दीं:

ग

ए। एक संवैधानिक अदालत, संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत अपनी शक्ति के आधार पर यह तय कर सकती है कि किसी विधायक को दसवीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत अयोग्य ठहराया गया है या नहीं।इस न्यायालय ने राजेंद्र सिंह राणा (ऊपर) में इस असाधारण शक्ति को मान्यता दी है।निम्नलिखित असाधारण परिस्थितियाँ इंगित करती हैं कि इस न्यायालय को इन कार्यवाहियों में अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेना चाहिए:

डी.

आई. अयोग्यता याचिकाएं दायर करने के बाद की घटनाओं की संवैधानिकता, जैसे कि 28 जून 2022 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे को शक्ति परीक्षण का सामना करने का राज्यपाल का निर्देश, 30 जून 2022 को मुख्यमंत्री के रूप में श्री एकनाथ शिंदे का शपथ ग्रहण, 3 जुलाई 2022 को अध्यक्ष की नियुक्ति, 4 जुलाई 2022 को शक्ति परीक्षण और प्रतीक आदेश के पैराग्राफ 15 के तहत श्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में एक गुट द्वारा दायर याचिका को इस अदालत के समक्ष चुनौती दी गई है।

ई.

च

ii.अध्यक्ष की नियुक्ति श्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना विधायकों के गुट के समर्थन से की गई थी।अध्यक्ष ने पक्षपातपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण तरीके से अपना व्यवहार किया है।3 जुलाई 2022 को एक पत्र में अध्यक्ष ने श्री अजय चौधरी और श्री सुनील प्रभु की क्रमशः एस. एस. एल. पी. के नेता और शिवसेना के मुख्य सचेतक के रूप में मान्यता रद्द कर दी और इसके बजाय श्री एकनाथ ए. को मान्यता दी।

जी.

शिंदे और श्री भरत गोगावले क्रमशः।अयोग्यता की कार्यवाही में अध्यक्ष का निर्णय इस बात पर निर्भर करेगा कि किसे मुख्य सचेतक के रूप में मान्यता दी गई थी जिसे कार्यवाही के तत्काल बैच में भी चुनौती दी गई है।

iii.अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेते समय एक संवैधानिक न्यायालय को यह तय करना चाहिए कि क्या विधायकों के खिलाफ अयोग्यता का मामला बनाया गया है।

iv.वर्तमान मामले के तथ्यों में, श्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले विधायकों के गुट के खिलाफ दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 2 (1) (ए) के तहत अयोग्यता का मामला बनाया गया है क्योंकिः

ग

I. वे जानबूझकर 21 जून 2022 और 22 जून 2022 को आयोजित एसएसएलपी की बैठकों में शामिल नहीं हुए;

II. 22 जून 2022 को उन्होंने श्री शिंदे को एस. एस. एल. पी. का नेता और श्री गोगावले को मुख्य सचेतक नियुक्त करते हुए अवैध प्रस्ताव पारित किए; और

डी.

III. श्री शिंदे के नेतृत्व वाले गुट ने तत्कालीन विपक्ष के नेता श्री देवेंद्र फडणवीस के साथ राज्यपाल से मुलाकात की।श्री शिंदे के गुट के विधायकों का भाजपा के साथ गठबंधन शिवसेना राजनीतिक दल की इच्छा के खिलाफ था।

ई.

v. वर्तमान मामले के तथ्यों में, श्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले विधायकों के गुट के खिलाफ दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 2 (1) (बी) के तहत अयोग्यता का मामला बनाया गया है।2 जुलाई 2022 को श्री सुनील प्रभु ने अध्यक्ष के चुनाव के लिए एक व्हिप जारी किया। श्री शिंदे के नेतृत्व में विधायकों के गुट ने व्हिप का उल्लंघन किया और श्री राहुल नार्वेकर के पक्ष में मतदान किया, जो भाजपा द्वारा नामित उम्मीदवार थे।

च

जी.

vi)दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता उस तारीख से संबंधित है जिस दिन विधायक अयोग्यता के कृत्य में शामिल था।इस प्रकार, सदन के पटल पर कार्यवाही का परिणाम जो अयोग्यता के लंबित रहने के दौरान हुआ

एच.

कार्यवाही अयोग्यता याचिकाओं पर अध्यक्ष के निर्णय पर निर्भर करेगी।इसी तरह, विश्वास मत का परिणाम अयोग्यता की कार्यवाही में निर्णय पर निर्भर करेगा।इसके अतिरिक्त, इस न्यायालय ने 29 जून 2022 के अपने आदेश द्वारा राज्यपाल के विश्वास मत आयोजित करने के निर्देश पर रोक लगाने की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करते हुए कहा कि विश्वास मत की कार्यवाही रिट याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन होगी।

vii.शिंदे के नेतृत्व वाले विधायकों के गुट ने दावा किया है कि वे "असली" शिवसेना हैं।उन्होंने प्रतीक आदेश के पैराग्राफ 15 के तहत भी कार्यवाही शुरू की है।वास्तव में उत्तरदाताओं का बचाव विभाजन का है।संविधान (इकानवेवां संशोधन) अधिनियम 2003 द्वारा दसवीं अनुसूची से हटाए जाने के विभाजन के बचाव का उपयोग उत्तरदाताओं द्वारा उन कार्यों के बचाव के रूप में नहीं किया जा सकता है जिनमें अयोग्यता होती है;

डी.

बी। श्री गोगावले को मुख्य सचेतक के रूप में नियुक्त करने वाले प्रतिवादियों द्वारा 21 जून 2022 को पारित किया गया कथित प्रस्ताव और 3 जुलाई 2022 को अध्यक्ष द्वारा श्री गोगावले को मुख्य सचेतक के रूप में मान्यता देना अवैध है और इसे दरकिनार कर दिया जाना चाहिए।मुख्य सचेतक और विधायक दल के नेता की नियुक्ति राजनीतिक दल द्वारा की जानी चाहिए न कि विधायक दल द्वारा क्योंकिः

ई.

i. दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 2 (1) (बी) में कहा गया है कि व्हिप राजनीतिक दल (न कि विधायक दल) या राजनीतिक दल द्वारा अधिकृत प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाना चाहिए।इस प्रकार, व्हिप को विधायक दल के बहुमत द्वारा जारी या बदला नहीं जा सकता है।पैराग्राफ 1 (बी) और 1 (सी) दसवीं अनुसूची के प्रयोजनों के लिए एक विधायक दल और एक राजनीतिक दल के बीच अंतर करते हैं।दसवीं अनुसूची के इस पठन की पुष्टि जे. श्रीनिवासन ने अपनी अलग राय में मायवती बनाम मार्कण्डेय में की है।

च

जी.

चंद; 12

एच.

12 (1998) 7 एससीसी 517 ए

889

सुभाष देसाई बनाम राज्यपाल सचिव, महाराष्ट्र के राज्यपाल [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

ii.विधायक दल के बहुमत गुट को दसवीं अनुसूची के उद्देश्यों के लिए राजनीतिक दल के रूप में नहीं माना जा सकता है।

iii.महाराष्ट्र विधानमंडल सदस्य (अयोग्यता उन्मूलन) अधिनियम 1956 की धारा 23 के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि महाराष्ट्र विधान सभा के संबंध में मुख्य सचेतक का अर्थ सदन का एक सदस्य है जिसे सरकार बनाने वाली पार्टी द्वारा सचेतक घोषित किया गया है।

iv.संविधान (बावनवा संशोधन) अधिनियम 1985, दलबदल के आधार पर विधायकों की अयोग्यता की शुरुआत करके, संसदीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका को मान्यता दी;

ग

अध्यक्ष के निर्णय को प्रक्रियात्मक अनियमितता के आधार पर दरकिनार कर दिया जाना चाहिए।अध्यक्ष ने 3 जुलाई 2022 को श्री गोगावले को मुख्य सचेतक के रूप में मान्यता देने वाला पत्र जारी करने से पहले राजनीतिक दल को सुनवाई का अवसर नहीं दिया।

डी.

vi)व्हिप को मान्यता देने के अध्यक्ष के निर्णय को संविधान के अनुच्छेद 212 के प्रावधानों द्वारा न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं रखा गया है।अनुच्छेद 212 केवल प्रक्रियात्मक अनियमितता के आधार पर 'राज्य के विधानमंडल में कार्यवाही' की न्यायिक समीक्षा को रोकता है।राजा राम पाल बनाम में यह न्यायालय।

ई.

माननीय अध्यक्ष, लोकसभा 14 ने माना है कि अनुच्छेद

212 मूल या सकल अवैधता के आधार पर न्यायिक समीक्षा को बाहर नहीं करता है; और

च

vii.विधायक दल के नेता की नियुक्ति केवल राजनीतिक दल द्वारा की जानी चाहिए।यदि विधायक दल को राजनीतिक दल द्वारा चुने गए उम्मीदवार से अलग नेता नियुक्त करने की अनुमति दी जाती है तो राजनीतिक दल और विधायक दल के बीच संबंध टूट जाएगा।

जी.

ग. एक विधायक जिसके बारे में अध्यक्ष का मानना है कि उसने दसवीं अनुसूची के उद्देश्य से स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ दी है।

13 "1956 का अधिनियम "

एच.

14 (2007) 3 एससीसी 184

प्रतीक आदेश के पैराग्राफ 15 के तहत कार्यवाही शुरू नहीं कर सकते क्योंकि वे अब राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं होंगे।इस प्रकार, अयोग्य ठहराए गए एक अलग गुट के सदस्यों को राजनीतिक दल के रूप में प्रतीक आदेश के तहत दावा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

घ. निर्वाचन आयोग के निर्णय का दसवीं अनुसूची के तहत कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकिः(i) अयोग्यता उन कार्रवाइयों की तारीख से संबंधित है जिनके कारण अयोग्यता हुई; और (ii) निर्वाचन आयोग के निर्णय का केवल उस तारीख से संभावित प्रभाव होगा जिस दिन प्रतीक आदेश के पैराग्राफ 15 के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी या उन कार्यवाहियों में निर्वाचन आयोग का निर्णय;

ग

ई. विश्वास मत के लिए राज्यपाल का दिनांक 28 जून 2022 का संचार अवैध है।विश्वास मत के लिए आह्वान करने की राज्यपाल की शक्ति अनियंत्रित नहीं है।फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाने का राज्यपाल का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है और यदि यह बाहरी विचारों पर आधारित है तो इसे रद्द किया जा सकता है।28 जून 2022 को शक्ति परीक्षण का आह्वान करने का राज्यपाल का निर्णय अवैध था क्योंकिः

डी.

आई. एस. एस. एल. पी. के चौंतीस सदस्यों के प्रस्ताव, जिस पर राज्यपाल भरोसा करते हैं, में यह नहीं कहा गया है कि वे एम. वी. ए. से बाहर निकलने का इरादा रखते हैं; और

ई.

ii.राज्यपाल अपने राजनीतिक दल द्वारा गठित सरकार के खिलाफ एस. एस. एल. पी. के बहुमत के दावे पर अपनी संतुष्टि का आधार नहीं बना सकते हैं।

च

च. राज्यपाल द्वारा 30 जून 2022 को श्री एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए बुलाने का पत्र असंवैधानिक है और इसे निम्नलिखित कारणों से अलग रखा जाना चाहिएः

आई. राज्यपाल द्वारा श्री शिंदे को शपथ लेने के लिए बुलाना शिवसेना में विभाजन को मान्यता देने के समान है।

जी.

ii.राज्यपाल श्री शिंदे को सरकार बनाने के लिए तब नहीं बुला सकते थे जब उनके खिलाफ अयोग्यता याचिका लंबित थी।

एच.

891

सुभाष देसाई बनाम राज्यपाल सचिव, महाराष्ट्र के राज्यपाल [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

iii.सरकारिया आयोग की उन सिफारिशों को, जिसमें राज्यपाल को सरकार के गठन के लिए बुलाना चाहिए, इस न्यायालय द्वारा रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ मामले में अनुमोदित किया गया था।15 राज्यपाल ने वरीयता के इस आदेश का पालन नहीं किया;

iv.अध्यक्ष द्वारा किसी सदस्य को अयोग्य ठहराने का निर्णय कार्योत्तर होता है।अध्यक्ष को उन तथ्यों पर निर्णय लेना चाहिए जो उस तारीख को मौजूद थे जब अयोग्यता की कथित कार्रवाई हुई थी।संविधान के अनुच्छेद 164 (1-बी) के प्रतिबंध को देखते हुए विधानसभा के अयोग्य सदस्य को मंत्री के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

ग

छ. 27 जून 2022 के इस न्यायालय के आदेश ने दसवीं अनुसूची के संचालन में एक अंतराल पैदा कर दिया।

41. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने निम्नलिखित दलीलें दीं:

डी.

ए। 27 जून 2022 तक की यथास्थिति को निम्नलिखित कारणों से बहाल किया जाना चाहिए:

आई. 27 जून 2022 को इस न्यायालय के आदेश ने उत्तरदाताओं को अयोग्यता याचिकाओं का जवाब देने के लिए दिए गए समय को बढ़ाने से अध्यक्ष के कामकाज पर एक नकारात्मक निषेधाज्ञा पैदा हो गई।29 जून 2022 को इस अदालत का विश्वास मत पर रोक लगाने से इनकार करने का आदेश एक सकारात्मक आदेश था।महाराष्ट्र राज्य में सरकार इस न्यायालय के उपरोक्त आदेशों के लिए नहीं बदली होगी (इंदौर पर निर्भर)।

ई.

च

विकास प्राधिकरण बनाम मनोहर लाल; 16

ii.27 जून 2022 को इस न्यायालय का आदेश किहोतो होलोहन (उपरोक्त) में संविधान पीठ के फैसले के विपरीत है, जहां यह निर्णय दिया गया था कि दसवीं अनुसूची के तहत अध्यक्ष के निर्णय से पहले न्यायिक समीक्षा उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है।इस आदेश द्वारा, न्यायालय ने अपने-अपने क्षेत्रों में विभिन्न संवैधानिक कार्यकर्ताओं के निर्बाध कामकाज के नाजुक संतुलन को झुका दिया;

जी.

15 (2006) 2 एससीसी 1 16 (2020) 8 एससीसी 129

एच.

892

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 8 एस सी आर।

iii.29 जून 2022 को इस न्यायालय के आदेश में कहा गया कि विश्वास मत "तत्काल रिट याचिका के साथ-साथ ऊपर निर्दिष्ट रिट याचिकाओं के अंतिम परिणाम के अधीन होगा।" इस प्रकार, परिणाम और बनाई गई नई स्थिति तत्काल कार्यवाही के अंतिम परिणाम के अधीन होनी चाहिए।27 जून 2022 को यथास्थिति बहाल की जानी चाहिए।यथास्थिति बहाल करने की अदालत की शक्ति अनसुनी नहीं है।इस न्यायालय ने नबाम रेबिया (ऊपर) में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया; और

iv.इस न्यायालय को दसवीं अनुसूची की शुरूआत के पीछे के उद्देश्य को प्रभावी बनाने के लिए यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देना चाहिए, जो राजनीतिक दलबदल की बुराई पर अंकुश लगाने के लिए है।

ग

बी। 3 जुलाई 2022 की शाम को अध्यक्ष के रूप में अपनी नियुक्ति के तुरंत बाद, श्री राहुल नार्वेकर ने 21 जून 2022 के उपाध्यक्ष के उस आदेश को याद किया जिसमें श्री अजय चौधरी को एस. एस. एल. पी. के नेता और श्री भरत गोगावले को एस. एस. एल. पी. के मुख्य सचेतक के रूप में मान्यता दी गई थी। 21 जून 2022 के उपसभापति के आदेश की वैधता इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन थी।इसके अलावा, उनकी नियुक्ति पर, अध्यक्ष ने केवल प्रतिवादियों द्वारा दायर अयोग्यता याचिकाओं पर नोटिस जारी किया।अध्यक्ष ने तटस्थता और स्वतंत्रता की भावना के विपरीत व्यवहार किया है।अध्यक्ष को अयोग्यता याचिका पर निर्णय लेने की अनुमति देना दलबदल को प्रोत्साहित करने के बराबर होगा।अतः अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय अध्यक्ष को नहीं, बल्कि इस न्यायालय को करना चाहिए।

डी.

ई.

च

ग. जब अयोग्यता याचिकाओं की वैधता विचाराधीन थी, तब राज्यपाल विश्वास मत का निर्देश नहीं दे सकते थे।

घ. राज्यपाल का 28 जून 2022 का पत्र शिवसेना में विभाजन को मान्यता देता है।उसके पास विभाजन को मान्यता देने का अधिकार नहीं है।

जी.

ई. एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ 17 में बहुमत ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय पूर्व की यथास्थिति को बहाल करने के लिए खुला रहेगा।

एच.

17 (1994) 3 एससीसी 1 ए

893

सुभाष देसाई बनाम राज्यपाल सचिव, महाराष्ट्र के राज्यपाल [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

यदि राष्ट्रपति की घोषणा अमान्य थी तो घोषणा जारी करने से पहले।यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाता है तो भी पूर्व की स्थिति को बहाल किया जा सकता है।यह भी माना गया कि यह अदालत के लिए खुला रहेगा कि वह यथास्थिति बहाल करते हुए राहत को ढाले।इस प्रकार, इस न्यायालय के पास यह अभिनिर्धारित करके राहत देने की शक्ति है कि मध्यवर्ती अवधि में पारित किए गए विधान अमान्य नहीं होंगे, लेकिन अयोग्यता की कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान अन्य कार्रवाई जैसे कि अध्यक्ष का चुनाव अमान्य होगा यदि अध्यक्ष को वोट देने वालों को अयोग्य ठहराया जाता है।

ग

च. अनुच्छेद 189 (2) केवल उन स्थितियों में लागू होता है जहां केवल सदस्यों की पात्रता के कारण कार्यवाही को चुनौती दी जाती है और कार्यवाही की वैधता को कोई चुनौती नहीं दी जाती है।हालाँकि, तत्काल मामले में, विश्वास मत का निर्देश देने के राज्यपाल के निर्णय को एक पूर्व चुनौती है।राज्यपाल की इस कार्रवाई को अनुच्छेद 189 (2) के आधार पर न्यायिक समीक्षा से मुक्त नहीं किया जा सकता है।छ. 29 जून 2022 को श्री उद्धव ठाकरे का इस्तीफा विश्वास मत के निर्देश में राज्यपाल की कार्रवाई की अवैधता को कम नहीं कर सकता है।

डी.

ई.

ज. प्रतीक आदेश के अनुच्छेद 15 के तहत निर्वाचन आयोग के निर्णय का संभावित प्रभाव पड़ेगा।चुनाव आयोग द्वारा प्रतीक आदेश के उद्देश्यों के लिए गुटों में से एक को शिवसेना के रूप में मान्यता देने का निर्णय लंबित अयोग्यता याचिकाओं पर पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है।इस तरह की व्याख्या तय किए गए कानून के विपरीत भी होगी कि अयोग्यता उस तारीख से संबंधित है जब दलबदल का गठन करने वाले कार्य किए गए थे; और

च

i. जो विधायक राजनीतिक दल की यथास्थिति से असंतुष्ट हैं, वे पैराग्राफ 4 के तहत विलय का सहारा ले सकते हैं, या इस्तीफा दे सकते हैं और फिर से चुनाव लड़ सकते हैं, या अपने गुट को राजनीतिक दल के रूप में मान्यता देने के लिए प्रतीक आदेश के पैराग्राफ 15 के तहत निर्वाचन आयोग में आवेदन कर सकते हैं और निर्वाचन आयोग के फैसले की प्रतीक्षा कर सकते हैं। सदस्यों को अयोग्य ठहराया जाना चाहिए यदि उन्होंने उस तरीके से कार्य करना चुना है जो दसवीं अनुसूची के तहत निषिद्ध है।

जी.

एच.

42. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री देवदत्त कामत ने निम्नलिखित दलीलें दीं:

ए। 'राजनीतिक दल' शब्द जैसा कि दसवीं अनुसूची में आता है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 ए के तहत पंजीकृत व्यक्तियों के संघ से संबंधित है।''राजनीतिक दल' से तात्पर्य उस नेतृत्व संरचना से है जो कथित निषिद्ध आचरण की तारीख को तब तक बनी रहती है जब तक कि राजनीतिक दल की मान्यता और उसके नेतृत्व संरचना को कानून के तहत बदल नहीं दिया जाता है।

बी। विधायक दल के सदस्य यह दावा नहीं कर सकते कि वे अपने खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं के बचाव के रूप में राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करते हैं।ऐसा कोई भी गुट केवल प्रतीक आदेश के तहत कार्यवाही में निर्वाचन आयोग के समक्ष इस तरह के दावे को आगे बढ़ाने का हकदार है।सदस्य दसवीं अनुसूची के तहत निषिद्ध आचरण में शामिल नहीं हो सकते हैं जब तक कि उनके दावे का प्रतीक आदेश के तहत निपटारा नहीं हो जाता है।ग. दसवीं अनुसूची को स्थगित कर दिया जाएगा यदि उत्तरदाताओं का यह तर्क कि अयोग्यता याचिकाएं प्रतीक आदेश के पैराग्राफ 15 के तहत उनके दावे के निर्णय पर निर्भर करती हैं, स्वीकार कर लिया जाता है; और

ग

डी.

घ. उत्तरदाता प्रतीक आदेश के पैराग्राफ 15 के तहत कार्यवाही शुरू नहीं कर सकते थे जब उनके खिलाफ अयोग्यता याचिकाएं लंबित हैं क्योंकि सादिक अली बनाम भारत के चुनाव आयोग 18 में निर्धारित विधायी बहुमत के कारक को अयोग्यता कार्यवाही के निर्णय के आधार पर बदला जा सकता है।

ई.

च

43. प्रतिवादियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री नीरज किशन कौल ने निम्नलिखित दलीलें दीं:

ए। दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 6 के संदर्भ में, अयोग्यता के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए अध्यक्ष एकमात्र संवैधानिक प्राधिकारी है। इसके अलावा, संविधान के अनुच्छेद 212 (1) में प्रावधान है कि राज्य विधानमंडल की कार्यवाही की वैधता पर अदालतों के समक्ष सवाल नहीं उठाया जा सकता है।याचिकाकर्ता अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए अध्यक्ष के संवैधानिक अधिकार को पार करने का प्रयास कर रहे हैं।

जी.

एच.

18 (1972) 4 एससीसी 664 ए

895

सुभाष देसाई बनाम राज्यपाल सचिव, महाराष्ट्र के राज्यपाल [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

बी। स्वयं अयोग्यता की अवधारणा संविधान के लिए अज्ञात है।दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता की कार्यवाही के बारे में कोई भी निर्णय कानून की उचित प्रक्रिया और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने के बाद लिया जाना चाहिए।अध्यक्ष द्वारा निर्णय लेने के बाद ही किसी सदस्य को अयोग्य ठहराया जाता है।अयोग्यता याचिकाओं के निर्णय की प्रक्रिया महाराष्ट्र विधानसभा (दलबदल के आधार पर अयोग्यता) नियम 1986 के तहत निर्धारित की गई है।

ग. अयोग्यता का सामना कर रहे विधायक सदन की कार्यवाही में भाग लेने और प्रस्तावों पर मतदान करने का अधिकार रखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 189 (2) में प्रावधान है कि सदन की कोई भी कार्यवाही अमान्य नहीं है, भले ही बाद में यह पता चला हो कि जिन व्यक्तियों को कार्यवाही में भाग लेने या मतदान करने या अन्यथा भाग लेने का अधिकार नहीं था, उन्होंने ऐसा किया था।प्रताप गौड़ा पाटिल बनाम राज्य

ग

कर्नाटक 20 और अध्यक्ष, हरियाणा विधानसभा बनाम.

डी.

21 इस न्यायालय ने कहा कि सदस्यों को केवल इसलिए सदन की कार्यवाही में भाग लेने से नहीं रोका जाना चाहिए क्योंकि उनके खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही लंबित थी।

घ. दसवीं अनुसूची के अनुच्छेद 3 को हटाने से पहले, एक राजनीतिक दल के भीतर विभाजन के अस्तित्व के बारे में अध्यक्ष की जांच अयोग्यता की कार्यवाही पर निर्णय लेने के लिए प्रथम दृष्टया निर्धारण तक सीमित थी।पैराग्राफ 3 को हटाने के परिणामस्वरूप, किसी राजनीतिक दल के भीतर विभाजन के संबंध में प्रथम दृष्टया राय बनाने के अध्यक्ष के अधिकार को हटा दिया गया है।पैराग्राफ 3 को हटाने पर, दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता कार्यवाही के लिए एकमात्र बचाव पैराग्राफ 4 के तहत विलय का है।ई. सी. आई. एकमात्र प्राधिकरण है जो प्रतीक आदेश के प्रावधानों के अनुसार किसी राजनीतिक दल के प्रतिद्वंद्वी गुटों के बीच विवादों को तय करने का अधिकार रखता है।

ई.

च

जी.

ङ. विधायक दल का बहुमत विधायक दल के नेता और मुख्य सचेतक की नियुक्ति कर सकता है।1986 के नियम

19 "1986 नियम "

20 (2019) 7 एससीसी 463 21 (2015) 12 एससीसी 381

एच.

896

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 8 एस सी आर।

बशर्ते कि केवल विधायक दल के सदस्य ही अपना नेता चुनेंगे।जब नेता और मुख्य सचेतक का चुनाव विधायक दल के बहुमत द्वारा किया जाता है, तो अध्यक्ष को प्रथम दृष्टया विचार करना चाहिए और दसवीं अनुसूची के उद्देश्यों के लिए ऐसे नेता और मुख्य सचेतक को मान्यता देनी चाहिए।अध्यक्ष के पास विधायक दल के सदस्यों के बहुमत द्वारा चुने गए नेता और मुख्य सचेतक को नियुक्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है; और

च. राज्यपाल द्वारा श्री एकनाथ शिंदे को सरकार बनाने के लिए बुलाने का निर्णय वैध है और इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता क्योंकिः

ग

आई.श्री ठाकरे ने 29 जून 2022 को शक्ति परीक्षण का सामना किए बिना इस्तीफा दे दिया।

ii.श्री ठाकरे के इस्तीफे पर, यह राज्यपाल का संवैधानिक कर्तव्य था कि वह किसी अन्य व्यक्ति को सरकार बनाने के लिए बुलाए, जिसने विधानसभा में बहुमत हासिल किया था; और iii.श्री शिंदे ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और बाद में विधानसभा में अपना बहुमत साबित किया।

डी.

ई.

44. राज्यपाल की ओर से पेश हुए विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने निम्नलिखित दलीलें दींः

ए। श्री ठाकरे को सदन में अपना बहुमत साबित करने के लिए बुलाने का राज्यपाल का निर्णय उचित था क्योंकिः

च

आई. राज्यपाल का यह सुनिश्चित करने का संवैधानिक दायित्व है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को सदन के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो।राज्यपाल ने श्री ठाकरे को मौजूदा परिस्थितियों और उनके सामने मौजूद सामग्री के आधार पर शक्ति परीक्षण का सामना करने का निर्देश दिया।

जी.

ii.शक्ति परीक्षण का निर्देश देते हुए, राज्यपाल ने यह तय नहीं किया कि विधानसभा में किसके पास बहुमत है।इसके अलावा, उन्होंने अयोग्यता याचिकाओं या शिवसेना के भीतर विभाजन से संबंधित किसी भी मामले पर फैसला नहीं किया।

एच.

iii.राज्यपाल को शक्ति परीक्षण के लिए अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करने से नहीं रोका गया है।संवैधानिक औचित्य के लिए राज्यपाल को स्वतंत्र रूप से कार्य करने और तत्काल शक्ति परीक्षण का आह्वान करने की आवश्यकता होती है जब विधान सभा में मौजूदा सरकार के बहुमत के बारे में गंभीर संदेह उठाए गए हैं।वर्तमान मामले में, राज्यपाल ने निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ तथ्यों के आधार पर शक्ति परीक्षण का आह्वान कियाः

I. एस. एस. एल. पी. के नेता के रूप में श्री शिंदे को समर्थन देने की पुष्टि करते हुए एस. एस. एल. पी. के चौंतीस विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव के साथ 21 जून 2022 का पत्र;

ग

II. एस. एस. एल. पी. के अड़तीस विधायकों द्वारा 25 जून 2022 को संबोधित पत्र में दावा किया गया है कि विधायकों और उनके परिवार के सदस्यों की जान को खतरा है और उनकी संपत्ति को भी खतरा है; और

डी.

III. विपक्ष के नेता द्वारा 28 जून 2022 को लिखे गए पत्र में उनसे अनुरोध किया गया है कि वे तत्कालीन मुख्यमंत्री से विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने के लिए कहें।

ई.

बी। एस. आर. बोम्मई (उपरोक्त) और शिवराज सिंह चौहान बनाम भारत संघ 22 में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को सदन का विश्वास प्राप्त है या नहीं, इस बारे में कोई संदेह उत्पन्न होने की स्थिति में तत्काल शक्ति परीक्षण का आह्वान करना सबसे उपयुक्त उपाय है।ग. श्री ठाकरे को सदन में अपना बहुमत साबित करने के लिए बुलाने की राज्यपाल की कार्रवाई के औचित्य का मुद्दा निष्फल हो गया है क्योंकि श्री ठाकरे ने शक्ति परीक्षण का सामना नहीं किया और इसके बजाय मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया; और

च

जी.

घ. श्री शिंदे को पद की शपथ दिलाने के राज्यपाल के निर्णय पर सवाल नहीं उठाया जा सकता क्योंकि यह निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ तथ्यों पर आधारित थाः

एच.

22 (2020) 17 एससीसी 1

आई. श्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा 30 जून 2022 को लिखे गए पत्र में सरकार के गठन के लिए श्री एकनाथ शिंदे को समर्थन दिया गया है।

ii.श्री एकनाथ शिंदे द्वारा 30 जून 2022 को राज्यपाल को सूचित किया गया पत्र कि उन्हें अधिकांश विधायकों का समर्थन प्राप्त है और राज्यपाल से उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया गया है; और

iii.श्री एकनाथ शिंदे का समर्थन करने वाले अन्य दलों के सत्रह निर्दलीय विधायकों और विधायकों द्वारा 30 जून 2022 को लिखे गए पत्र।

45. उत्तरदाताओं के वरिष्ठ वकील श्री मनिंदर सिंह ने निम्नलिखित दलीलें दीं:

ग

ए। दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता याचिकाओं पर अध्यक्ष द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए।याचिकाकर्ताओं द्वारा राजेंद्र सिंह राणा (ऊपर) पर भरोसा करना गलत है क्योंकि उस मामले में अयोग्यता याचिकाओं पर पहले ही अध्यक्ष द्वारा निर्णय लिया जा चुका था।यह केवल अपील में था कि इस न्यायालय ने मामले को अध्यक्ष को वापस भेजने के बजाय अयोग्यता के मुद्दे का फैसला किया;

डी.

बी। दसवीं अनुसूची के तहत अध्यक्ष द्वारा किसी सदस्य को अयोग्य ठहराए जाने के गंभीर परिणाम होते हैं।सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना किसी निर्वाचित प्रतिनिधि की स्वतः या मानित अयोग्यता कभी नहीं हो सकती है।

ई.

(क्षेत्रमयम बीरेन सिंह बनाम माननीय अध्यक्ष, मणिपुर विधान सभा 23) पर भरोसा किया;

ग. दसवीं अनुसूची का उपयोग एक ही राजनीतिक दल के सदस्यों के बीच अंतर-पार्टी असहमति को दबाने के लिए नहीं किया जा सकता है।पार्टी के भीतर असहमति को दलबदल नहीं कहा जा सकता है।इसलिए, उत्तरदाता दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 2 (1) (ए) के तहत निषेधात्मक आचरण में शामिल नहीं थे।पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ असहमति की अभिव्यक्ति का कोई भी कार्य पैराग्राफ 2 (1) (ए) के तहत 'स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ना' नहीं है।पैराग्राफ 2 (1) (बी) भी वर्तमान मामले के तथ्यों में कोई प्रयोज्यता नहीं है;

च

जी.

घ. दसवीं अनुसूची से अनुच्छेद 3 को हटाने के बाद, अध्यक्ष के पास विभाजन का संज्ञान लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

एच.

23 (2022) 2 एससीसी 759 ए

899

सुभाष देसाई बनाम राज्यपाल सचिव, महाराष्ट्र के राज्यपाल [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

एक राजनीतिक दल में।ई. सी. आई. के पास प्रतीक आदेश के पैराग्राफ 15 के तहत किसी राजनीतिक दल में विभाजन का निर्णय लेने का विशेष अधिकार क्षेत्र है; और

ङ. 27 जून 2022 को इस न्यायालय का उत्तरदाताओं को अयोग्यता याचिकाओं का जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय देने का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार था।

46. उत्तरदाताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री महेश जेठमलानी ने निम्नलिखित दलीलें दीं:

ए। संविधान के तहत 'मानित अयोग्यता' की अवधारणा मौजूद नहीं है।अयोग्यता वास्तविक होनी चाहिए और 1986 के नियमों के नियम 7 (7) के तहत अयोग्यता कार्यवाही के लिए एक अनिवार्य प्रक्रिया है।

ग

बी। अध्यक्ष अयोग्यता की कार्यवाही का निर्णय उस तारीख के संदर्भ में करते हैं जिस तारीख को कार्रवाई की जाती है जिसके कारण विधायक को कथित रूप से अयोग्य ठहराया जाता है।तथापि, संविधान के अनुच्छेद 189 (2) और 191 (2) को ध्यान में रखते हुए, अयोग्यता के आदेश का केवल संभावित प्रभाव है; और

डी.

ग. याचिकाकर्ताओं ने उनतीस में से सोलह विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाएं दायर कीं जो श्री शिंदे के गुट का हिस्सा थे ताकि उन लोगों को लुभाया जा सके जिनके खिलाफ याचिकाएं दायर नहीं की गई थीं ताकि वे Mr.Thackeray के गुट की ओर आकर्षित हो सकें।याचिकाकर्ताओं को पता था कि अगर सभी उनतीस विधायकों को अयोग्य ठहराया जाता है, तो एमवीए सरकार गिर जाएगी।बाद में, 27 जून 2022 को, शेष 23 विधायकों के खिलाफ दूसरी अयोग्यता याचिका दायर की गई।

ई.

च

47. उत्तरदाताओं के वरिष्ठ वकील श्री हरीश साल्वे ने निम्नलिखित दलीलें दीं:

ए। अयोग्यता याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान, विधायक सदन की कार्यवाही में भाग लेने के हकदार होते हैं।संविधान का अनुच्छेद 189 (2) इंगित करता है कि किसी सदस्य की बाद में अयोग्यता सदन में किसी भी कार्रवाई को दूषित नहीं करती है; और

जी.

बी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि लेकिन उच्चतम न्यायालय के अंतरिम आदेश के लिए, अयोग्यता का पालन किया गया होगा,

एच.

कि श्री ठाकरे ने इस्तीफा नहीं दिया होगा, और वह विश्वास मत से बच गए होंगे।इस न्यायालय को संवैधानिक मामलों पर निर्णय लेते समय अटकलों के दायरे में नहीं आना चाहिए।इस स्थिति में कि श्री ठाकरे को शक्ति परीक्षण का सामना करना पड़ा, उन्हें अधिकांश विधायकों का समर्थन नहीं मिला होता।विश्वास मत की पूर्व संध्या पर श्री ठाकरे का इस्तीफा इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने सदन का विश्वास खो दिया था।

ई. विश्लेषण

आई. नबाम रेबिया के मामले को एक बड़ी पीठ को संदर्भित करना

ग

48. अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि विधानसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा अध्यक्ष (या उपाध्यक्ष) को उनके पद से हटाया जा सकता है।" संविधान का अनुच्छेद 17 इस प्रकार है:

"179. विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य -

डी.

…

(ग) विधानसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित विधानसभा के प्रस्ताव द्वारा उसे अपने पद से हटाया जा सकता हैःबशर्ते कि खंड (ग) के उद्देश्य के लिए कोई भी प्रस्ताव तब तक पेश नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रस्ताव पेश करने के इरादे के बारे में कम से कम चौदह दिनों की सूचना नहीं दी गई होः

ई.

बशर्ते कि, जब भी विधानसभा भंग की जाती है, अध्यक्ष भंग होने के बाद विधानसभा की पहली बैठक से तुरंत पहले तक अपना पद खाली नहीं करेगा।"

च

49. नबाम रेबिया (ऊपर) में, आई. एन. सी. ने श्री नबाम तुकी के नेतृत्व में अरुणाचल प्रदेश में सरकार बनाई।श्री नबाम रेबिया को अरुणाचल प्रदेश विधान सभा का अध्यक्ष चुना गया।अक्टूबर 2015 में, कांग्रेस के विधायकों के एक वर्ग ने एक अलग समूह का गठन किया और मुख्यमंत्री के नेतृत्व का विरोध किया।कांग्रेस के बीस और दो निर्दलीय विधायकों ने राज्यपाल को पत्र लिखकर दावा किया कि मुख्यमंत्री ने सदन का विश्वास खो दिया है।बाद में, विपक्षी दलों के कुछ विधायकों ने संविधान के अनुच्छेद 17 (सी) के तहत विधानसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए एक प्रस्ताव पेश करने के इरादे का नोटिस जारी किया।इसके बाद, ए.

जी.

एच.

901

सुभाष देसाई बनाम राज्यपाल सचिव, महाराष्ट्र के राज्यपाल [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

कांग्रेस विधायक दल के मुख्य सचेतक ने पार्टी के निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए कांग्रेस के चौदह विधायकों के खिलाफ दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 2 (1) (ए) के तहत अयोग्यता याचिका दायर की।इसके बाद अध्यक्ष ने विधायकों को अयोग्यता याचिकाओं में नोटिस जारी किए।

50. 9 दिसंबर 2015 को राज्यपाल ने एक आदेश जारी कर विधानसभा के सत्र को 14 जनवरी 2016 से 16 दिसंबर 2015 तक आगे बढ़ा दिया।उसी दिन राज्यपाल ने अनुच्छेद 175 (2) के तहत एक संदेश भी जारी किया।संदेश में, उन्होंने अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव को सदन के एजेंडे में पहली वस्तु के रूप में तय किया और उपाध्यक्ष को सदन की कार्यवाही का संचालन करने का काम सौंपा।राज्यपाल ने यह भी निर्देश दिया कि पीठासीन अधिकारी तब तक सदन में पार्टी की संरचना में बदलाव नहीं करेंगे जब तक कि सत्र का सत्रावसान नहीं हो जाता।17 दिसंबर 2015 को मुख्यमंत्री श्री नबाम तुकी के नेतृत्व वाली सरकार ने सदन का विश्वास खो दिया था।

ग

51. इसी संदर्भ में नबाम रेबिया (ऊपर) का निर्णय लिया गया।उस मामले में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने (जे. खेहर द्वारा लिखित बहुमत की राय और जे. मिश्रा द्वारा तत्कालीन विद्वान मुख्य न्यायाधीशों के रूप में सहमत राय के माध्यम से बोलते हुए) अन्य बातों के साथ-साथ फैसला सुनाया कि अध्यक्ष के पद से उन्हें हटाने के लिए एक प्रस्ताव पेश करने के इरादे की सूचना जारी होने के बाद दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेना अध्यक्ष के लिए अस्वीकार्य था।52. जे. खेहर ने अपनी राय को संवैधानिक और नैतिक तर्क पर आधारित किया।विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि जब अध्यक्ष के पद को चुनौती दी जाती है, तो अध्यक्ष के लिए यह "उचित" लगेगा कि वह उनके समक्ष लंबित अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने से पहले अपने पद पर बने रहने के अधिकार को स्थापित करेः

डी.

ई.

च

“189. जब अध्यक्ष के पद को चुनौती दी जाती है, तो उसे हटाने के लिए प्रस्ताव की सूचना के माध्यम से, यह "उचित और उचित" लगेगा कि अध्यक्ष पहले राज्य विधानमंडल में बहुमत का समर्थन जीतकर अपने पद पर बने रहने के अधिकार का प्रदर्शन करता है। दसवीं अनुसूची के तहत एक या अधिक अयोग्यता याचिकाओं को जारी रखने में अध्यक्ष की कार्रवाई, जबकि अध्यक्ष के कार्यालय से खुद को हटाने के लिए प्रस्ताव की सूचना लंबित है, अनुचित प्रतीत होगी।एक अध्यक्ष जिसे अपने बहुमत पर भरोसा है, वह शक्ति परीक्षण से क्यों डरेगा?अध्यक्ष के रूप में अपने पद की पुष्टि होने के बाद, वह निश्चित रूप से और दृढ़ विश्वास के साथ,

जी.

एच.

902

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 8 एस सी आर।

दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता याचिकाओं से निपटें।और, एक अध्यक्ष जो अपने निष्कासन के प्रस्ताव का सामना करने के लिए आश्वस्त नहीं है, उसे दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने का अधिकार क्यों होना चाहिए?जिस तरह से इस मामले की ऊपर जांच की गई है, वह नैतिक विचारों पर आधारित है।हालांकि, एक संवैधानिक मुद्दे का एक संवैधानिक जवाब होना चाहिए।हम निम्नलिखित अनुच्छेदों में तत्काल मुद्दे के संवैधानिक अर्थ से निपटने का प्रयास करेंगे।"

53. जे. खेहर ने "विधानसभा के सभी तत्कालीन सदस्य" वाक्यांश के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए संविधान सभा की बहस का उल्लेख किया जैसा कि अनुच्छेद 17 (सी) (अनुच्छेद 158 का मसौदा) में दिखाई देता है।संविधान सभा में बहस के दौरान, श्री मोहम्मद।ताहिर ने "विधानसभा के सभी तत्कालीन सदस्य" वाक्यांश को "विधानसभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य" वाक्यांश के साथ प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव रखा।हालांकि, प्रस्तावित संशोधन को अस्वीकार कर दिया गया था। न्यायमूर्ति खेहर ने कहा कि संविधान सभा की बहसों में इस प्रस्तावित संशोधन पर कोई चर्चा दर्ज नहीं की गई है।जे. खेहर ने कहा कि इसका अर्थ यह है कि संविधान सभा के सदस्यों ने इस वाक्यांश का उपयोग निश्चितता को इंगित करने के लिए किया और विधानसभा की संरचना में कोई भी परिवर्तन जब अध्यक्ष को हटाने के लिए एक प्रस्ताव पेश करने के इरादे की सूचना लंबित थी, तो यह अनुच्छेद 17 (सी) के स्पष्ट जनादेश के साथ संघर्ष करेगाः

ग

डी.

ई.

“191. […] हम संतुष्ट हैं कि "विधानसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित" शब्द, अध्यक्ष को दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता की कार्यवाही के साथ आगे बढ़ने से रोकेंगे, क्योंकि यह सदन से एक या एक से अधिक विधायकों की अयोग्यता के बाद "सभी तत्कालीन सदस्यों" शब्दों के प्रभाव को नकार देगा।"सभी तत्कालीन सदस्य" शब्द निश्चितता की अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करते हैं।जिस अवधि के दौरान अध्यक्ष (या उपाध्यक्ष) को हटाने के लिए प्रस्ताव की सूचना लंबित है, उस अवधि के लिए मौजूदा विधायकों को अयोग्य ठहराकर विधानसभा की संख्या और संरचना में कोई भी बदलाव अनुच्छेद 17 (सी) के स्पष्ट जनादेश के साथ संघर्ष करेगा, जिसमें सभी "तत्कालीन सदस्यों" को अध्यक्ष के अधिकार को निर्धारित करने की आवश्यकता होती है।"

च

जी.

54. बहुमत की राय ने आगे कहा कि दसवीं अनुसूची के माध्यम से प्राप्त करने का उद्देश्य स्पष्ट है और ए

एच.

903

यह स्पष्ट है कि यह अनुच्छेद 17 (सी) द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य से अलग हैः

“192. दसवीं अनुसूची के माध्यम से प्राप्त किया जाने वाला उद्देश्य स्पष्ट और स्पष्ट है।यह अनुच्छेद 17 (सी) के माध्यम से प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य से असंबंधित और उससे अलग है।उपरोक्त प्रावधानों में से किसी को भी दूसरे के साथ विरोधाभासी के रूप में नहीं देखा जा सकता है।इसलिए, दोनों को अपने व्यक्तिगत संवैधानिक स्थान के भीतर स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए।उनमें से प्रत्येक की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए, जो दूसरे के संवैधानिक विस्तार में चले बिना, प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य की पूर्ति करेगी। व्याख्या ऐसी होनी चाहिए जो संवैधानिक उद्देश्य और सद्भाव बनाए रखे।"

ग

55. खेहर, जे. ने कहा कि यदि अध्यक्ष वोट से बचने से पहले अयोग्यता याचिका का फैसला करते हैं, तो यह अयोग्यता का सामना कर रहे विधायकों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, लेकिन अध्यक्ष पर नहीं।अयोग्य ठहराए गए विधायकों को अध्यक्ष के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा, भले ही अयोग्यता के आदेश को दरकिनार कर दिया गया हो।उनके विचार में, वे अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव में भाग लेने के अवसर से प्रभावी रूप से वंचित रहे होंगे।हालाँकि, यदि अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव को मतदान के लिए रखे जाने के बाद अयोग्यता याचिका पर विचार किया जाता है, तो विधायक भाग लेने का अपना अधिकार नहीं खोएंगे।

डी.

ई.

56. अनुच्छेद 17 के पहले प्रावधान का उल्लेख करते हुए, न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि अध्यक्ष को लाभ होगा यदि उन्हें चौदह दिनों में अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने की अनुमति दी जाती है जब नोटिस लंबित था।उन्होंने कहा कि इसके परिणामस्वरूप विधानसभा के पीठासीन सदस्य के रूप में अध्यक्ष की भूमिका और दसवीं अनुसूची के तहत न्यायाधिकरण के रूप में अध्यक्ष की भूमिका के बीच संवैधानिक संघर्ष होगा।न्यायमूर्ति मिश्रा ने संविधान सभा द्वारा अस्वीकार किए गए अनुच्छेद 17 9 (ग) (अनुच्छेद 158 का मसौदा) के संशोधन का भी उल्लेख किया, ताकि वही निष्कर्ष निकाला जा सके जो संविधान के जे. अनुच्छेद 181 (2) में प्रावधान है कि अध्यक्ष को विधानसभा की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार होगा, जबकि उन्हें पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है, लेकिन मतों की समानता के मामले में वह मतदान करने का हकदार नहीं होगा।विद्वान न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 181 (2) के तहत आवश्यकता जब अनुच्छेद 189 के साथ विरोधाभासी होती है तो उन्हें हटाने की कार्यवाही में भाग लेने के लिए अध्यक्ष की शक्ति को प्रतिबंधित करती है क्योंकि अध्यक्ष को समानता की स्थिति में मतदान करने की शक्ति दी गई है।

च

जी.

एच.

बाद के प्रावधान के तहत वोट।न्यायाधीश के विचार में, इस संवैधानिक डिजाइन ने संकेत दिया कि अध्यक्ष को उन्हें हटाने के प्रस्ताव में हस्तक्षेप करने की शक्ति नहीं दी जा सकती है।

57. मदन लोकुर, जे. ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय को इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए नहीं बुलाया गया थाः

“401. मैंने जो विचार रखा है, उसमें मेरी राय है कि विधान सभा के चौदह सदस्यों के संबंध में संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत निर्णय लेने की अध्यक्ष की शक्ति या औचित्य के संबंध में मेरे विद्वान भाइयों द्वारा व्यक्त किया गया विचार इन अपीलों में बिल्कुल भी नहीं आता है।"58. जैसा कि इस निर्णय के पिछले खंड में देखा गया था, इस न्यायालय ने इस सवाल पर विचार करने को स्थगित कर दिया कि क्या नबाम रेबिया (उपरोक्त) में निर्णय को मामले के गुण-दोष पर सुनवाई समाप्त होने तक एक बड़ी पीठ को भेजा जाना चाहिए।

ग

59. सभी पक्षों के वकीलों द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार करने के बाद, हमारा विचार है कि नबाम रेबिया (उपरोक्त) में निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यात्मक परिदृश्य पर लागू नहीं होता है।

डी.

60. संविधान के अनुच्छेद 180 के अनुसार, उपाध्यक्ष अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करता है जबकि अध्यक्ष का पद खाली होता है। अध्यक्ष के कार्यों में अयोग्यता याचिकाओं का निर्णय शामिल है।वर्तमान मामले में, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष का पद खाली था और उपाध्यक्ष श्री नरहरि जिरवाल अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन कर रहे थे।कहा जाता है कि अनुच्छेद 17 के तहत उन्हें हटाने के लिए एक प्रस्ताव पेश करने के इरादे का नोटिस 22 जून 2022 को जारी किया गया था।श्री सुनील प्रभु ने 23 जून 2022 को श्री शिंदे के नेतृत्व में कुछ विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की।

ई.

च

61. पहली परिस्थिति 21 जून 2022 के नोटिस के साथ शुरू होती है, जिसमें अनुच्छेद 17 (सी) के तहत उपाध्यक्ष को अपने कार्यों का निर्वहन करने से बचने के लिए कहा गया है।उपसभापति का जवाब महत्वपूर्ण है।प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः

जी.

“उक्त संचार की विषय वस्तु की गंभीरता को देखते हुए, यह आवश्यक है कि उसे अभिलेख पर लेने से पहले संचार की वास्तविकता का सत्यापन और पता लगाया जाए।इसलिए, जब तक कि जिन व्यक्तियों ने कथित रूप से उपरोक्त संचार पर हस्ताक्षर किए हैं, वे ए को संतुष्ट नहीं करते हैं।

एच.

905

सुभाष देसाई बनाम राज्यपाल सचिव, महाराष्ट्र के राज्यपाल [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

इस तरह के किसी भी नोटिस की प्रामाणिकता के बारे में अधोहस्ताक्षरित, इस तरह के संचार को रिकॉर्ड में लेने या उस पर कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।उसी को ध्यान में रखते हुए और सदन के स्वामी के रूप में मेरी क्षमता में, जब तक कि इस तरह के किसी भी संचार और उसके हस्ताक्षरकर्ताओं की वास्तविकता और सत्यता का पता नहीं चल जाता है, तब तक आगे कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है और कहा जा सकता है कि दिनांकित संचार इसलिए रिकॉर्ड पर नहीं लिया जा रहा है।इस तरह की कोई भी सूचना तभी दर्ज की जाएगी जब मैं इसकी वास्तविकता और प्रामाणिकता से संतुष्ट हो जाऊंगा।"62. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि उपाध्यक्ष ने अनुच्छेद 17 (सी) के तहत नोटिस का संज्ञान नहीं लेने का फैसला किया।हमारा मानना है कि अध्यक्ष न्यायनिर्णायक होने के नाते, अधिकार क्षेत्र के बारे में उनकी समझ कि वे प्रयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण है।उपाध्यक्ष 25 जून 2022 को उत्तरदाताओं को नोटिस जारी करने के लिए आगे बढ़े, जिसमें उन्हें 27 जून 2022 तक लिखित प्रस्तुतियाँ दाखिल करने की आवश्यकता थी।नोटिस इस प्रकार थाः

ग

“जबकि आवेदक ने उप-सभापति, महाराष्ट्र विधान सभा के समक्ष गैर-आवेदक की अयोग्यता के लिए 2022 का आवेदन संख्या 1 दायर किया है, हम इसके द्वारा सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ नीचे दिए गए समन जारी करते हैं।आपको निर्देश दिया जाता है कि

महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्यों (दलबदल के आधार पर अयोग्यता) नियम 1986 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सोमवार, 27 जून 2022 तक शाम 5:30 बजे तक उपाध्यक्ष को लिखित प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत करें।आपको यह भी निर्देश दिया जाता है कि आप इस उत्तर के साथ उन सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को जमा करें जिन पर आप भरोसा करने जा रहे हैं या जिन पर आप निर्भर हैं।आप यह भी ध्यान दें कि यदि ये लिखित प्रस्तुतियाँ निर्धारित समय के भीतर नहीं दी जाती हैं, तो यह माना जाएगा कि आपको इस आवेदन पर कुछ नहीं कहना है और उसी के अनुसार निर्णय लिया जाएगा।"

डी.

ई.

च

63. जैसा कि उपरोक्त से स्पष्ट है, उपसभापति ने नबाम रेबिया (उपरोक्त) में निर्णय को दसवीं अनुसूची के तहत की गई शिकायत पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ने में बाधा नहीं माना।

जी.

64. सोलह विधायकों ने इस न्यायालय के समक्ष अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका दायर की। (ग) 2022 की संख्या 468-469 दो आधारों को उठाती है।पहला नबाम रेबिया (ऊपर) में निर्णय के मद्देनजर सुनवाई के साथ आगे बढ़ने में अध्यक्ष की अक्षमता से संबंधित है।दूसरा आधार डिप्टी द्वारा जारी समन की वैधता से संबंधित है।

एच.

अध्यक्ष लिखित बयान दाखिल करने के लिए केवल अड़तालीस घंटे का समय देते हैं।महत्वपूर्ण बात यह है कि इस न्यायालय द्वारा 27 जून 2022 को पारित आदेश निम्नानुसार हैः

“इस बीच एक अंतरिम उपाय के रूप में, विधानसभा के उपाध्यक्ष द्वारा याचिकाकर्ताओं या विधान सभा के अन्य समान रूप से नियुक्त सदस्यों को 5.30P.M द्वारा अपनी लिखित प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत करने के लिए आज तक दिया गया समय 12.07.2022 तक बढ़ा दिया गया है।"65. यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय ने उपसभापति को दसवीं अनुसूची के तहत मामलों की सुनवाई करने से रोक नहीं लगाया था।वास्तव में, इस न्यायालय ने केवल एक लिखित बयान दाखिल करने का समय 12 जुलाई 2022 तक बढ़ा दिया, जो यह दर्शाता है कि इस न्यायालय का इरादा था कि कार्यवाही जारी रहे।

ग

66. याचिकाकर्ताओं का आग्रह है कि 27 जून 2022 का इस न्यायालय का आदेश नबाम रेबिया (उपरोक्त) में उपाध्यक्ष को अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने से रोकने के निर्णय पर निर्भर करता है।यह निवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता है।हालाँकि पार्टियों ने नबाम रेबिया (ऊपर) की प्रयोज्यता पर इस अदालत को संबोधित किया होगा, लेकिन 27 जून 2022 का आदेश नबाम रेबिया (ऊपर) पर निर्भर नहीं था कि वह उपाध्यक्ष को अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने से इस आधार पर रोक दे कि उन्हें हटाने के लिए एक प्रस्ताव पेश करने के इरादे का नोटिस जारी किया गया था।इसके बजाय इस न्यायालय ने उन व्यक्तियों को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अपनी लिखित दलीलें दायर करने के लिए समय बढ़ाने की अनुमति दी, जिनके खिलाफ अयोग्यता याचिकाएं दायर की गई थीं।

डी.

ई.

67. इसके तुरंत बाद अध्यक्ष का चुनाव किया गया और श्री राहुल नार्वेकर को अध्यक्ष नियुक्त किया गया।नतीजतन, उपाध्यक्ष को अब अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन करने की आवश्यकता नहीं थी।यह अध्यक्ष के हाथ में था कि वह किसी भी अयोग्यता याचिका पर निर्णय करे जो लंबित थी।इस मामले में, नबाम रेबिया (ऊपर) हमारे सामने लिस पर लागू नहीं होता है।इसलिए हम मामले के गुण-दोष पर फैसला देंगे।

च

68. उपसभापति द्वारा सुनवाई के लिए आगे नहीं बढ़ने का कारण पूरी तरह से उसके बाद की घटनाओं को माना जा सकता है। उपसभापति को हटाने के लिए एक प्रस्ताव पेश करने के इरादे की सूचना जारी होने के बाद, बाद की घटनाएं जैसे कि राज्यपाल ने तत्कालीन मुख्यमंत्री को सदन में बहुमत साबित करने के लिए कहा, उसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री का इस्तीफा, नई सरकार का गठन, नए अध्यक्ष का चुनाव और ए.

जी.

एच.

907

सुभाष देसाई बनाम राज्यपाल सचिव, महाराष्ट्र के राज्यपाल [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

एक पखवाड़े के भीतर होने वाले विश्वास मत के पारित होने से यह मुद्दा अब सात न्यायाधीशों को पीछे की सीट पर भेज दिया गया। इन घटनाओं ने सत्ता संरचना में एक नाटकीय परिवर्तन लाया और इस तरह के परिवर्तन के कारण वर्तमान कार्यवाही के लिए मुख्य चुनौती और अधिक मौलिक बन गए।याचिकाकर्ताओं का मामला अब (i) राज्यपाल द्वारा तत्कालीन मुख्यमंत्री को अपना बहुमत साबित करने के लिए बुलाना; (ii) श्री एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाना; (iii) सदन द्वारा अध्यक्ष का चुनाव जिसमें उन चौंतीस विधायक शामिल थे जिन्हें अयोग्यता के नोटिस का सामना करना पड़ रहा है; और (iv) 4 जुलाई 2022 के विश्वास मत की वैधता के निर्णयों के प्रति उनकी चुनौतियों पर आधारित है।

ग

69. यद्यपि नबाम रेबिया (ऊपर) में निर्णय हमारे समक्ष तथ्यात्मक परिदृश्य पर लागू नहीं होता है, हम उन प्रतिस्पर्धी विचारों के प्रति सचेत हैं जिन्होंने इस न्यायालय को 23 अगस्त 2022 के अपने आदेश में सक्रिय किया था जिसके द्वारा नबाम रेबिया (ऊपर) में निर्णय को एक संविधान पीठ को भेजा गया था।उस आदेश में, इस न्यायालय ने प्रथम दृष्टया एक राय बनाई कि नबाम रेबिया (ऊपर) में निर्धारित कानून का प्रस्ताव "विरोधाभासी तर्क" पर आधारित था।" संदर्भ टिप्पणियों का क्रमः

डी.

“4. हम प्रथम दृष्टया देख सकते हैं कि नबाम रेबिया (ऊपर) में संविधान पीठ द्वारा निर्धारित कानून का प्रस्ताव विरोधाभासी तर्क पर आधारित है, जिसके लिए संवैधानिक नैतिकता को बनाए रखने के लिए अंतराल भरने की आवश्यकता होती है।इस प्रकार, इस प्रश्न के लिए आवश्यक अंतराल भरने की प्रक्रिया के लिए एक संविधान पीठ को संदर्भित करने की आवश्यकता है।"

ई.

70. हमारे समक्ष प्रस्तुत की गई दलीलों के आधार पर, हमारा विचार है कि नबाम रेबिया (उपरोक्त) में निर्णय एक बड़ी पीठ के संदर्भ के योग्य है क्योंकि कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न का निपटारा किया जाना बाकी है।इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए हमारे प्राथमिक कारण निम्नलिखित हैंः

च

क. नबाम रेबिया (उपर्युक्त) किहोतो होल्लोहन (उपर्युक्त) के फैसले के विपरीत है क्योंकि किहोतो होल्लोहन (उपर्युक्त) के फैसले में कहा गया है कि दसवीं अनुसूची के तहत कार्यवाही पर निर्णय लेते समय अध्यक्ष की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है।इसके विपरीत, नबाम रेबिया (ऊपर) में, इस न्यायालय ने अध्यक्ष को हटाने के लिए एक प्रस्ताव पेश करने के इरादे का नोटिस जारी किए जाने के बाद अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेते समय अध्यक्ष की तटस्थ रहने की क्षमता पर संदेह किया।

जी.

एच.

908

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 8 एस सी आर।

बी। नबाम रेबिया (ऊपर) में, इस न्यायालय ने अनुच्छेद 17 9 (सी) में "सभी तत्कालीन सदस्यों" वाक्यांश की व्याख्या करने के लिए संविधान सभा की बहसों का उल्लेख किया।इस न्यायालय ने श्री मोहम्मद ताहिर द्वारा पेश किए गए संशोधन पर ध्यान दिया, जिसमें प्रस्ताव किया गया था कि अनुच्छेद 17 (सी) (अनुच्छेद 158 (सी) का मसौदा) में "विधानसभा के सभी तत्कालीन सदस्य" शब्द को "विधानसभा के सभी सदस्य उपस्थित और मतदान करने वाले" शब्द से प्रतिस्थापित किया जाए।" नबाम रेबिया (ऊपर) में, इस न्यायालय ने देखा कि इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था और कहा कि "संविधान सभा की बहसों में उपरोक्त संशोधन पर कोई चर्चा दर्ज नहीं की गई है।" अन्य बातों के साथ-साथ इस न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि "विधानसभा के सभी तत्कालीन सदस्य" वाक्यांश का अर्थ यह है कि अध्यक्ष (या उपाध्यक्ष) को हटाने के लिए प्रस्ताव पेश करने के इरादे की सूचना जारी होने के बाद विधानसभा की संरचना में बदलाव नहीं किया जाना चाहिए।हालाँकि, संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान के अन्य प्रावधानों में आने वाले वाक्यांश "सभी तत्कालीन सदस्य" के महत्व पर चर्चा की।डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने स्पष्ट किया कि "सभी तत्कालीन सदस्य" वाक्यांश का उपयोग उन सभी सदस्यों को इंगित करने के लिए किया गया है जो संसद के सदस्य हैं और जिनकी सीटें खाली नहीं हैं, और इसका मतलब यह नहीं है कि सदस्य बैठ रहे हैं या उपस्थित हैं और मतदान कर रहे हैं।ऐसा प्रतीत होता है कि इस न्यायालय ने संविधान सभा की बहसों को व्याख्या की आंतरिक सहायता के रूप में उपयोग करते हुए "सभी तत्कालीन सदस्य" वाक्यांश के संबंध में संविधान सभा में हुई चर्चा की संपूर्णता पर ध्यान नहीं दिया है।

ग

डी.

ई.

ग. संविधान के अनुच्छेद 181 में प्रावधान है कि जब तक उन्हें हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है, तब तक अध्यक्ष विधानसभा की बैठक की अध्यक्षता नहीं करेंगे।/ ऐसा प्रतीत होता है कि नबाम रेबिया (ऊपर) में बहुमत ने अनुच्छेद 181 के प्रभाव और महत्व पर विचार नहीं किया, और क्या संविधान में अनुच्छेद 181 द्वारा लगाए गए सीमित प्रतिबंधों से परे अध्यक्ष के कार्यों पर कोई प्रतिबंध लगाने की परिकल्पना की गई है;

च

जी.

घ. अनुच्छेद 17 के दूसरे परंतुक में प्रावधान है कि जब भी विधानसभा भंग की जाती है, तो अध्यक्ष 'क' की पहली बैठक से तुरंत पहले तक अपना पद खाली नहीं करेगा।

एच.

909

सुभाष देसाई बनाम राज्यपाल सचिव, महाराष्ट्र के राज्यपाल [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

विघटन के बाद सभा।इस न्यायालय ने इस बात पर विचार नहीं किया कि क्या संविधान इस प्रावधान को ध्यान में रखते हुए दसवीं अनुसूची के तहत अध्यक्ष के कार्यों के निरंतर प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने की परिकल्पना करता है।

ई. महाराष्ट्र विधानसभा नियमों के नियम 11 में कहा गया है कि अनुच्छेद 178 के प्रावधान के तहत प्रदान किए गए चौदह दिनों की अवधि समाप्त होने पर, प्रस्ताव को पेश करने की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब उनतीस सदस्य इसके पक्ष में मतदान करते हैं। इस न्यायालय ने इस संभावना पर विचार नहीं किया कि अध्यक्ष को हटाने के लिए एक प्रस्ताव पेश करने के इरादे की सूचना इस तरह के प्रस्ताव को पेश करने में समाप्त नहीं हो सकती है।अध्यक्ष को सदन के एक सदस्य द्वारा प्रस्ताव पेश करने के इरादे की सूचना जारी करने के आधार पर अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने से प्रभावी रूप से रोका जा सकता है।

ग

च. ऐसा प्रतीत होता है कि निम्नलिखित पहलुओं पर विचार नहीं किया गया था।

डी.

नबाम रेबिया (ऊपर) में:

आई. क्या दसवीं अनुसूची के तहत अध्यक्ष के कार्यों की अस्थायी अक्षमता उन विधायकों द्वारा दुरुपयोग की संभावना है जो यह अनुमान लगाते हैं कि उनके खिलाफ अयोग्यता याचिकाएं दायर की जाएंगी या उन विधायकों द्वारा जिनके खिलाफ अयोग्यता याचिकाएं पहले ही दायर की जा चुकी हैं; और

ई.

ii.क्या अध्यक्ष के अस्थायी रूप से अक्षम होने के कारण दसवीं अनुसूची के संचालन में "संवैधानिक विराम" आता है।

च

71. इस मुद्दे को शांत करने के लिए, हम निम्नलिखित प्रश्न (और कोई भी संबद्ध मुद्दे जो उत्पन्न हो सकते हैं) को एक बड़ी पीठ के पास भेजते हैं:क्या अध्यक्ष को हटाने के लिए प्रस्ताव पेश करने के इरादे की सूचना जारी करना उन्हें संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने से रोकता है।उचित आदेशों के लिए मामले को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जा सकता है।हम तदनुसार इस निर्णय के पैराग्राफ 32 (ए) में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर देते हैं।72. वृहद न्यायपीठ के निर्णय तक, एक अंतरिम उपाय के रूप में, निम्नलिखित प्रक्रिया को अपनाना दसवीं अनुसूची, प्रतीक आदेश के साथ-साथ अनुच्छेद 17 (सी) के उद्देश्य को कम कर सकता है।यह कुछ मात्रा में स्पष्टता और निश्चितता भी प्रदान कर सकता है।

जी.

एच.

ए। दसवीं अनुसूची के तहत शिकायतों को निर्धारित करने के लिए अध्यक्ष पर विशेष न्यायिक क्षेत्राधिकार का निवेश अध्यक्ष को उनके अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाने वाले आवेदनों पर निर्णय लेने और निर्णय लेने का अधिकार देगा; और

ख. (i) अध्यक्ष उन आवेदनों पर निर्णय लेने का हकदार है जिनके लिए उन्हें अनुच्छेद 17 (ग) के तहत उन्हें हटाने के लिए प्रस्ताव शुरू करने के आधार पर दसवीं अनुसूची के तहत कार्यवाही पर निर्णय लेने से बचना आवश्यक है।एक अध्यक्ष इस बात की जांच कर सकता है कि क्या आवेदन प्रामाणिक है या केवल निर्णय से बचने के लिए है।

((ii) यदि अध्यक्ष को लगता है कि प्रस्ताव अच्छी तरह से स्थापित है, तो वे दसवीं अनुसूची के तहत कार्यवाही को तब तक स्थगित कर सकते हैं जब तक कि उन्हें हटाने का निर्णय समाप्त नहीं हो जाता।दूसरी ओर, यदि वे मानते हैं कि प्रस्ताव संविधान के तहत

विचार की गई प्रक्रिया के अनुसार नहीं है, जिसे प्रासंगिक नियमों के साथ पढ़ा जाता है, तो वे याचिका को अस्वीकार करने और सुनवाई के साथ आगे बढ़ने के हकदार हैं; और

ग

डी.

((ग) अध्यक्ष का अनुच्छेद 17 (ग) के तहत लंबित कार्यवाही को देखते हुए दसवीं अनुसूची के तहत कार्यवाही को स्थगित करने या सुनवाई के साथ आगे बढ़ने का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा।चूंकि अध्यक्ष का निर्णय उनके अधिकार क्षेत्र से संबंधित है, इसलिए किहोतो होलोहन (ऊपर) में विचार किए गए एक चौथाई कार्रवाई का प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

ई.

ii.इस न्यायालय की पहली बार में अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने की शक्ति

च

73. याचिकाकर्ताओं ने आग्रह किया है कि अध्यक्ष को अयोग्यता याचिकाओं के निर्णय का काम नहीं सौंपा जा सकता है क्योंकि वह पक्षपाती और पक्षपातपूर्ण हैं क्योंकि उन्हें उन विधायकों के समर्थन से नियुक्त किया गया था जिनके खिलाफ अयोग्यता याचिकाएं दायर की गई हैं।उन्होंने यह तर्क देने के लिए राजेंद्र सिंह राणा (ऊपर) पर भरोसा किया है कि इस अदालत को प्रतिवादियों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करना चाहिए।

जी.

74. संविधान के अनुच्छेद 191 (2) में कहा गया है कि दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य ठहराए गए विधायक को सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा।दसवीं अनुसूची के अनुच्छेद 6 के तहत, अध्यक्ष के पास अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेने का विशेष अधिकार क्षेत्र है।पैराग्राफ 8 सदन के अध्यक्ष या अध्यक्ष को किसी भी प्रश्न पर निर्णय लेने की प्रक्रिया पर नियम बनाने का अधिकार देता है।

एच.

911

सुभाष देसाई बनाम राज्यपाल सचिव, महाराष्ट्र के राज्यपाल [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

पैराग्राफ 6 में किसी भी जांच के लिए प्रक्रिया शामिल है जो ऐसे प्रश्न का निर्णय लेने के उद्देश्य से की जा सकती है।पैराग्राफ 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र विधान सभा के अध्यक्ष ने 1986 के नियमों को अधिसूचित किया।

75. 1986 के नियमों के नियम 6 में अध्यक्ष के समक्ष सदन के किसी सदस्य के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।नियम 7 में प्रावधान है कि अध्यक्ष या तो नियम 6 के तहत निर्धारित आवश्यकताओं का पालन न करने के लिए याचिका को खारिज कर सकते हैं या सदन के किसी सदस्य के खिलाफ अयोग्यता के प्रश्न को निर्धारित करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।नियम 7 (7) के अनुसार, अध्यक्ष को ऐसे सदस्य को अपने मामले का प्रतिनिधित्व करने का उचित अवसर देना चाहिए।नियम 8 में प्रावधान है कि अध्यक्ष मामले के गुण-दोष पर उचित विचार करने के बाद या तो अयोग्यता याचिका को खारिज कर देगा या घोषणा करेगा कि सदस्य लिखित आदेश द्वारा दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के अधीन हो गया है।इस प्रकार, दसवीं अनुसूची (महाराष्ट्र के लिए 1986 के नियमों के साथ पढ़ें) दसवीं अनुसूची के तहत अध्यक्ष द्वारा शक्ति के प्रयोग का मार्गदर्शन करने वाली एक विस्तृत प्रक्रिया प्रदान करती है।अध्यक्ष को इस प्रक्रिया का पालन करते हुए अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेना चाहिए।76. किहोतो होल्लोहन (ऊपर) में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अध्यक्ष दसवीं अनुसूची के प्रयोजनों के लिए एक न्यायाधिकरण है। इसलिए, दसवीं अनुसूची के तहत शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुच्छेद 136,226 और 227 के तहत न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन है।इस न्यायालय ने आगे कहा कि पैराग्राफ 6 (2) में निहित अंतिमता खंड अदालतों की अधिकारिता को पूरी तरह से बाहर नहीं करता है।हालाँकि, यह अभिनिर्धारित किया गया कि ऐसा खंड न्यायिक समीक्षा के दायरे को सीमित करता है क्योंकि संविधान का उद्देश्य अध्यक्ष या अध्यक्ष को दसवीं अनुसूची के तहत "न्यायिक शक्तियों का भंडार" बनाना है।इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अध्यक्ष या सभापति के निर्णय से पहले के स्तर पर न्यायिक समीक्षा उपलब्ध नहीं है, सिवाय उस मामले में विस्तृत कुछ असाधारण परिस्थितियों के।इस प्रकार, किहोतो होल्लोहन (उपर्युक्त) यह स्पष्ट करते हैं कि दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के प्रश्न

पर निर्णय लेने की अनन्य शक्ति सदन के अध्यक्ष या सभापति के पास निहित है।77. याचिकाकर्ताओं ने राजेंद्र सिंह राणा (उपरोक्त) पर भरोसा करते हुए आग्रह किया है कि इस न्यायालय को अपने असाधारण अधिकार क्षेत्र का उपयोग करना चाहिए और प्रतिवादी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता के सवाल का फैसला स्वयं करना चाहिए। वैकल्पिक रूप से, यह आग्रह किया जाता है कि इस न्यायालय को उपाध्यक्ष, श्री ज़िरवाल, जो 3 जुलाई 2022 से पहले अध्यक्ष के कार्यों का पालन कर रहे थे, को अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने का निर्देश देना चाहिए।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

78. राजेंद्र सिंह राणा (उपरोक्त) में बहुजन समाज पार्टी के तेरह विधायकों के खिलाफ 4 सितंबर 2003 को अयोग्यता याचिका दायर की गई थी।26 अगस्त 2003 को, अध्यक्ष ने बी. एस. पी. में विभाजन को स्वीकार किया और लोक तांत्रिक बहुजन दल के नाम से एक अलग समूह को मान्यता दी। जिन तेरह विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाएं दायर की गई थीं, वे भी लोक तांत्रिक बहुजन दल का हिस्सा थे। 6 सितंबर 2003 को, अध्यक्ष ने तेरह विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लिए बिना लोक तांत्रिक बहुजन दल के समाजवादी पार्टी में विलय को स्वीकार कर लिया। 7 सितंबर 2005 को अध्यक्ष ने विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं को खारिज कर दिया। 28 फरवरी 2006 के अपने फैसले से, उच्च न्यायालय ने विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं को खारिज करने वाले अध्यक्ष के आदेश को रद्द कर दिया और उन्हें याचिकाओं पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया।

ग

79. अपील पर, इस न्यायालय ने कहा कि जब संबंधित प्राधिकारी ने कोई निर्णय नहीं लिया है तो पहली बार अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेना उसके लिए उचित नहीं होगा।इसने कहा कि यह न्यायालय आम तौर पर कानून के अनुसार उचित निर्णय लेने के लिए अध्यक्ष या अध्यक्ष को मामला भेजेगा।हालाँकि, इस न्यायालय ने निम्नलिखित विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने का निर्णय लिया:(i) उस मामले में विधानसभा का अध्यक्ष समयबद्ध तरीके से अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेने में विफल रहा; (ii) अध्यक्ष ने इस मुद्दे पर निर्णय लिया कि क्या पार्टी में विभाजन हुआ था, यह तय किए बिना कि क्या विचाराधीन विधायकों को अयोग्य ठहराया गया था; और (iii) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अयोग्यता याचिकाओं पर अध्यक्ष द्वारा तीन साल से अधिक समय तक निर्णय नहीं लिया गया था और विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा था।उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की राय थी कि अयोग्यता की कार्यवाही को अध्यक्ष को भेजने से वे निष्फल हो जाएंगे।

डी.

ई.

च

80. इस न्यायालय को आम तौर पर संवैधानिक इरादे को ध्यान में रखते हुए पहली बार में अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने से बचना चाहिए।अयोग्यता के प्रश्न का निर्णय संबंधित संवैधानिक प्राधिकारी, अर्थात् विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके किया जाना चाहिए।सदन का सदस्य होने के लिए किसी व्यक्ति को अयोग्य ठहराने से संबंधित सदस्य के लिए और विस्तार से, उस निर्वाचन क्षेत्र के नागरिकों के लिए भारी परिणाम होते हैं।इसलिए, अयोग्यता का कोई भी सवाल

जी.

एच.

24 "बीएसपी "

913

सुभाष देसाई बनाम राज्यपाल सचिव, महाराष्ट्र के राज्यपाल [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

क.

कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करके निर्णय लिया जाना चाहिए।क्षेत्रमयम बीरेन सिंह (उपरोक्त) मामले में, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने पैराग्राफ 2 (1) (ए) के तहत विधायकों को साक्ष्य देने और अपना मामला पेश करने का अवसर नहीं देने के लिए अयोग्य ठहराने के अध्यक्ष के आदेश को रद्द कर दिया।अध्यक्ष को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए अयोग्यता याचिकाओं पर नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था।यहां तक कि उन मामलों में भी जहां अध्यक्ष कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किए बिना अयोग्यता याचिकाओं का फैसला करता है, यह न्यायालय आम तौर पर अयोग्यता याचिकाओं को अध्यक्ष को भेज देता है।इसलिए, असाधारण परिस्थितियों की अनुपस्थिति में, अध्यक्ष दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के लिए याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी हैं।

ग

81. याचिकाकर्ताओं ने आग्रह किया है कि तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, इस न्यायालय को अयोग्यता की कार्यवाही को महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष को इस आधार पर नहीं भेजना चाहिए कि उन्होंने खुद को निष्पक्ष और निष्पक्ष रूप से कार्य करने में असमर्थ दिखाया है।याचिकाकर्ता के निवेदन को संबोधित करने से पहले, संविधान के तहत अध्यक्ष की स्थिति का उल्लेख करना आवश्यक है।अनुच्छेद 178 में प्रावधान है कि विधानसभा, जितनी जल्दी हो सके, विधानसभा के दो सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी।अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया आम तौर पर विधान सभा के प्रासंगिक नियमों द्वारा प्रदान की जाती है।

डी.

ई.

82. संसदीय लोकतंत्र में, अध्यक्ष विधानसभा का एक अधिकारी होता है।अध्यक्ष सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता करने और सभी उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए सदन का प्रतिनिधित्व करने का कार्य करता है।किहोतो होल्लोहन (ऊपर) में, यह तर्क दिया गया था कि अध्यक्ष एक स्वतंत्र न्यायिक तंत्र का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं क्योंकि वे विधानसभा के बहुमत से चुने जाते हैं।इस तर्क को खारिज करते हुए, इस न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि संसदीय परंपरा में अध्यक्ष के पद को उच्च सम्मान दिया जाता है।न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अध्यक्ष औचित्य और निष्पक्षता का प्रतीक है और इसलिए अध्यक्ष के कार्यालय में अविश्वास व्यक्त करना अनुचित हैः

च

जी.

“118. वास्तव में, उस महान पद की उच्च परंपराओं के लिए यह कहना अनुचित होगा कि इस अधिकार क्षेत्र में निवेश लोकतंत्र की मूल विशेषता के उल्लंघन के लिए दूषित किया जाएगा।यह है।

अध्यक्ष के उच्च पद में अविश्वास व्यक्त करना अनुचित है, केवल इसलिए कि कुछ अध्यक्षों पर आरोप लगाया जाता है, या पाया जाता है कि उन्होंने अपने कार्यों का निर्वहन नहीं किया है।

एच.

उस उच्च पद की महान परंपराओं को बनाए रखते हुए।अध्यक्ष के वस्त्र बदल जाते हैं और आदमी को अंदर से ऊपर उठा देते हैं।"

(जोर दिया गया) 83।याचिकाकर्ताओं ने श्रीमंत के फैसले पर भरोसा किया है

बालासाहेब पाटिल बनाम अध्यक्ष, कर्नाटक विधान सभा, 25

जहाँ यह देखा गया कि अध्यक्ष सार्वजनिक विश्वास और विश्वास के साथ शांत होने के योग्य नहीं हैं यदि वे अपने राजनीतिक दल से अलग होने में सक्षम नहीं हैं और यदि वे तटस्थता की भावना के विपरीत कार्य करते हैं और

स्वतंत्रता।श्रीमंत बालासाहेब पाटिल (ऊपर) में, अध्यक्ष

कुछ विधायकों को अयोग्य घोषित करने के आदेश जारी किए, उन्हें चुनाव लड़ने और विधानसभा के शेष कार्यकाल के लिए सदस्य बनने से रोक दिया।इस अदालत ने अयोग्यता के सवाल पर अध्यक्ष के फैसले को बरकरार रखा।हालाँकि, इसने माना कि अध्यक्ष के पास दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता की अवधि निर्दिष्ट करने की शक्ति नहीं है।यह अध्यक्ष द्वारा शक्ति के असंवैधानिक प्रयोग को ध्यान में रखते हुए था कि इस न्यायालय ने उन सामान्य सिद्धांतों पर व्याख्या की जिनका एक अध्यक्ष से अयोग्यता के प्रश्नों का निर्णय लेते समय पालन करने की अपेक्षा की जाती है।

ग

डी.

84. इस मामले में इस अदालत के समक्ष भी इसी तरह की दलील दी गई थी।

कीशम मेघचंद्र सिंह बनाम माननीय अध्यक्ष मणिपुर

विधान सभा 26, जहाँ यह प्रस्तुत किया गया था कि इस न्यायालय को अयोग्यता याचिकाएँ लंबित होने पर मंत्री के रूप में एक विधायक की नियुक्ति के खिलाफ यथास्थिति वारंट जारी करना चाहिए।प्रस्तुतिकरण को अस्वीकार करते हुए, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

ई.

“8. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कपिल सिब्बल ने 2017 के एस. एल. पी. (सी) संख्या 18659 से उत्पन्न दीवानी अपील में तर्क दिया है कि वर्तमान मामले में अध्यक्ष ने जानबूझकर उनके समक्ष अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने से इनकार कर दिया है। इन परिस्थितियों में, उन्होंने हमें प्रतिवादी संख्या 3 के खिलाफ यथास्थिति वारंट जारी करने का आह्वान करते हुए कहा है कि उन्होंने एक संवैधानिक पद हड़प लिया है, और यह घोषणा करने के लिए कि वह ऐसा नहीं कर सकते हैं।

च

जी.

32. श्री सिब्बल की इस दलील को स्वीकार करना संभव नहीं है कि यह न्यायालय प्रतिवादी संख्या 3 की कैबिनेट मंत्री के रूप में नियुक्ति को रद्द करने के लिए यथास्थिति वारंट जारी करता है।

25 (2020) 2 एस. सी. सी. 595

26 (2020) एससीसी ऑनलाइन एससी 55 ए

एच.

भाजपा सरकार के नेतृत्व में।श्रीमती माधवी दीवान का कहना सही है कि दसवीं अनुसूची के तहत विधायक और परिणामस्वरूप मंत्री होने की अयोग्यता का निर्णय पहले इस संबंध में विशेष प्राधिकारी, अर्थात् मणिपुर विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाना चाहिए। श्री सिब्बल के इस तर्क को स्वीकार करना भी संभव नहीं है कि अध्यक्ष की निष्क्रियता को देखते हुए इन अपीलों में अयोग्यता याचिका पर इस न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाए।यह नहीं कहा जा सकता है कि वर्तमान मामले के तथ्य राजिंदर सिंह राणा (उपरोक्त) के तथ्यों के समान हैं।वर्तमान मामले में, विधान सभा का जीवन केवल मार्च, 2022 में समाप्त होता है, जबकि राजिंदर सिंह राणा (उपरोक्त) में, लेकिन इस न्यायालय द्वारा अयोग्यता याचिका पर प्रभावी निर्णय लेने के लिए, याचिकाकर्ता को उस मामले में कोई राहत नहीं दी जा सकती थी क्योंकि विधान सभा का जीवन समाप्त होने वाला था।इन अपीलों में जो एकमात्र राहत दी जा सकती है, वह यह है कि मणिपुर विधानसभा के अध्यक्ष को निर्देश दिया जाए कि वह अपने समक्ष लंबित अयोग्यता याचिकाओं पर उस तारीख से चार सप्ताह की अवधि के भीतर निर्णय लें, जिस दिन उन्हें यह निर्णय सूचित किया गया है।यदि चार सप्ताह की अवधि के बाद भी कोई निर्णय नहीं आता है, तो कार्यवाही के किसी भी पक्ष के लिए इस मामले में आगे के निर्देशों/राहत के लिए इस न्यायालय में आवेदन करने की अनुमति होगी।"85. महाराष्ट्र विधानसभा के निवर्तमान अध्यक्ष को महाराष्ट्र विधानसभा नियम 1960 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विधायकों द्वारा विधिवत चुना गया है।याचिकाकर्ताओं ने यह तर्क देने के लिए कि अध्यक्ष पक्षपाती और निष्पक्ष हैं, 3 जुलाई 2022 को श्री सुनील प्रभु की शिवसेना के मुख्य सचेतक के रूप में मान्यता को रद्द करने के अध्यक्ष के फैसले का उल्लेख किया है।श्री प्रभु की मान्यता को रद्द करने के अध्यक्ष के फैसले को भी तत्काल कार्यवाही में चुनौती दी गई है।यदि यह न्यायालय गुण-दोष के आधार पर श्री प्रभु की मान्यता को रद्द करने के अध्यक्ष के निर्णय को रद्द कर देता है, तो भी इस न्यायालय के लिए अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने का यह पर्याप्त कारण नहीं होगा।हम अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए उपाध्यक्ष को निर्देश देने के लिए याचिकाकर्ताओं के वैकल्पिक निवेदन को भी स्वीकार करने में असमर्थ हैं क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा ने विधिवत अध्यक्ष का चुनाव किया है, जिन्हें संविधान के तहत अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने का अधिकार सौंपा गया है।उपसभापति अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन तभी कर सकता है जब अध्यक्ष का पद खाली हो।27 जैसा कि किहोतो होलोहन में देखा गया है

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

27 संविधान का अनुच्छेद 180

(उपर्युक्त) और श्रीमंत बालासाहेब पाटिल (उपर्युक्त) से अपेक्षा की जाती है कि अध्यक्ष दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेते समय निष्पक्ष, स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कार्य करेंगे।अंततः अयोग्यता के सवाल पर अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है।इसलिए, इस न्यायालय की राय है कि महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए उपयुक्त संवैधानिक प्राधिकारी हैं।

iii.निषेधात्मक आचरण और अयोग्यता याचिकाओं में निर्णय के बीच सदन की कार्यवाही की वैधता

86. राजेंद्र सिंह राणा (उपरोक्त) मामले में, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने कहा कि अयोग्यता उस समय की जाती है जब विधायक दसवीं अनुसूची के तहत निषिद्ध आचरण में लिप्त होता है।याचिकाकर्ता इस अवलोकन पर भरोसा करते हुए तर्क देते हैं कि अयोग्यता याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान सदन में कार्यवाही की वैधता अयोग्यता याचिकाओं के परिणाम पर निर्भर करती है। याचिकाकर्ताओं का आग्रह है कि हालांकि विधायकों को केवल उनके खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं की शुरुआत पर सदन की कार्यवाही में भाग लेने से रोका नहीं जा सकता है, लेकिन ऐसी कार्यवाही का परिणाम लंबित अयोग्यता याचिकाओं में अध्यक्ष के निर्णय के अधीन होगा।यह समझना महत्वपूर्ण है कि किस संदर्भ में इस न्यायालय ने राजेंद्र सिंह राणा (उपरोक्त) को अपनी टिप्पणियों के सरगम की सराहना करने का निर्णय दिया।

ग

डी.

ई.

87. बी. एस. पी. की नेता सुश्री मायवती के नेतृत्व में एक गठबंधन सरकार का गठन मई 2002 में उत्तर प्रदेश की 14 वीं विधानसभा के चुनावों के अनुसार किया गया था।27 अगस्त 2003 को बी. एस. पी. के तेरह विधायकों ने राज्यपाल को पत्र लिखकर उनसे समाजवादी पार्टी के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया।4 सितंबर 2003 को बी. एस. पी. के नेता ने दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 2 (1) (ए) के प्रावधानों के तहत तेरह विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की।6 सितंबर 2003 को बी. एस. पी. के सैंतीस विधायकों ने पार्टी में विभाजन को मान्यता देने के लिए अध्यक्ष के समक्ष दावा दायर किया।उन्होंने दावा किया कि 26 अगस्त 2003 को लखनऊ में एक बैठक के अनुसार, बी. एस. पी. विभाजित हो गई और उन्होंने एक गुट का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह का गठन किया जो विभाजन के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ था, जिसका नाम लोक तांत्रिक बहुजन दल था। उसी दिन, अध्यक्ष ने विभाजन के दावे को स्वीकार कर लिया और लोक तांत्रिक बहुजन दल के नाम से एक अलग समूह को मान्यता दी, जबकि अयोग्यता याचिकाओं को लंबित रखा गया था।अनुच्छेद ए के तहत कार्यवाही

च

जी.

एच.

917

सुभाष देसाई बनाम राज्यपाल सचिव, महाराष्ट्र के राज्यपाल [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

226 विभाजन को मान्यता देने वाले अध्यक्ष के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष संविधान की धारा स्थापित की गई थी।उच्च न्यायालय ने अध्यक्ष के आदेश को रद्द कर दिया और अध्यक्ष को तेरह विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं पर विचार करने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील का संविधान द्वारा निपटारा किया गया था

राजेन्द्र सिंह राणा (ऊपर) में पीठ।

88. इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अध्यक्ष यह निर्णय नहीं ले सकते थे कि अयोग्यता याचिकाओं के कारण कोई विभाजन मौजूद है या नहीं।न्यायालय ने उस समय के मुद्दे पर विचार किया जब विभाजन का बचाव मौजूद होना चाहिए था।उस मामले में प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि पैराग्राफ 3 के संदर्भ में विभाजन का बचाव उस दिन मौजूद होना चाहिए जिस दिन विधायक निषेधात्मक आचरण में लिप्त थे।जवाब में, याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि विधायकों के लिए अनुच्छेद 3 के संदर्भ में विभाजन साबित करने के लिए यह पर्याप्त है, जिस दिन अयोग्यता याचिकाओं पर अध्यक्ष द्वारा निर्णय लिया जाता है।यह इस संदर्भ में था कि इस अदालत ने कहा कि जब विधायक निषेधात्मक आचरण में लिप्त थे तो उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था और इसलिए, अयोग्यता का बचाव

(इस मामले में, एक विभाजन) तब भी मौजूद होना चाहिए जब विधायक निषेधात्मक आचरण में लिप्त थे।प्रासंगिक टिप्पणियों को नीचे निकाला गया हैः

ग

डी.

“34. जैसा कि हम इसे देखते हैं, अयोग्यता का कार्य किसी सदस्य द्वारा स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की अपनी सदस्यता छोड़ने या उसे जारी किए गए व्हिप की अवज्ञा करने पर होता है।इसलिए, वह अधिनियम जो दसवीं अनुसूची के पैरा 2 के संदर्भ में अयोग्यता का गठन करता है, व्हिप को छोड़ने या अवज्ञा करने का कार्य है।तथ्य यह है

ई.

कि स्वैच्छिक त्याग के मामले में अध्यक्ष द्वारा उस संबंध में निर्णय लिया जा सकता है, बाद के समय में विधायक के कार्य द्वारा अयोग्यता की घटना को स्थगित नहीं किया जा सकता है और न ही करता है।इसी तरह, तथ्य यह है कि

च

कि पार्टी 15 दिनों के भीतर व्हिप की अवज्ञा को माफ कर सकती है या कि अध्यक्ष उन मामलों में उसके बाद ही निर्णय लेता है, अयोग्यता के समय को उस बिंदु के अलावा कुछ और नहीं बता सकता है जिस पर व्हिप की अवज्ञा की जाती है।इसलिए उस उद्देश्य की पृष्ठभूमि में जिसे संविधान के बावनपनवें संशोधन द्वारा और दसवीं अनुसूची के पैरा 2 की सही समझ पर, दसवीं अनुसूची के अन्य पैराग्राफ के संदर्भ में प्राप्त करने की मांग की गई थी, वह स्थिति जो उभरती है।

जी.

यह है कि अध्यक्ष को अयोग्यता के प्रश्न का निर्णय उस तारीख के संदर्भ में करना है जिस पर

एच.

सदस्य स्वेच्छा से अपनी सदस्यता छोड़ देता है या व्हिप की अवहेलना करता है।यह वास्तव में एक पूर्व पोस्ट फैक्टो निर्णय है।तथ्य यह है कि

पैरा 6 की शर्तों के अनुसार, इस प्रश्न पर निर्णय अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा लिया जाना है, जिससे यह निष्कर्ष नहीं निकल सकता है कि प्रश्न का निर्धारण केवल अध्यक्ष के निर्णय की तारीख के संदर्भ में किया जाना है।उस प्रकृति की व्याख्या अयोग्यता को एक अनिश्चित समय और निर्णय लेने वाले प्राधिकरण की सनक पर छोड़ देगी।यही कानून बनाने के उद्देश्य को विफल कर देगा।इस तरह की व्याख्या से यथासंभव बचा जाना चाहिए।इसलिए, हमारा विचार है कि यह तर्क कि (एस. आई. सी.) केवल अध्यक्ष के निर्णय पर है कि अयोग्यता की गई है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है।इसका मतलब यह होगा कि जिसे विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने स्नोबॉलिंग प्रभाव कहा है, उसे भी नजरअंदाज करना होगा और इस सवाल का फैसला उस तारीख के संदर्भ में करना होगा जिस दिन विधायक दल की सदस्यता कथित रूप से स्वेच्छा से छोड़ दी गई थी।"

ग

डी.

(जोर दिया गया) 89।याचिकाकर्ताओं द्वारा जिन टिप्पणियों पर भरोसा करने की मांग की गई है, वे उस समय के प्रासंगिक बिंदु को तय करने के संदर्भ में की गई थीं, जिस पर अयोग्यता का बचाव मौजूद होना चाहिए था।

ई.

90. हरियाणा जनहित कांग्रेस के पांच विधायकों ने अध्यक्ष को पत्र लिखकर हरियाणा में सरकार बनाने वाली कांग्रेस में विलय करने का इरादा व्यक्त किया।अध्यक्ष ने विलय को स्वीकार कर लिया।दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 2 (1) (ए) के तहत अयोग्यता याचिकाएं

दायर की गईं।अध्यक्ष ने लगातार कार्यवाही स्थगित कर दी और सात महीने से अधिक समय तक अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय नहीं लिया।स्थगन के आदेशों में से एक को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।उच्च न्यायालय ने अध्यक्ष को चार महीने के भीतर याचिकाओं पर निर्णय लेने का निर्देश दिया, विलय को मान्यता देने वाले आदेश पर रोक लगा दी और पांचों विधायकों को असंबद्ध सदस्य घोषित कर दिया।उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि पांचों विधायकों को न तो कांग्रेस का हिस्सा माना जाएगा और न ही हरियाणा जनहित कांग्रेस का, और उन्हें केवल सत्र में भाग लेने का अधिकार होगा।अपील पर, इस अदालत की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने पांचों विधायकों को असंबद्ध सदस्य घोषित करने के निर्देश को रद्द कर दिया।कुलदिप बिश्नोई (ऊपर) में, इस न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या उच्च न्यायालय सदन के सदस्यों को असंबद्ध सदस्य घोषित करने का अंतरिम आदेश पारित कर सकता था, जब अयोग्यता याचिकाएं ए थीं।

च

जी.

एच.

919

सुभाष देसाई बनाम राज्यपाल सचिव, महाराष्ट्र के राज्यपाल [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

उनके खिलाफ लंबित है।इस अदालत ने नकारात्मक जवाब दिया।इसने देखा कि विधायक बिना किसी प्रतिबंध के काम करने के हकदार थे।इस न्यायालय ने कुलदिप बिश्नोई (उपरोक्त) मामले में इस तर्क को संबोधित नहीं किया कि क्या निषेधात्मक अधिनियम और अयोग्यता याचिका में निर्णय के बीच की अवधि में सदन की कार्यवाही का परिणाम निर्णय के अधीन होगा।अतः याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए तर्क पर इस न्यायालय द्वारा नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है।91. अनुच्छेद 191 (2) में प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को विधान सभा का सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा यदि वह दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित किया जाता है।अनुच्छेद 190 (3) में कहा गया है कि यदि कोई विधायक दसवीं अनुसूची के साथ पठित अनुच्छेद 191 (2) के प्रावधानों के तहत अयोग्य घोषित किया जाता है, तो उनकी सीट खाली हो जाएगीः

ग

“190. […]

(3) यदि किसी राज्य के विधानमंडल के सदन का कोई सदस्य-(क) अनुच्छेद 191 के खंड (1) या खंड (2) में उल्लिखित किसी भी अयोग्यता के अधीन हो जाता है; या

डी.

((ख) यथास्थिति, सभापति या सभापति को संबोधित करते हुए अपने हाथ से लिख कर अपने पद से त्यागपत्र देता है और उसका त्यागपत्र, यथास्थिति, सभापति या सभापति द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तो उसका स्थान रिक्त हो जाएगा।

ई.

'उसके बाद' शब्द का अर्थ है कि सीट केवल उस तारीख से खाली हो जाती है जब अध्यक्ष अयोग्यता याचिका पर फैसला करता है। एक विधायक को सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है जब तक कि वह अयोग्य नहीं हो जाता।28

92. अनुच्छेद 189 (2) और 100 (2) (संसद के लिए संबंधित प्रावधान) में कहा गया है कि विधानमंडल की किसी भी कार्यवाही की वैधता पर इस आधार पर सवाल नहीं उठाया जाएगा कि बाद में यह पता चला कि कोई विधायक जो मतदान करने या बैठने का हकदार नहीं था, उसने कार्यवाही में भाग लिया।अनुच्छेद 189 (2) नीचे दिया गया हैः

च

“(2) राज्य के विधानमंडल के किसी सदन को उसकी सदस्यता में किसी भी रिक्ति के बावजूद कार्य करने की शक्ति होगी, और किसी राज्य के विधानमंडल में कोई भी कार्यवाही वैध होगी, भले ही बाद में यह पता चला हो कि कुछ

जी.

28 शिवराज सिंह चौहान (ऊपर) और प्रताप गौड़ा पाटिल (ऊपर) को देखें जहां इस न्यायालय ने कहा कि विधायक सदन की ताकत में तब तक प्रतिबिंबित होंगे जब तक कि वे अयोग्य नहीं हो जाते और उन्हें कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा।

एच.

920

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 8 एस सी आर।

वह व्यक्ति जो बैठने या मतदान करने का हकदार नहीं था या अन्यथा कार्यवाही में भाग लेता था।"

अनुच्छेद 189 (2) के प्रावधानों का इस मुद्दे के निर्धारण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि सदन के सदस्य अपनी अयोग्यता पर ही सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अपना अधिकार खो देते हैं।अध्यक्ष का निर्णय उस तारीख से संबंधित नहीं है जब विधायक निषेधात्मक आचरण में लिप्त थे।अध्यक्ष का निर्णय और अयोग्यता के परिणाम संभावित हैं।93. अनुच्छेद 189 (2) केवल तभी लागू होगा जब बाद में यह पता चलता है कि कोई विधायक मतदान करने का हकदार नहीं था।ऐसी स्थिति यहाँ पैदा नहीं होती।इसलिए, उत्तरदाताओं के लिए अनुच्छेद 189 (2) का सहारा लेना आवश्यक नहीं था।सदन की कार्यवाही अयोग्यता याचिकाओं में निर्णय के अधीन नहीं हो सकती है जब निर्णय संभावित हो।इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं द्वारा दी गई व्याख्या शासन की संसदीय प्रणाली को अव्यवहारिक बना देगी।संसद सदन के पटल पर असंख्य कार्य करती है, जिसमें विधान पारित करना और वार्षिक बजट को मंजूरी देना शामिल है।विधायिकाओं के ये कार्य कानून के अनुसार के अलावा अपरिवर्तनीय हैं।संसद या राज्य विधानसभाओं में कार्यवाही की संवैधानिक पवित्रता को अनिश्चितता की स्थिति में निर्धारित नहीं किया जा सकता है।इस तरह की कार्यवाही की वैधता को भविष्य के निर्णय के अधीन होने की अनुमति देने से अराजकता पैदा होगी।उपरोक्त कारणों से, 3 जुलाई 2022 को अध्यक्ष श्री राहुल नार्वेकर को चुनने में सदन की कार्रवाई केवल इसलिए अमान्य नहीं है क्योंकि चुनाव में भाग लेने वाले कुछ विधायकों को अयोग्यता की कार्यवाही का सामना करना पड़ा।हम तदनुसार इस निर्णय के पैराग्राफ 32 (डी) और 32 (ई) में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर देते हैं।

ग

डी.

ई.

iv.विधायक दल के सचेतक और नेता को नियुक्त करने की शक्ति

च

94. उत्तरदाताओं ने श्री अजय चौधरी को एस. एस. एल. पी. के नेता के रूप में नियुक्त करने के लिए 21 जून 2022 को उपाध्यक्ष के संचार को चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं ने अध्यक्ष के 3 जुलाई 2022 के संचार को चुनौती दी है जिसके द्वारा (i) श्री अजय चौधरी की नियुक्ति रद्द कर दी गई थी और श्री शिंदे को एस. एस. एल. पी. के नेता के रूप में नियुक्त किया गया था; और (ii) श्री सुनील प्रभु के स्थान पर श्री गोगावले को मुख्य सचेतक के रूप में नियुक्त किया गया था।विवादित संचार की वैधता पर निर्णय लेने से पहले, प्रारंभिक आपत्ति का जवाब देना आवश्यक है कि अदालतें ए नहीं कर सकती हैं।

जी.

एच.

921

सुभाष देसाई बनाम राज्यपाल सचिव, महाराष्ट्र के राज्यपाल [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

संविधान के अनुच्छेद 212 के तहत प्रतिबंध के कारण सचेतक और विधायक दल के नेता को मान्यता देने वाले संचार की जांच करें।

ए। अनुच्छेद 212 के तहत प्रतिबंधःविधायी कार्यवाहियों की न्यायसंगतता

95. अनुच्छेद 212 (1) में कहा गया है कि न्यायालय प्रक्रिया की किसी भी कथित अनियमितता के आधार पर किसी राज्य के विधानमंडल की कार्यवाही की वैधता की जांच नहीं करेगाः

“212. न्यायालय विधायिका की कार्यवाहियों की जाँच नहीं करेंगे।- (1) किसी राज्य के विधानमंडल में किसी भी कार्यवाही की वैधता पर प्रक्रिया की किसी भी कथित अनियमितता के आधार पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।"

ग

96. इस न्यायालय ने पहले के अवसरों पर अनुच्छेद 212 (और संसद के लिए संबंधित प्रावधान, अनुच्छेद 122) के तहत विधानमंडल की कार्यवाही की न्यायिक समीक्षा पर प्रतिबंध के दायरे का अर्थ लगाया है।

1964 की विशेष संदर्भ संख्या 1 (राज्य विधानमंडलों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति) में, 29 सात-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा

डी.

कि अनुच्छेद 212 केवल 'प्रक्रिया की अनियमितता' के आधार पर न्यायिक समीक्षा को प्रतिबंधित करता है और विधायिका की कार्यवाही को तब भी चुनौती दी जा सकती है जब 'प्रक्रिया अवैध और असंवैधानिक है।' राजा राम पाल (उपरोक्त) मामले में, एक संविधान पीठ ने कहा कि विधायी कार्यवाही को 'मूल अवैधता या अवैधता' के आधार पर चुनौती दी जा सकती है।

ई.

असंवैधानिकता '।न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ

(आधार 5 जे), 30 इस न्यायालय के समक्ष मुद्दों में से एक यह था कि क्या अनुच्छेद 212 धन विधेयक के अध्यक्ष के प्राधिकरण की न्यायिक समीक्षा को रोकता है।सीकरी, जे. ने बहुमत के लिए लिखते हुए कहा कि अनुच्छेद 212 केवल 'प्रक्रिया की अनियमितता' के आधार पर सीमित चुनौतियों को दर्शाता है, न कि 'मूल अवैधता' के आधार पर।हममें से एक (डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.) ने अपनी असहमतिपूर्ण राय में कहा कि अनुच्छेद 212 किसी विधानमंडल की कार्यवाही की न्यायिक समीक्षा को नहीं रोकता है यदि अध्यक्ष का निर्णय "अवैधता या संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन" से ग्रस्त है।” रोजर मैथ्यू बनाम साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, 31 में इस न्यायालय ने कहा कि "संवैधानिक योजना का घोर उल्लंघन" को प्रक्रियात्मक अनियमितता नहीं माना जा सकता है।इस न्यायालय ने लगातार यह अभिनिर्धारित किया है कि एक ठोस अवैधता या एक संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन प्रक्रिया की केवल अनियमितता से अलग है और न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी है।

च

जी.

29 ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 745 30 (2019) 1 एस. सी. सी. 31 (2020) 6 एस. सी. सी. 1

एच.

922

97. प्रक्रिया की अनियमितता के आधार पर अदालतों को हस्तक्षेप करने से रोकने वाले इसी तरह के प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में पाए जाते हैं। 32 सी. आर. पी. सी. की धारा 465 में प्रावधान है कि किसी निष्कर्ष या सजा को पूरी तरह से कार्यवाही की अनियमितता के आधार पर उलट नहीं किया जा सकता है, जब तक कि अदालत की राय में, न्याय की विफलता नहीं हुई है।33 प्रक्रिया की अनियमितता की अवधारणा सेवा न्यायशास्त्र में भी आम है।रोजगार के नियमितीकरण के संदर्भ में, इस न्यायालय ने कहा है कि अनियमित रूप से नियुक्त किए गए कर्मचारियों को नियमित किया जा सकता है, लेकिन अवैध रूप से नियुक्त किए गए कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जा सकता है।उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देश राज, 34 में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि "एक नियुक्ति जो सभी संवैधानिक दायित्वों और वैधानिक नियमों को हवा में फेंकने के लिए की गई थी, उसी को अवैध बना देगी जबकि अनियमितता नियमों के पर्याप्त अनुपालन का अनुमान लगाती है।" इस प्रकार, यह मुद्दा कि क्या किसी प्रक्रिया का उल्लंघन करने वाली कार्रवाई कार्यवाही को अनियमित या अवैध बना देगी, प्रत्येक मामले के संदर्भ के लिए विशिष्ट है।यह निर्धारित प्रक्रिया के उद्देश्य और ऐसी प्रक्रिया का पालन न करने के परिणाम पर निर्भर करता है।यह कानून के विभिन्न क्षेत्रों में सच है।

ग

डी.

98. लोक सभा और राज्यों की विधानसभाओं का गठन मतदाताओं द्वारा सीधे चुने गए सदस्यों से किया जाता है।सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को विधानसभा में वापस भेज दिया जाता है।जो राजनीतिक दल आधे रास्ते तक पहुंच जाता है, वह सरकार बनाता है।यदि कोई भी राजनीतिक दल आधे रास्ते तक नहीं पहुंचता है तो राजनीतिक दलों का गठबंधन सरकार बना सकता है।अनुच्छेद 75 और 164 में प्रावधान है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से क्रमशः लोक सभा और राज्य की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है।जो विधायक सीधे लोगों द्वारा चुने जाते हैं, उनका कर्तव्य है कि वे कार्यपालिका को सदन में जवाबदेह ठहराएं। विधायी प्रक्रियाएँ दो उद्देश्यों को पूरा करती हैं-पहला, वे कार्यपालिका को जवाबदेह ठहराने के लिए सदन में विचार-विमर्श और चर्चा को सक्षम बनाती हैं, और इस तरह के विचार-विमर्श से बेहतर संवैधानिक परिणाम भी प्राप्त होते हैं; और दूसरा, वे मौजूदा सरकार द्वारा शक्ति के प्रयोग पर रोक लगाने के लिए एक प्रणाली का निर्माण करती हैं।संविधान द्वारा निर्धारित कुछ प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करती हैं।यह अनुच्छेद 368 में परिलक्षित होता है जो कुछ संवैधानिक प्रावधानों को संशोधित करने के लिए एक विशेष बहुमत निर्धारित करता है, जो संविधान सभा के सदस्यों के अनुसार एक उच्च संवैधानिक (और

ई.

च

जी.

32 "सीआरपीसी "

33 देखें प्रदीप एस वोडेयार बनाम कर्नाटक राज्य, 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 1140 34 (2007) 1 एससीसी 257 ए

एच.

923

सुभाष देसाई बनाम राज्यपाल सचिव, महाराष्ट्र के राज्यपाल [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

लोकतांत्रिक) मूल्य।कुछ अन्य विधायी प्रक्रियाएं लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और जवाबदेही को आगे बढ़ाती हैं, और मौजूदा सरकार के हाथों में सत्ता के केंद्रीकरण को रोकती हैं।अनुच्छेद 212 की व्याख्या सभी प्रक्रियात्मक उल्लंघनों को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखने के रूप में नहीं की जा सकती है।इस तरह की व्याख्या संवैधानिक लोकतंत्र में विधायी प्रक्रियाओं के महत्व की पूरी तरह से अवहेलना करेगी।

99. अनियमित प्रक्रिया और अवैध प्रक्रिया के बीच का अंतर उस प्रक्रिया की प्रकृति के आधार पर किया जाना चाहिए जिसका उल्लंघन किया गया था, और लोकतांत्रिक आदर्शों पर इस तरह के उल्लंघन का प्रभाव।किसी प्रक्रिया का उल्लंघन अनियमित होगा यदि ऐसी प्रक्रिया का उद्देश्य लोकतांत्रिक आदर्शों से असंबंधित है और इसका उल्लंघन लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की जड़ तक नहीं जाता है।

ग

100. ऊपर उल्लिखित अनुच्छेद 212 की व्याख्या पर इस न्यायालय की टिप्पणियाँ केवल कानून के स्रोत के आधार पर अनियमितता और अवैधता के बीच अंतर नहीं करती हैं।यह भेद इस बात पर आधारित नहीं है कि क्या प्रक्रिया संविधान में निहित है, बल्कि यह है कि क्या यह लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।ऊपर बताए गए दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने वाली और संसदीय लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रक्रिया का उल्लंघन इस कार्रवाई को अवैध बना देगा।दूसरी ओर, व्यवस्था स्थापित करने वाली प्रक्रिया का उल्लंघन केवल अनियमित हो सकता है।

डी.

ई.

101. रामदास अठावले बनाम भारत संघ में, 35 सदस्य

लोकसभा ने लोकसभा में कार्यवाही की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी कि राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 87 के तहत संसद के दोनों सदनों को संबोधित नहीं किया था, जब 29 जनवरी 2004 को सत्र शुरू हुआ था, जो वर्ष का पहला सत्र था।अध्यक्ष ने फैसला सुनाया कि 29 जनवरी 2004 की बैठक को केवल इसलिए वर्ष का पहला सत्र नहीं माना जा सकता क्योंकि यह कैलेंडर वर्ष का पहला सत्र था और इसे तेरहवीं लोकसभा के चौदहवें सत्र का दूसरा भाग माना जा सकता है।इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 122 के तहत प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए, यह मुद्दा कि क्या 29 जनवरी 2004 को बैठक एक नया सत्र था या उसी सत्र का दूसरा भाग एक "विशुद्ध रूप से संसद की प्रक्रिया से संबंधित मामला" थाः

च

जी.

“37. […] सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का अध्यक्ष का निर्णय और भाग दो में अपनी बैठकों को फिर से शुरू करने का निर्देश अनिवार्य रूप से संसद की कार्यवाही से संबंधित है और प्रक्रियात्मक है।

एच.

35 (2010) 4 एससीसी 1

924

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 8 एस सी आर।

प्रकृति में।अध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार अपनी बैठकों को फिर से शुरू करने के बाद कार्य किया गया और कार्यवाही की वैधता की अदालतों द्वारा जांच नहीं की जा सकती है।"

रामदास अठावले (ऊपर) में टिप्पणियों कि यह विशुद्ध रूप से प्रक्रिया का विषय था, की व्याख्या इस अर्थ में नहीं की जा सकती है कि प्रक्रियात्मक उल्लंघन न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं हैं।इस न्यायालय ने कहा कि जिस प्रक्रिया का कथित रूप से उल्लंघन किया गया था, वह केवल कार्यवाही को अनियमित बना देगा और यह स्वयं कार्यवाही को दूषित नहीं करेगा।रामदास अठावले (उपरोक्त) की टिप्पणियों को हमारे उपरोक्त विश्लेषण के आलोक में पढ़ा जाना चाहिए कि प्रक्रियात्मक उल्लंघन उनके उद्देश्य और संसद के लोकतांत्रिक कामकाज पर उनके उल्लंघन के प्रभाव के आधार पर कार्यवाही को दूषित कर देंगे।

बी। सचेतक और विधायक दल के नेता को नियुक्त करने की शक्ति

आई. 'राजनीतिक दल' और 'विधायक दल' अलग-अलग अवधारणाएँ हैं।

डी.

102. दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 1 (बी) में "विधायक दल" को निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः

“पैराग्राफ 2 या पैराग्राफ 4 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित सदन के सदस्य के संबंध में विधायक दल का अर्थ है उस सदन के सभी सदस्यों का समूह जो उसी प्रावधानों के अनुसार उस राजनीतिक दल से संबंधित हैं।

ई.

पैराग्राफ 1 (सी) "मूल राजनीतिक दल" को उस राजनीतिक दल के रूप में परिभाषित करता है जिससे सदस्य पैराग्राफ 2 (1) के उद्देश्यों के लिए संबंधित है।पैराग्राफ 2 में कहा गया है कि 'किसी भी राजनीतिक दल' से संबंधित सदस्य को सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा यदि उन्होंने स्वेच्छा से ऐसे राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ दी है, या यदि वे उस राजनीतिक दल द्वारा जारी निर्देश के विपरीत मतदान करते हैं जिससे वे संबंधित हैं या उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति या प्राधिकरण द्वारा।एक सदस्य जिसने राजनीतिक दल के निर्देश के विपरीत मतदान किया है, उसे अयोग्यता नहीं होगी यदि राजनीतिक दल द्वारा इस तरह के मतदान को माफ कर दिया जाता है या यदि राजनीतिक दल की पूर्व अनुमति प्राप्त हो जाती हैः

च

जी.

“2. दलबदल के आधार पर अयोग्यता।—(1) 3 [पैराग्राफ 4 और 5] के प्रावधानों के अधीन, किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित सदन का सदस्य सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य होगा-ए

एच.

925

सुभाष देसाई बनाम राज्यपाल सचिव, महाराष्ट्र के राज्यपाल [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

(क) यदि उसने स्वेच्छा से ऐसे राजनीतिक दल की अपनी सदस्यता छोड़ दी है; या

((ख) यदि वह इसके विपरीत ऐसे सदन में मतदान करता है या मतदान से अनुपस्थित रहता है -

जिस राजनीतिक दल से वह संबंधित है, या इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया कोई निर्देश,

किसी भी मामले में, ऐसे राजनीतिक दल, व्यक्ति या प्राधिकरण की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना और ऐसे मतदान या अनुपस्थिति को ऐसे राजनीतिक दल, व्यक्ति या प्राधिकरण द्वारा ऐसे मतदान या अनुपस्थिति की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर माफ नहीं किया गया है।

स्पष्टीकरण.—इस उप-अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, (क) किसी सदन का निर्वाचित सदस्य उस राजनीतिक दल, यदि कोई हो, का सदस्य समझा जाएगा, जिसके द्वारा उसे ऐसे सदस्य के रूप में चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में स्थापित किया गया था।

ग

(जोर दिया गया) 103।याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि सचेतक और नेता की नियुक्ति राजनीतिक दल द्वारा की जानी चाहिए क्योंकि पैराग्राफ 2 (1) (बी) के अनुसार सदन में एक विशेष तरीके से मतदान करने का निर्देश राजनीतिक दल या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति से होना चाहिए, जिसका अर्थ है राजनीतिक दल।उत्तरदाताओं का कहना है कि राजनीतिक दल और विधायक दल के बीच अंतर कृत्रिम है और वे आपस में जुड़ी अवधारणाएं हैं।इस उद्देश्य के लिए, दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 4 (2) और प्रतीक आदेश के

पैराग्राफ 6 ए का संदर्भ दिया गया था।राजनीतिक दल शब्द को दसवीं अनुसूची में परिभाषित नहीं किया गया है।हालाँकि, पैराग्राफ 2 का स्पष्टीकरण राजनीतिक दलों का उल्लेख करते हुए एक काल्पनिक कल्पना पैदा करता है।पैराग्राफ 2 के स्पष्टीकरण में यह प्रावधान किया गया है कि सदन के एक निर्वाचित सदस्य को उस राजनीतिक दल से संबंधित माना जाएगा जिसके द्वारा उन्हें चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में स्थापित किया गया था।पैराग्राफ 4 एक और काल्पनिक कल्पना का निर्माण करता है।प्रावधान में प्रावधान है कि यदि "मूल राजनीतिक दल" किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय हो जाता है और वे ऐसे अन्य राजनीतिक दल या किसी नए राजनीतिक दल के सदस्य बन जाते हैं, तो ऐसे अन्य राजनीतिक दल या नए राजनीतिक दल को पैराग्राफ 2 के उद्देश्यों के लिए सदस्य का राजनीतिक दल माना जाएगा।उदाहरण के लिए, पार्टी ए से संबंधित सुश्री जेड को पार्टी ए के निर्देश के खिलाफ मतदान करने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा यदि पार्टी ए पार्टी सी बनाने के लिए पार्टी बी के साथ विलय करता है या अगर पार्टी ए को पार्टी बी द्वारा शामिल किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दसवीं अनुसूची के प्रयोजनों के लिए, पार्टी बी या पार्टी सी को उनका मूल राजनीतिक दल माना जाएगा।पैराग्राफ 4 (2) में कहा गया है कि विलय हुआ माना जाता है।

डी.

ई.

च

जी.

एच.

केवल तभी जब विधायक दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्य विलय के लिए सहमत हों:

“4. […]

(2) इस पैराग्राफ के उप-पैराग्राफ (1) के प्रयोजनों के लिए, किसी सदन के सदस्य के मूल राजनीतिक दल का विलय तब हुआ माना जाएगा जब संबंधित विधायक दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हुए हों।"

अनुच्छेद 3, जिसे संविधान (91 वां संशोधन) अधिनियम 2003 द्वारा हटा दिया गया था, में निर्धारित किया गया था कि यदि मूल राजनीतिक दल और विधायक दल में विभाजन होता है तो किसी सदस्य को उनके निषेधात्मक आचरण के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा।

ग

104. प्रतीक आदेश के पैराग्राफ 6 ए में प्रतीक आदेश के उद्देश्यों के लिए किसी राजनीतिक दल को मान्यता प्राप्त राज्य दल के रूप में मान्यता देने के लिए शर्तें निर्धारित की गई हैं।प्रावधान में प्रावधान किया गया है कि राजनीतिक दल ने एक निश्चित प्रतिशत वोट हासिल किए होने चाहिए और राज्य दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए विधानसभा में एक निश्चित संख्या में उम्मीदवारों को वापस करना चाहिए:

डी.

“6 ए. राज्य दल के रूप में मान्यता के लिए शर्तें-एक राजनीतिक दल किसी राज्य में राज्य दल के रूप में मान्यता के लिए पात्र होगा, यदि और केवल तभी जब निम्नलिखित में से कोई भी शर्त पूरी की जाती है:

ई.

(i) राज्य की विधान सभा के पिछले आम चुनाव में, पार्टी द्वारा स्थापित उम्मीदवारों ने राज्य में हुए कुल वैध मतों का कम से कम छह प्रतिशत प्राप्त किया है; और इसके अलावा, पार्टी ने ऐसे आम चुनाव में उस राज्य की विधान सभा में कम से कम दो सदस्यों को वापस कर दिया है; या (ii) उस राज्य से लोक सभा के पिछले आम चुनाव में, पार्टी द्वारा स्थापित उम्मीदवारों ने राज्य में हुए कुल वैध मतों का कम से कम छह प्रतिशत प्राप्त किया है; और इसके अलावा, पार्टी ने ऐसे आम चुनाव में उस राज्य से कम से कम एक सदस्य को लोक सभा में वापस कर दिया है; या (iii) राज्य की विधान सभा के पिछले आम चुनाव में, पार्टी ने राज्य में हुए कुल वैध मतों का कम से कम छह प्रतिशत प्राप्त किया है।

च

जी.

एच.

927

सुभाष देसाई बनाम राज्यपाल सचिव, महाराष्ट्र के राज्यपाल [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

((iv) राज्य से लोक सभा के पिछले आम चुनाव में, पार्टी ने प्रत्येक 25 सदस्यों या उस राज्य को आवंटित किसी भी अंश के लिए कम से कम एक सदस्य को लोक सभा में वापस कर दिया है; या

(v) राज्य से लोक सभा के पिछले आम चुनाव में, या राज्य की विधान सभा के पिछले आम चुनाव में, पार्टी द्वारा स्थापित उम्मीदवारों ने राज्य में हुए कुल वैध मतों का कम से कम आठ प्रतिशत प्राप्त किया है।"105. 'राजनीतिक दल 'और' विधायक दल 'को संयोजित नहीं किया जा सकता है।उत्तरदाताओं का यह तर्क कि राजनीतिक दल और विधायक दल अटूट रूप से जुड़े हुए हैं, निम्नलिखित कारणों से गलत हैःए। संसद अपनी घटक क्षमता में दल-बदल विरोधी कानूनों को पार्टी के भीतर असंतोष और विधायकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने की अनुमति नहीं देने की आवश्यकता के प्रति सचेत थी।यह इस उद्देश्य के साथ था कि विलय और विभाजन (जिसे बाद में हटा दिया गया था) के बचाव पेश किए गए थे।दसवीं अनुसूची विधायकों के कार्यों को वैधता प्रदान करती है जो अन्यथा अयोग्यता का कारण बनती है यदि बड़ी संख्या में विधायक (विलय के मामले में दो-तिहाई और विभाजन के लिए पूर्व प्रावधान के मामले में एक-तिहाई) राजनीतिक दल से असहमत होते हैं।दसवीं अनुसूची विधायक दल के स्वतंत्र अस्तित्व को सीमित सीमा तक मान्यता देती है कि वह विधायकों के कार्यों का बचाव करता जो अन्यथा दलबदल के बराबर होता; और

ग

डी.

ई.

बी। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 ए के तहत खुद को एक राजनीतिक दल कहने वाले व्यक्तियों के संगठन को निर्वाचन आयोग में पंजीकृत करने की आवश्यकता होती है। पार्टी को राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत होने के लिए विधानसभा में उम्मीदवारों को वापस करने की आवश्यकता नहीं है।प्रतीक आदेश के तहत, एक राजनीतिक दल को राजनीतिक दल द्वारा विधानसभा में लौटे उम्मीदवारों की कुल संख्या और/या चुनाव में प्राप्त मतों के कुल प्रतिशत के आधार पर राज्य पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होती है।प्रतीक आदेश के तहत आवश्यकता का उद्देश्य यह पहचानना है कि क्या राजनीतिक दल की चुनावी मैदान में पर्याप्त उपस्थिति है ताकि उस पार्टी के लिए एक चुनावी प्रतीक को रोक दिया जा सके।प्रतीकों का आदेश किसी संगठन को संदर्भित नहीं करता है

च

जी.

एच.

928

विधायक दसवीं अनुसूची की तरह राजनीतिक दल की अगुवाई करते हैं।यह एक 'विधायक' और एक 'राजनीतिक दल' को मान्यता देता है।' इस प्रकार, यह तर्क देने के लिए कि राजनीतिक दल और विधायक दल की अवधारणाएं आपस में जुड़ी हुई हैं, प्रतीक आदेश के प्रावधानों का संदर्भ योग्यता नहीं रखता है क्योंकि विधायक दल की अवधारणा को प्रतीक आदेश द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है।II. दसवीं अनुसूची, 1986 के नियमों और 1956 के अधिनियम के प्रावधानों की शाब्दिक और उद्देश्यपूर्ण व्याख्या।

106. 1986 के नियमों के नियम 2 (च) में विधायक दल के संबंध में 'नेता' को उसके द्वारा अपने नेता के रूप में चुने गए दल के सदस्य के रूप में परिभाषित किया गया है और इसमें नेता की अनुपस्थिति में कार्य करने के लिए पार्टी द्वारा अधिकृत पार्टी का कोई अन्य सदस्य शामिल है।नियम 3 (1) में कहा गया है कि विधायक दल के नेता को विधायक दल के गठन के तीस दिनों के भीतर निम्नलिखित प्रस्तुत करना होगाः

ग

ए। प्रपत्र I में निर्दिष्ट सदस्यों के विवरण के साथ विधायक दल के सदस्यों के नाम और इन नियमों के प्रयोजनों के लिए अध्यक्ष के साथ संवाद करने के लिए इसके द्वारा अधिकृत सदस्यों के नाम और पदनाम वाला लिखित बयान;

डी.

बी। राजनीतिक दल के नियमों और विनियमों की एक प्रति; और

ई.

ग. विधायक दल के नियमों और विनियमों की एक प्रति, यदि उसके अलग नियम हैं।

नियम 3 (1) नीचे दिया गया हैः"3. विधायक दल के नेता द्वारा दी जाने वाली जानकारी।—

च

(1) प्रत्येक विधायक दल का नेता (केवल एक सदस्य वाले विधायक दल को छोड़कर) इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से तीस दिनों के भीतर या जहां ऐसी विधायक पार्टी का गठन उस तारीख के बाद किया जाता है, उसके गठन की तारीख से तीस दिनों के भीतर, या दोनों ही मामलों में, ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो अध्यक्ष पर्याप्त कारण से अनुमति दे, अध्यक्ष को निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा, अर्थात्ः— (क) एक बयान (लिखित रूप में) जिसमें ऐसे विधायक दल के सदस्यों के नाम अन्य विवरणों के साथ शामिल हों।

जी.

एच.

929

सुभाष देसाई बनाम राज्यपाल सचिव, महाराष्ट्र के राज्यपाल [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

प्रपत्र-I में दिए गए ऐसे सदस्यों के संबंध में, और ऐसे दल के सदस्यों के नाम और पदनाम, जिन्हें इन नियमों के प्रयोजनों के लिए अध्यक्ष के साथ संवाद करने के लिए इसके द्वारा अधिकृत किया गया है;

(ख) संबंधित राजनीतिक दल के नियमों और विनियमों (चाहे वे संविधान के रूप में या किसी अन्य नाम से जाने जाते हों) की एक प्रति; और

(ग) जहाँ ऐसे विधायी दल के पास नियमों और विनियमों का कोई अलग समूह है (चाहे वह ऐसे के रूप में या संविधान के रूप में या किसी अन्य नाम से जाना जाए), वहाँ भी ऐसे नियमों और विनियमों की एक प्रति।[.....]"

ग

107. नियम 3 (4) में कहा गया है कि यदि नियम 3 (1) के तहत दी गई जानकारी में कोई बदलाव हुआ है तो विधायक दल के नेता को अद्यतन जानकारी देनी होगी।नियम 3 (5) में कहा गया है कि यदि कोई सदस्य राजनीतिक दल की पूर्व अनुमति के बिना राजनीतिक दल के निर्देश के विपरीत विधानसभा में मतदान करता है या मतदान से अनुपस्थित रहता है, तो विधायक दल का नेता इस तरह के मतदान या बहिष्कार के तीस दिनों के भीतर अध्यक्ष को बता सकता है कि क्या राजनीतिक दल द्वारा इस तरह के मतदान या बहिष्कार को माफ कर दिया गया है।नियम में यह भी कहा गया है कि नेता को अध्यक्ष को सूचित करना चाहिए, भले ही उन्होंने राजनीतिक दल के निर्देश के विपरीत मतदान किया हो।1986 के नियम न तो 'व्हिप' शब्द का उपयोग करते हैं और न ही परिभाषित करते हैं।

डी.

ई.

108. 'व्हिप' शब्द को 1956 के अधिनियम में परिभाषित किया गया है।1956 के अधिनियम की धारा 2 में प्रावधान है कि एक विधायक को अनुसूची I में निर्धारित पदों पर रहने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। अनुसूची I के खंड 23 में महाराष्ट्र राज्य विधानमंडल में मुख्य सचेतक या सचेतक के पदों का उल्लेख है।इस खंड का स्पष्टीकरण एक व्हिप को निम्नानुसार परिभाषित करता हैः

च

"स्पष्टीकरण।- (1) महाराष्ट्र विधान सभा के संबंध में "मुख्य सचेतक" या "सचेतक" पद का अर्थ है सदन का वह सदस्य जो कुछ समय के लिए सरकार बनाने वाली पार्टी द्वारा उस सदन में मुख्य सचेतक या सचेतक घोषित किया गया है और अध्यक्ष द्वारा मान्यता प्राप्त है और इसमें सदन का एक सदस्य शामिल है, जिसे कुछ समय के लिए सदन की कुल संख्या का कम से कम दस प्रतिशत रखने वाली पार्टी द्वारा घोषित किया गया है और जिसे अध्यक्ष द्वारा मान्यता प्राप्त है; और

जी.

एच.

(2) महाराष्ट्र विधान परिषद के संबंध में "मुख्य सचेतक" या "सचेतक" पद का अर्थ है सदन का वह सदस्य जिसे कुछ समय के लिए सरकार बनाने वाली पार्टी द्वारा सदन में मुख्य सचेतक या सचेतक घोषित किया जाता है और जिसे सभापति द्वारा मान्यता दी जाती है; और इसमें सदन का एक सदस्य शामिल होता है, जिसे कुछ समय के लिए सदन के कुल सदस्यों में से कम से कम दस प्रतिशत वाले दल द्वारा घोषित किया जाता है और जिसे सभापति द्वारा मान्यता दी जाती है।"

109. दसवीं अनुसूची, 1986 के नियमों और 1956 के अधिनियम के प्रावधानों की शाब्दिक व्याख्या पर, मतदान करने या मतदान से दूर रहने का निर्देश राजनीतिक दल से आता है, न कि विधायक दल से निम्नलिखित कारणों सेः

ग

क. दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 2 (1) (ख) में प्रावधान है कि मतदान करने या मतदान से दूर रहने का निर्देश राजनीतिक दल या "उसके द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण" द्वारा जारी किया जाना चाहिए, जिसमें राजनीतिक दल के लिए 'इट' शब्द हो। प्रावधान में कहा गया है कि यदि सदस्य जारी किए गए निर्देश के विपरीत मतदान करना चाहता है तो राजनीतिक दल से पूर्व

अनुमति प्राप्त होनी चाहिए और राजनीतिक दल को पंद्रह दिनों के भीतर ऐसी कार्रवाई को माफ करना चाहिए।दसवीं अनुसूची के प्रावधानों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि निर्देश राजनीतिक दल से आना चाहिए न कि विधायक दल से।पैराग्राफ 1 में परिभाषा खंड में राजनीतिक दल और विधायक दल के बीच अंतर किया गया है।इसके बारे में कोई दो तरीके नहीं हैं।यदि 'राजनीतिक दल' शब्द को 'विधायक दल' के रूप में पढ़ा जाता है तो दसवीं अनुसूची अव्यवहारिक हो जाएगी।' पैराग्राफ 4 के तहत विलय के उद्देश्य से राजनीतिक दल और विधायक दल के बीच एक स्पष्ट सीमांकन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि इस तरह के विलय से पहले विधायक दल के दो-तिहाई सदस्य मूल राजनीतिक दल के विलय के लिए सहमत हुए होंगे।'राजनीतिक दल' शब्द को 'विधायक दल' के रूप में पढ़ना दसवीं अनुसूची की साधारण भाषा के विपरीत होगा।

डी.

ई.

च

जी.

बी। यह एक स्वीकृत स्थिति है कि सचेतक पार्टी के निर्देशों को अपने सदस्यों को सूचित करता है।'व्हिप' वाक्यांश का उपयोग न तो दसवीं अनुसूची में किया गया है और न ही 1986 के नियमों में।

एच.

931

सुभाष देसाई बनाम राज्यपाल सचिव, महाराष्ट्र के राज्यपाल [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

क.

इस वाक्यांश का उल्लेख 1956 के अधिनियम में उन कार्यालयों में से एक के रूप में किया गया है जो 'लाभ का पद' के अर्थ में शामिल नहीं होंगे।' 1956 के अधिनियम में अनुसूची I के खंड 23 के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि मुख्य सचेतक की घोषणा सरकार बनाने वाली पार्टी द्वारा की जाती है।स्पष्टीकरण खंड में 'पार्टी' के संदर्भ का अर्थ राजनीतिक दल है न कि विधायक दल क्योंकि 'पार्टी' शब्द का उपयोग राजनीतिक दल को आम बोलचाल में चित्रित करने के लिए किया जाता है; और

ग. प्रत्यर्थियों का आग्रह है कि सचेतक को विधायक दल द्वारा चुना जाता है क्योंकि 1986 के नियमों के नियम 3 (1) (ए) में प्रावधान है कि नेता अध्यक्ष को उन सदस्यों के नाम और पदनाम के बारे में सूचित करेगा जिन्हें इन नियमों के उद्देश्यों के लिए अध्यक्ष के साथ संवाद करने के लिए उसके द्वारा अधिकृत किया गया है।यह तर्क गलत है।नियम 3 (1) (ए) में 'कोई भी अन्य सदस्य जिसे अध्यक्ष के साथ संवाद करने के लिए अधिकृत किया गया है' वाक्यांश को नियम 2 (एफ) के तहत 'नेता' की परिभाषा के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जिसमें ऐसे अन्य सदस्य शामिल हैं जो नेता की अनुपस्थिति में कार्य करने या नियमों के उद्देश्य से नेता के कार्यों का निर्वहन करने के लिए अधिकृत हैं।जब एक साथ पढ़ा जाता है, तो यह स्पष्ट होता है कि नियम 3 (1) (ए) उन सदस्यों के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने को संदर्भित करता है जिन्हें नेता की अनुपस्थिति में नेता के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है।सचेतक राजनीतिक दल के दिशा-निर्देशों को संप्रेषित करने के लिए विधायक दल के सदस्यों के साथ बातचीत करता है।नियम 3 (5) जो यह निर्धारित करता है कि यदि राजनीतिक दल ने विधायक दल के सदस्यों के निषेधात्मक कार्यों को माफ कर दिया है तो नेता को अध्यक्ष को सूचित करना होगा, यह स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि यह केवल नेता है जो 1986 के नियमों के उद्देश्यों के लिए अध्यक्ष के साथ संवाद करता है।यह सब और अधिक स्पष्ट है क्योंकि नियम 3 (5) में नेता को ऐसी स्थिति में अध्यक्ष को सूचित करने की आवश्यकता होती है जहां नेता राजनीतिक दल के निर्देश के विपरीत मतदान करता है या मतदान से दूर रहता है।1986 के नियमों के तहत, सचेतक अयोग्यता याचिका दायर करने के लिए नामित प्राधिकारी नहीं है।नियम 6 में प्रावधान है कि महाराष्ट्र विधानसभा का कोई भी सदस्य अयोग्यता के लिए याचिका दायर कर सकता है।उत्तरदाताओं का यह तर्क कि विधायक दल सचेतक की नियुक्ति करता है, विफल हो जाता है, जहाँ तक कि यह इस पैराग्राफ में चर्चा किए गए 1986 के नियमों के प्रावधानों पर आधारित है।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

932

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 8 एस सी आर।

110. मायावति (ऊपर) में, अपीलार्थी ने बी. एस. पी. के सभी विधायकों को भाजपा द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करने का निर्देश जारी किया। बीएसपी के बारह विधायकों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया।अपीलार्थी ने पैराग्राफ 2 (1) (ए) और 2 (1) (बी) के उल्लंघन के लिए इन बारह विधायकों के खिलाफ अयोग्यता के लिए याचिकाएं दायर कीं।अध्यक्ष ने अयोग्यता याचिकाओं को खारिज कर दिया।अध्यक्ष के निष्कर्षों में से एक यह था कि यह साबित नहीं हुआ था कि अपीलार्थी राजनीतिक दल की ओर से निर्देश जारी करने के लिए अधिकृत था।अध्यक्ष के आदेश को इस अदालत में चुनौती दी गई थी।यह प्रस्तुत किया गया था कि पैराग्राफ 2 (1) (बी) में 'राजनीतिक दल' को 'सदन में राजनीतिक दल' के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, जिसका अर्थ है विधायक दल।जे. श्रीनिवासन ने अपनी अलग राय में इस तर्क को खारिज कर दिया और अध्यक्ष के आदेश को यह कहते हुए बरकरार रखा कि यह इंगित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि अपीलार्थी को बी. एस. पी. द्वारा निर्देश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया था।इस संदर्भ में, न्यायमूर्ति श्रीनिवासन ने कहा कि 'राजनीतिक दल' को निम्नलिखित कारणों से 'विधायक दल' के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता हैः ए। पैराग्राफ 2 (1) (बी) में वाक्यांश 'राजनीतिक दल' की व्याख्या विधायी दल के रूप में नहीं की जा सकती है, जबकि पैराग्राफ 2 (1) (ए) में वही वाक्यांश अपने मूल अर्थ को बरकरार रखता है।

ग

डी.

बी। इस तरह की व्याख्या (ए) पैराग्राफ 2 (1) को स्पष्टीकरण देगी क्योंकि एक विधायक दल किसी व्यक्ति को चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में स्थापित नहीं कर सकता है।

ई.

ग. विधानसभा की सदस्यता से अयोग्यता एक गंभीर परिणाम है।ऐसा परिणाम केवल राजनीतिक दल के निर्देश के विपरीत मतदान से ही हो सकता है; और

च

घ. किहोतो होल्लोहन (उपरोक्त) में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि दल-बदल विरोधी कानून और पार्टी के भीतर असहमति के प्रतिस्पर्धी विचारों को संतुलित करने के लिए, मतदान करने (या मतदान से दूर रहने) का निर्देश केवल तभी दिया जा सकता है जब मतदान से गठित सरकार की स्थिति में बदलाव आएगा या यह उस नीति पर हो जिस पर उम्मीदवार को स्थापित करने वाले राजनीतिक दल ने चुनाव में भाग लिया था।इस तरह के मुद्दों से संबंधित निर्देश केवल राजनीतिक दल ही जारी कर सकता है न कि विधायक दल।

जी.

111. इसलिए, दसवीं अनुसूची, 1986 के नियमों और 1956 के अधिनियम के प्रावधानों के स्पष्ट अर्थ से संकेत मिलता है कि सचेतक और नेता की नियुक्ति राजनीतिक दल द्वारा की जानी चाहिए।

एच.

933

सुभाष देसाई बनाम राज्यपाल सचिव, महाराष्ट्र के राज्यपाल [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

क.

112. दसवीं अनुसूची को एक निश्चित राजनीतिक दल के टिकट पर चुने जाने के बाद दूसरे राजनीतिक दल के प्रति निष्ठा बदलने की विधायकों की बढ़ती प्रवृत्ति को विफल करने के लिए पेश किया गया था।विधायकों के दलबदल से सदन की संरचना बदल जाएगी और ज्यादातर मामलों में सरकार गिर जाएगी।नैतिक और लोकतांत्रिक सिद्धांतों से समझौता किया जाता है जब एक विधायक निष्ठा बदल देता है जब मतदाता उस विधायक को इस विश्वास पर वोट देते हैं कि वे एक निश्चित राजनीतिक दल की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं।दसवीं अनुसूची को पेश किया गया था, जैसा कि संविधान के उद्देश्यों और कारणों का विवरण (बावनवां संशोधन) विधेयक 1985 में कहा गया है, राजनीतिक दलबदल की बुराई का मुकाबला करने के लिए जो "हमारे लोकतंत्र की नींव और इसे बनाए रखने वाले सिद्धांतों को कमजोर करने की संभावना थी।" 36 किहोतो होल्लोहान में

ग

(उपर्युक्त), एस. आर. बोम्मई और कुलदिप नायर बनाम भारत संघ 37 यह न्यायालय

यह माना गया कि राजनीतिक दल भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के केंद्र में हैं और दसवीं अनुसूची राजनीतिक दलों के दलबदल पर अंकुश लगाने का प्रयास करती है।जब दल-बदल विरोधी कानून किसी राजनीतिक दल से दल-बदल पर अंकुश लगाने का प्रयास करता है, तो यह स्वीकार करना केवल एक तार्किक परिणाम है कि सचेतक नियुक्त करने की शक्ति राजनीतिक दल के पास निहित है।

डी.

113. यह मानना कि यह विधायक दल है जो सचेतक की नियुक्ति करता है, प्रतीकात्मक नाभि को तोड़ना होगा जो सदन के सदस्य को राजनीतिक दल से जोड़ता है।इसका मतलब यह होगा कि विधायक चुनाव के लिए उन्हें स्थापित करने के उद्देश्य से राजनीतिक दल पर भरोसा कर सकते हैं, कि उनका अभियान राजनीतिक दल की ताकत (और कमजोरियों) और उसके वादों और नीतियों पर आधारित होगा, कि वे पार्टी के साथ अपनी संबद्धता के आधार पर मतदाताओं से अपील कर सकते हैं, लेकिन वे बाद में खुद को उसी पार्टी से पूरी तरह से अलग कर सकते हैं और विधायकों के एक समूह के रूप में कार्य करने में सक्षम हो सकते हैं जो अब राजनीतिक दल के प्रति निष्ठा का संकेत भी नहीं देते हैं।यह शासन की वह प्रणाली नहीं है जिसकी परिकल्पना संविधान ने की है। वास्तव में, दसवीं अनुसूची सटीक रूप से इस परिणाम से बचाती है।

ई.

च

114. राजनीतिक दल द्वारा एक सचेतक की नियुक्ति दसवीं अनुसूची के निर्वाह के लिए महत्वपूर्ण है।यदि इस आवश्यकता का पालन नहीं किया जाता है तो दसवीं अनुसूची की पूरी संरचना जो राजनीतिक दलों पर बनी है, ध्वस्त हो जाएगी।यह प्रावधानों को प्रदान करेगा

जी.

36 संविधान (बावनवा संशोधन) विधेयक, 1985 (1985 का विधेयक संख्या 22), जिसे संविधान (बावनवा संशोधन) अधिनियम, 1985 के रूप में अधिनियमित किया गया था, के साथ संलग्न उद्देश्यों और कारणों का विवरण।

37 (2006) 7 एससीसी 1

एच.

934

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 8 एस सी आर।

दसवीं अनुसूची इस देश के लोकतांत्रिक ताने-बाने के लिए व्यापक प्रभाव डालती है।इस प्रकार, न्यायालयों को अनुच्छेद 212 द्वारा सचेतक को मान्यता देने वाली अध्यक्ष की कार्रवाई की वैधता की जांच करने से बाहर नहीं किया जा सकता है।

115. 25 नवंबर 2019 को शिवसेना से संबंधित नवनिर्वाचित विधायकों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता श्री उद्धव ठाकरे ने शिवसेना पार्टी के अध्यक्ष ('पक्ष प्रमुख') के रूप में की थी।प्रस्ताव में कहा गया है कि विधायकों ने सर्वसम्मति से संकल्प लिया कि बैठक में सभी निर्णय श्री ठाकरे द्वारा लिए जाएंगे।श्री एकनाथ शिंदे को एस. एस. एल. पी. का समूह नेता और श्री सुनील प्रभु को मुख्य सचेतक नियुक्त करने का प्रस्ताव जारी किया गया।21 जून 2022 को एस. एस. एल. पी. के कुछ सदस्यों ने शिवसेना के अध्यक्ष श्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में एक बैठक की।बैठक में श्री शिंदे को एस. एस. एल. पी. के समूह नेता के पद से हटाने और श्री अजय चौधरी को नियुक्त करने का निर्णय लिया गया।प्रस्ताव पर श्री उद्धव ठाकरे ने एस. एस. एल. पी. के कार्यालय के आधिकारिक लेटरहेड पर पार्टी अध्यक्ष के रूप में हस्ताक्षर किए।

ग

डी.

116. यह उत्तरदाताओं का मामला है कि उसी दिन, यानी 21 जून 2022 को, "वास्तविक" एसएसएलपी की एक अलग बैठक आयोजित की गई थी।इस बैठक में, एस. एस. एल. पी. के चौंतीस सदस्यों ने एक प्रस्ताव जारी किया (i) इस बात की पुष्टि करते हुए कि श्री शिंदे, जिन्हें 31 अक्टूबर 2019 को एस. एस. एल. पी. के नेता के रूप में नियुक्त किया गया था, नेता बने रहेंगे; और (ii) श्री सुनील प्रभु की मुख्य सचेतक के रूप में नियुक्ति को रद्द करना और उनके स्थान पर श्री गोगावले को नियुक्त करना।प्रस्ताव में अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया कि (i) भाजपा के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन तोड़ने और कांग्रेस और राकांपा के साथ सरकार बनाने के लिए शिवसेना के कैडर और पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी असंतोष था; और (ii) शिवसेना के नेताओं ने सत्ता हासिल करने के लिए शिवसेना पार्टी के सिद्धांतों से समझौता किया था।याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह पत्र 22 जून 2022 को जारी किया गया था और 21 जून 2022 के रूप में वापस दिनांकित किया गया है।

ई.

च

117. 21 जून 2022 के एक आदेश द्वारा, उपाध्यक्ष (जो उस समय अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन कर रहे थे) ने श्री अजय चौधरी को एस. एस. एल. पी. का नेता नियुक्त करने के अनुरोध को मंजूरी दी। इस बीच, 3 जुलाई 2022 को अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ। भाजपा के उम्मीदवार श्री राहुल नारवेकर को अध्यक्ष चुना गया।उसी दिन अध्यक्ष ने श्री शिंदे के नेतृत्व वाले गुट के चौंतीस विधायकों द्वारा पारित प्रस्ताव का संज्ञान लिया और श्री शिंदे को नेता और श्री गोगावले को मुख्य सचेतक नियुक्त किया।डिप्टी ए

जी.

एच.

935

सुभाष देसाई बनाम राज्यपाल सचिव, महाराष्ट्र के राज्यपाल [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

महाराष्ट्र विधान सभा के सचिव ने एक संचार जारी किया कि अध्यक्ष ने एक नए सचेतक और एस. एस. एल. पी. के एक नए नेता को मान्यता दी हैः

“आपके उपर्युक्त पत्र के संदर्भ में, मुझे आपको यह सूचित करने का आदेश दिया गया है कि श्री अजय चौधरी का नाम नामित करके आपको विधायक दल के नेता के पद से हटा दिया गया है।इस संबंध में आपने 22 जून को पत्र भेजकर आपत्ति जताई है।इस संबंध में, कानून में प्रावधान पर विचार-विमर्श के बाद, महाराष्ट्र विधानसभा के माननीय अध्यक्ष ने श्री अजय चौधरी को शिवसेना विधायक दल के नेता के रूप में दी गई मंजूरी को रद्द कर दिया है और 31 अक्टूबर 2019 के पत्र के अनुसार शिवसेना विधायक दल के नेता के रूप में श्री एकनाथ शिंदे के नामांकन को मंजूरी और मान्यता दी है।इसी तरह, श्री सुनील प्रभु को शिवसेना विधायक दल के मुख्य

सचेतक के रूप में नामित करने के प्रस्ताव को रद्द कर दिया जाना है और श्री भरत गोगावले को शिवसेना विधायक दल के मुख्य सचेतक के रूप में नामित करने को मंजूरी दे दी गई है और रजिस्ट्री में दर्ज किया गया है।"

ग

डी.

118. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उपरोक्त संचार (i) यह स्वीकार करता है कि श्री शिंदे के नेतृत्व वाले गुट ने 22 जून 2022 को एक प्रस्ताव द्वारा श्री शिंदे को नेता के रूप में प्रतिस्थापित करने के लिए उपाध्यक्ष के संचार पर आपत्ति जताई; और (ii) श्री चौधरी की नेता की भूमिका में नियुक्ति पर श्री शिंदे के नेतृत्व वाले गुट की आपत्ति की सराहना करता है।हम इस धारणा पर आगे बढ़ेंगे कि श्री शिंदे के नेतृत्व वाले गुट की आपत्ति अध्यक्ष को 22 जून 2022 को प्राप्त हुई थी क्योंकि अध्यक्ष के संचार में इस तारीख को नोट किया गया है।

ई.

119. अध्यक्ष 3 जुलाई 2022 को विधायक दल में दो गुटों के उदय से अवगत थे जब उन्होंने एक नया सचेतक और एक नया नेता नियुक्त किया क्योंकि उत्तरदाताओं के प्रस्ताव में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि शिवसेना के कुछ विधायकों में मौजूदा असंतोष के कारण "विभाजन" हुआ था।इसके अलावा, यह तथ्य कि दो अलग-अलग सचेतकों और दो अलग-अलग नेताओं को नियुक्त करने के दो प्रस्ताव थे, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अध्यक्ष ने यह निष्कर्ष निकाला होगा कि शिवसेना के दो गुट थे।श्री शिंदे के नेतृत्व में एस. एस. एल. पी. के गुट द्वारा पारित प्रस्ताव का संज्ञान लेने पर अध्यक्ष ने यह पहचानने का प्रयास नहीं किया कि नामित किए गए दो व्यक्तियों (श्री प्रभु या श्री गोगावले) में से किसे राजनीतिक दल द्वारा अधिकृत किया गया था।इस तरह की विवादास्पद स्थिति में, अध्यक्ष को एक संचालन करना चाहिए था

च

जी.

एच.

शिवसेना राजनीतिक दल द्वारा अधिकृत सचेतक की पहचान करने के लिए राजनीतिक दल के नियमों और विनियमों के आधार पर स्वतंत्र जांच।पूर्ववर्ती पैराग्राफ में विस्तृत कारणों के लिए, अध्यक्ष को केवल राजनीतिक दल द्वारा नियुक्त सचेतक को ही मान्यता देनी चाहिए।श्री गोगावले को शिवसेना के मुख्य सचेतक के रूप में मान्यता देने का अध्यक्ष का निर्णय अवैध है क्योंकि यह मान्यता एस. एस. एल. पी. के एक गुट के प्रस्ताव पर आधारित थी, बिना यह निर्धारित करने की कवायद किए कि क्या यह राजनीतिक दल का निर्णय था।

120. नियम 2 (च) विधायक दल के संबंध में 'नेता' को उसके द्वारा अपने नेता के रूप में चुने गए दल के सदस्य के रूप में परिभाषित करता है।'पार्टी' शब्द अस्पष्ट है।यह 'राजनीतिक' या 'विधायिका' से पहले नहीं होता है।इसकी व्याख्या 'विधायक दल' के रूप में की जा सकती है क्योंकि परिभाषा खंड 'विधायक दल' के संबंध में एक नेता को परिभाषित करता है और फिर 'पार्टी' वाक्यांश का उपयोग करने के लिए आगे बढ़ता है।' वैकल्पिक रूप से, इसका अर्थ 'राजनीतिक दल' भी हो सकता है क्योंकि आम बोलचाल में 'दल' का अर्थ 'राजनीतिक दल' होता है।'

ग

डी.

121. दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 8 (1) (बी) और 1986 के नियमों के नियम 3 (5) के तहत, विधायक दल के नेता को अध्यक्ष को सूचित करना आवश्यक है कि क्या राजनीतिक दल ने दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 2 (1) (बी) के तहत निषेधात्मक अधिनियम को माफ कर दिया है।इस प्रकार, विधायक दल का नेता राजनीतिक दल और विधानसभा के बीच की कड़ी है।यदि उत्तरदाताओं की व्याख्या को स्वीकार कर लिया जाता है, तो विधायक के निषेधात्मक आचरण को माफ करने वाले नेता की कार्रवाई राजनीतिक दल की आवाज को प्रतिबिंबित नहीं करेगी और इसके बजाय विधायक दल की आवाज को प्रतिबिंबित करेगी।यह उस तरीके के विपरीत होगा जिसमें दसवीं अनुसूची को संचालित करने का इरादा है।जिस तरह से दसवीं अनुसूची तब काम करेगी, वह दलबदल के संवैधानिक पाप को प्रभावी ढंग से रोकने या समाधान प्रदान नहीं करेगी।

ई.

च

122. 21 जून 2022 को, उपाध्यक्ष के सामने इस बात पर संदेह करने के लिए कोई सामग्री रिकॉर्ड में नहीं थी कि 21 जून 2022 को एस. एस. एल. पी. का प्रस्ताव (श्री अजय चौधरी को एस. एस. एल. पी. के नेता के रूप में नियुक्त करना) राजनीतिक दल के खिलाफ था, या कि पार्टी के दो गुट सामने आए थे।प्रस्ताव पर श्री ठाकरे ने पार्टी अध्यक्ष के रूप में 2019 में सचेतक और नेता की नियुक्ति के प्रस्ताव की तरह हस्ताक्षर किए थे।इससे यह स्पष्ट होता है कि श्री ठाकरे ने राजनीतिक दल की ओर से पत्र जारी किया था।इस प्रकार, श्री एकनाथ शिंदे के स्थान पर श्री अजय चौधरी को सचेतक के रूप में मान्यता देने का उपसभापति का निर्णय वैध है।

जी.

एच.

937

सुभाष देसाई बनाम राज्यपाल सचिव, महाराष्ट्र के राज्यपाल [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

क.

123. हालाँकि, 22 जून 2022 को एस. एस. एल. पी. द्वारा पारित प्रस्ताव ने अध्यक्ष के ध्यान में लाया कि इसे एस. एस. एल. पी. के एक गुट द्वारा पारित किया गया था। इस प्रकार, अध्यक्ष ने एस. एस. एल. पी. के एक गुट की कार्रवाई को यह निर्धारित किए बिना मान्यता दी कि क्या वे राजनीतिक दल की इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं, दसवीं अनुसूची, 1986 के नियमों और 1956 के अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत काम किया।श्री शिंदे को नेता के रूप में मान्यता देने का अध्यक्ष का निर्णय अवैध है।

124. अध्यक्ष को इस संबंध में जांच करने के बाद और इस निर्णय में चर्चा किए गए सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, पार्टी के संविधान के प्रावधानों के संदर्भ में राजनीतिक दल द्वारा विधिवत अधिकृत सचेतक और नेता को मान्यता देनी चाहिए।

ग

v. यह तय करना कि "असली" शिवसेना कौन है 125।बार-बार, इस अदालत के समक्ष पक्षकारों ने जोर देकर कहा कि वे "असली" शिवसेना हैं।वर्तमान जैसे मामलों में, इस प्रश्न के उत्तर का प्रभाव दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता की कार्यवाही के साथ-साथ प्रतीक आदेश के तहत एक प्रतीक के आवंटन की कार्यवाही पर भी पड़ेगा।

डी.

126. याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि इस न्यायालय को दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के लिए कार्यवाही को सुसंगत बनाने के लिए एक संवैधानिक क्रम निर्धारित करना चाहिए, संविधान के अनुच्छेद 17 (सी) के तहत अध्यक्ष को हटाने के लिए एक प्रस्ताव पेश करने के इरादे की सूचना, और प्रतीक आदेश के पैराग्राफ 15 के तहत एक चुनाव प्रतीक का आवंटन।

ई.

127. चूंकि हमने अनुच्छेद 17 9 (सी) के तहत अध्यक्ष को हटाने के लिए एक प्रस्ताव लाने के इरादे की सूचना जारी करने से उत्पन्न होने वाले मुद्दों को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया है, इसलिए हमें केवल इस बात पर विचार करना है कि शेष दो कार्यवाहियों में किस तरह से सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिए।

च

ए। दसवीं अनुसूची का उद्देश्य और अयोग्यता का प्रभाव

128. जैसा कि इस निर्णय के साथ-साथ इस न्यायालय के अन्य निर्णयों में विस्तार से चर्चा की गई है, दसवीं अनुसूची का उद्देश्य दलबदल के संवैधानिक पाप को हतोत्साहित करना और दंडित करना है।38 दल-बदल विरोधी कानून के उल्लंघन के परिणामस्वरूप सदन का सदस्य होता हैः क. सदन से अयोग्य घोषित; 39

जी.

38 किहोतो होल्लोहन (सुरपा); नबाम रेबिया (सुप्रा)

39 पैराग्राफ 2, दसवीं अनुसूची, भारत का संविधान 1950

एच.

ख. अपने अयोग्यता की तारीख से शुरू होने वाली अवधि की अवधि के लिए किसी भी लाभकारी राजनीतिक पद पर रहने के लिए अयोग्य हैं, उस तारीख तक जिस पर सदन के सदस्य के रूप में उनके पद की अवधि समाप्त हो जाएगी या उस तारीख तक जिस पर वे किसी सदन के लिए चुनाव लड़ते हैं और निर्वाचित घोषित किए जाते हैं, जो भी पहले हो;

ग. अपने अयोग्यता की तारीख से शुरू होने वाली अवधि की अवधि के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त होने से अयोग्य होने की तारीख जिस दिन सदन के सदस्य के रूप में उनके पद का कार्यकाल समाप्त होगा या उस तारीख तक जिस दिन वे किसी सदन के लिए चुनाव लड़ेंगे और निर्वाचित घोषित किए जाएंगे, जो भी पहले हो।41

ग

129. ये परिणाम यह सुनिश्चित करते हैं कि सदन का कोई सदस्य सदन के भीतर दलबदल का फल प्राप्त करने में असमर्थ हो। उल्लेखनीय है कि दसवीं अनुसूची का सदन के अयोग्य सदस्य की स्थिति और उनके राजनीतिक दल की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।दूसरे शब्दों में, यदि कोई सदस्य दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता का सामना करता है, तो इसका परिणाम स्वचालित रूप से उस राजनीतिक दल से निष्कासन नहीं होता है जिससे वे संबंधित हैं।किसी सदस्य को निष्कासित करना है या नहीं, यह तय करना राजनीतिक दल और उसकी आंतरिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है।

डी.

बी। प्रतीक आदेश का उद्देश्य और पैराग्राफ 15 के तहत निर्णय का प्रभाव

ई.

130. निर्वाचन आयोग ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 ए और चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 5 और 10 के साथ संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1968 में प्रतीक आदेश जारी किया।प्रतीक आदेश चुनाव के उद्देश्य से उम्मीदवारों को चिह्नों के आरक्षण और आवंटन को नियंत्रित करता है।प्रतीक आदेश की प्रस्तावना में कहा गया है कि यह हैः

च

“संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में चुनावों में प्रतीकों के विनिर्देशन, आरक्षण, चयन और आवंटन के लिए, उनके संबंध में राजनीतिक दलों की मान्यता के लिए और उनसे जुड़े मामलों के लिए एक आदेश।"

जी.

131. राजनीतिक दलों को प्रतीक आदेश के तहत मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में वर्गीकृत किया गया है।42 पहचाना गया।

40 अनुच्छेद 361-बी, भारत का संविधान 1950

41 अनुच्छेद 75 (1-बी) और अनुच्छेद 164 (1-बी), भारत का संविधान 1950 42 अनुच्छेद 6 (1), प्रतीक आदेश ए

एच.

939

सुभाष देसाई बनाम राज्यपाल सचिव, महाराष्ट्र के राज्यपाल [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

राजनीतिक दलों को आगे राष्ट्रीय दलों और राज्य दलों में वर्गीकृत किया जाता है।43 ई. सी. आई. राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दलों या राज्य दलों के रूप में मान्यता देता है यदि वे प्रतीक आदेश में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।44

132. चुनाव आयोग प्रतीक आदेश के अनुसार चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को एक प्रतीक आवंटित करता है।45 कुछ प्रतीकों को "आरक्षित प्रतीक" कहा जाता है क्योंकि वे एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के लिए आरक्षित होते हैं और विशेष रूप से उस दल द्वारा स्थापित उम्मीदवारों को आवंटित किए जाते हैं और शेष प्रतीकों को "स्वतंत्र प्रतीक" कहा जाता है।" 46 राजनीतिक दल को विधान सभा में लौटे उम्मीदवारों की कुल संख्या या राजनीतिक दल द्वारा प्राप्त मतों के कुल प्रतिशत के आधार पर प्रतीक आदेश के तहत मान्यता दी जाती है।मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा स्थापित उम्मीदवारों को अपनी पार्टी के लिए आरक्षित प्रतीक का उपयोग करके चुनाव लड़ना चाहिए, और कोई अन्य प्रतीक नहीं।47 इसके विपरीत, राष्ट्रीय या राज्य राजनीतिक दलों द्वारा स्थापित उम्मीदवारों के अलावा और जो कुछ विशेष श्रेणियों के अंतर्गत नहीं आते हैं, 48 उम्मीदवार चुन सकते हैं और उन्हें एक स्वतंत्र प्रतीक आवंटित किया जाएगा।49 आरक्षित प्रतीक उन उम्मीदवारों को आवंटित नहीं किए जाते हैं जिन्हें उस राजनीतिक दल द्वारा स्थापित नहीं किया गया है जिसके लिए वह प्रतीक आरक्षित किया गया है।50

ग

डी.

133. इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रतीकों के क्रम का उद्देश्य

यह हैः

ई.

ए। राजनीतिक दलों की मान्यता के लिए एक समान प्रक्रिया प्रदान करना; और

बी। चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों को प्रतीकों के आवंटन के लिए एक समान और न्यायपूर्ण प्रणाली प्रदान करना।

134. प्रतीक आदेश का कारण यह तथ्य है कि राजनीतिक दल (और 'स्वतंत्र' उम्मीदवार) मतदाताओं के लिए प्रचार करते समय उन्हें आवंटित प्रतीक पर भरोसा करते हैं।काफी हद तक, मतदाता भी किसी पार्टी को आवंटित प्रतीक को पार्टी के साथ और उस पार्टी द्वारा चुनाव के लिए निर्धारित उम्मीदवारों के साथ जोड़ते हैं।द.

च

43 पैराग्राफ 6 (2), प्रतीक आदेश

जी.

44 पैराग्राफ 6 ए, 6 बी, 6 सी, प्रतीक आदेश 45 पैराग्राफ 4, प्रतीक आदेश

46 पैराग्राफ 5, प्रतीक आदेश 47 पैराग्राफ 8, प्रतीक आदेश

48 पैराग्राफ 10,10 ए, 10 बी, प्रतीक आदेश 49 पैराग्राफ 12, प्रतीक आदेश

50 पैराग्राफ 8 (3), प्रतीक आदेश

एच.

940

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 8 एस सी आर।

पार्टी, उस पार्टी द्वारा चुनाव के लिए स्थापित उम्मीदवारों के बीच संबंध, और प्रतीक समय के साथ मजबूत होता जाता है।यह जुड़ाव मतदान केंद्र में महत्वपूर्ण हो जाता है जब मतदाता किसी विशेष उम्मीदवार के लिए अपना वोट दर्ज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर बटन दबाते हैं क्योंकि प्रतीक बटन पर या उसके बगल में दर्शाया जाता है।यह संगठन उन मतदाताओं के लिए दोगुना महत्वपूर्ण है जिन्हें साक्षरता प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला है और जो अपना वोट डालने के लिए केवल प्रतीकों पर निर्भर हैं।इस तरह चुनाव लड़ने के लिए प्रतीक महत्वपूर्ण हैं।इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि जब किसी राजनीतिक दल के प्रतिद्वंद्वी गुट उभरते हैं, तो ऐसे दोनों या सभी गुट उस पार्टी को आवंटित प्रतीक के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं।135. ई. सी. आई. को प्रतीक आदेश के पैराग्राफ 15 के तहत किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रतिद्वंद्वी वर्गों या समूहों के बीच विवादों पर निर्णय लेने का अधिकार है, जिनमें से प्रत्येक उस पार्टी होने का दावा करता है।जब ऐसा विवाद उत्पन्न होता है, तो निर्वाचन आयोग यह तय करेगा कि प्रतिद्वंद्वी वर्गों या समूहों में से कोई एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है या नहीं।वैकल्पिक रूप से, यह तय कर सकता है कि कोई भी प्रतिद्वंद्वी समूह मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल नहीं है।ई. सी. आई. का निर्णय सभी उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ प्रतिद्वंद्वी समूहों और अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विचार करने पर आधारित होना चाहिए जो सुनना चाहते हैं।पैराग्राफ 15 नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

ग

डी.

“15. विभाजित समूहों या किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रतिद्वंद्वी वर्गों के संबंध में आयोग की शक्ति -

ई.

जब आयोग को अपने कब्जे में इस सूचना पर संतुष्टि होती है कि किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रतिद्वंद्वी वर्ग या समूह हैं, जिनमें से प्रत्येक पक्ष होने का दावा करता है, तो आयोग मामले के सभी उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और धाराओं या समूहों के ऐसे प्रतिनिधियों और अन्य व्यक्तियों को सुनने के बाद निर्णय ले सकता है कि ऐसा कोई भी प्रतिद्वंद्वी वर्ग या समूह या ऐसा कोई भी प्रतिद्वंद्वी वर्ग या समूह मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल नहीं है और आयोग का निर्णय ऐसे सभी प्रतिद्वंद्वी वर्गों या समूहों पर बाध्यकारी होगा।"

च

136. निर्वाचन आयोग के निर्णय का स्वाभाविक परिणाम यह है कि जिस समूह को राजनीतिक दल के गठन के रूप में मान्यता दी जाती है, उसे वह प्रतीक आवंटित किया जाता है जो उस राजनीतिक दल के लिए आरक्षित था।1997 से पहले, जिस गुट को राजनीतिक दल का प्रतीक नहीं दिया गया था (और परिणामस्वरूप राजनीतिक दल के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी) उसे भी प्रतीक आदेश के तहत एक राष्ट्रीय पार्टी या एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता दी गई थी।51 द.

जी.

एच.

51 वी. एस. रामा देवी और एस. के. मेंदिरत्ता, हाउ इंडिया वोट्स (तीसरा संस्करण, 2014), 621 ए में

ई. सी. आई. ने 1997 में इस प्रथा को छोड़ दिया।ई. सी. आई. ने तब से माना है कि पैराग्राफ 15 के तहत कार्यवाही में जिस गुट को राजनीतिक दल के रूप में मान्यता नहीं दी गई है, उसे स्वतः राज्य या राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है क्योंकि इसके सदस्य नवगठित राजनीतिक दल के टिकट पर नहीं चुने गए थे, बल्कि उस राजनीतिक दल के टिकट पर चुने गए थे जिससे उनका गुट उभरा था।52 असफल समूह को अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 ए के तहत अपने राजनीतिक दल के पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा।चुनाव आयोग राजनीतिक दल को प्रतीक आदेश के तहत राज्य या राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिलने पर एक प्रतीक आवंटित करेगा।

137. निर्वाचन आयोग के निर्णय के सार को केवल एक निर्धारण के रूप में नहीं समझा जा सकता है कि चुनाव के उद्देश्यों के लिए प्रतीक का हकदार कौन है।जबकि यह पैराग्राफ 15 के तहत निर्णय का परिणाम है, निर्णय का सार यह निर्धारित करना है कि कौन से समूह मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल की जीवनदायिनी हैं।यह निर्धारित करने के लिए कि कौन सा समूह प्रतीक का हकदार है, निर्वाचन आयोग के लिए यह निर्णय लेना आवश्यक हो जाता है कि वह राजनीतिक दल कौन सा समूह है।दूसरे शब्दों में, निर्वाचन आयोग यह निर्धारित करता है कि "वास्तविक" राजनीतिक दल कौन है और इस निर्णय के परिणामस्वरूप प्रतीक आवंटित किया जाता है।138. इस संबंध में, सादिक अली (ऊपर) में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया किः“35. …किसी राजनीतिक दल द्वारा स्थापित उम्मीदवारों को प्रतीक का आवंटन एक कानूनी अधिकार है और विभाजन की स्थिति में आयोग को यह निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया गया है कि प्रतिद्वंद्वी समूहों या वर्गों में से कौन सी पार्टी प्रतीक की हकदार थी।द.

ग

डी.

ई.

इस विवाद को हल करने में आयोग यह तय नहीं करता है कि कौन सा समूह पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन कौन सा समूह वह पक्ष है।यदि यह प्रतिनिधित्व का सवाल था, तो संगठन के संविधान के अनुसार एक छोटा समूह भी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने का हकदार हो सकता है।लेकिन, कहाँ

च

सवाल यह उठता है कि प्रतिद्वंद्वी समूहों में से कौन सा दल है, सवाल एक अलग रंग मानता है और प्रत्येक समूह की संख्यात्मक ताकत एक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक कारक बन जाती है।यह नहीं हो सकता।

जी.

लाभ यह बताया जाए कि यह तय करने में कि कौन सा समूह पक्षकार है, आयोग को यह तय करना होगा कि कौन सा समूह महत्वपूर्ण रूप से पक्षकार का गठन करता है।"

(जोर दिया गया)

एच.

52 वी. एस. रामा देवी और एस. के. मेंदिरत्ता, हाउ इंडिया वोट्स (तीसरा संस्करण, 2014), 621-622 पर

ग. प्रतीक आदेश के पैराग्राफ 15 के तहत विवादों पर लागू परीक्षण

139. पैराग्राफ 15 में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग को मामले के सभी उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए और प्रतिद्वंद्वी समूहों के प्रतिनिधियों और अन्य व्यक्तियों को सुनना चाहिए जो सुनना चाहते हैं।हालाँकि, न तो पैराग्राफ 15 और न ही प्रतीक आदेश के अन्य प्रावधानों में उस परीक्षण को निर्दिष्ट किया गया है जिसे चुनाव आयोग द्वारा अपने निर्णय पर पहुंचने के लिए लागू किया जाना है कि राजनीतिक दल कौन है।इसी तरह, किसी भी परीक्षण को ईसीआई द्वारा आवेदन से बाहर नहीं रखा गया है। इसका मतलब है कि ई. सी. आई. एक परीक्षण तैयार करने के लिए स्वतंत्र है जो उसके सामने विशिष्ट मामले के तथ्यों और जटिलताओं के अनुकूल है।

ग

140. सादिक अली (ऊपर) में, इस न्यायालय के पास कुछ अलग-अलग परीक्षणों पर विचार करने का अवसर था जो पैराग्राफ 15 के तहत कार्यवाही में लागू होने में सक्षम थे।उस मामले में, दो प्रतिद्वंद्वी समूह, कांग्रेस ओ और कांग्रेस जे, आईएनसी से उभरे। पैराग्राफ 15 के तहत उनके प्रतिस्पर्धी दावों पर निर्णय लेते समय, ईसीआई ने निम्नलिखित परीक्षणों पर विचार कियाः ए। पार्टी के संविधान के प्रावधानों का विश्लेषण करने वाला एक परीक्षण;

डी.

बी। यह आकलन करने के लिए एक परीक्षण कि दोनों में से कौन सा प्रतिद्वंद्वी समूह पार्टी के उद्देश्यों और उद्देश्यों का पालन करता है जैसा कि उसके संविधान में शामिल किया गया है; और

ई.

ग. यह मूल्यांकन करने के लिए एक परीक्षण कि दो प्रतिद्वंद्वी समूहों में से किसके पास विधायिका (यानी संसद के सदनों के साथ-साथ राज्यों की विधानसभाओं) और पार्टी की संगठनात्मक शाखा में बहुमत था।

च

141. ई. सी. आई. ने ऊपर बताए गए पहले परीक्षण को लागू करने से इनकार कर दिया क्योंकि प्रत्येक समूह ने दूसरे समूह के सदस्यों को निष्कासित कर दिया था।यह राय थी कि दूसरा परीक्षण उस मामले के तथ्यों के अनुकूल नहीं था क्योंकि न तो कांग्रेस ओ और न ही कांग्रेस जे ने पार्टी के संविधान के उद्देश्यों और उद्देश्यों को "खुले तौर पर अस्वीकार" किया था।ई. सी. आई. ने माना कि तीसरा परीक्षण उस मामले के तथ्यों के लिए सबसे उपयुक्त था।तदनुसार, इसने मूल्यांकन किया कि संसद और राज्य विधानसभाओं में और पार्टी की संगठनात्मक शाखा में दोनों में से किस समूह का बहुमत है।इसने पाया कि कांग्रेस जे को संगठनात्मक शाखा और विधायी शाखा दोनों में बहुमत प्राप्त था, और यह कि वह उस प्रतीक का उपयोग करने का हकदार था जो आई. एन. सी. के लिए आरक्षित था।

जी.

एच.

943

सुभाष देसाई बनाम राज्यपाल सचिव, महाराष्ट्र के राज्यपाल [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

क.

142. अपील पर, इस न्यायालय ने निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा और फैसला सुनाया कि 'बहुमत का परीक्षण' मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में एक बहुत ही मूल्यवान परीक्षण थाः

“26. … चूंकि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक संगठन है, हमारी राय में बहुमत और संख्यात्मक शक्ति की परीक्षा एक बहुत ही मूल्यवान और प्रासंगिक परीक्षा थी।सरकार या संगठन की किसी अन्य प्रणाली में जो भी स्थिति हो, सरकार या राजनीतिक व्यवस्था की लोकतांत्रिक प्रणाली में संख्याओं की प्रासंगिकता और महत्व होता है और उनकी दृष्टि से भटकना न तो संभव है और न ही इसकी अनुमति है।वास्तव में यह बहुमत का दृष्टिकोण है जो अंतिम विश्लेषण में लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्णायक साबित होता है।

ग

27. यह उल्लेख किया जा सकता है कि प्रतीक आदेश के पैराग्राफ 6 के अनुसार, किसी राजनीतिक दल को एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में मानने में जिन कारकों को ध्यान में रखा जा सकता है, उनमें से एक है लोक सभा या राज्य विधानसभा में उस दल द्वारा प्राप्त सीटों की संख्या या ऐसी पार्टी द्वारा स्थापित चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त मतों की संख्या।यदि किसी राजनीतिक दल द्वारा प्राप्त सीटों की संख्या या किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवारों के पक्ष में डाले गए वोटों की संख्या किसी राजनीतिक दल की मान्यता के लिए एक प्रासंगिक विचार हो सकता है, तो यह समझने में कोई कमी है कि सीटों की संख्या [.] कैसे अप्रासंगिक होगी।… इस न्यायालय का संबंध केवल इस बात से है कि क्या आयोग द्वारा बहुमत या संख्यात्मक शक्ति की परीक्षा को ध्यान में रखा गया है, जो मामले की परिस्थितियों में एक प्रासंगिक और व्यापक परीक्षण है।उस बिंदु पर, हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के संदर्भ में, बहुमत और संख्यात्मक शक्ति का परीक्षण न केवल सामान्य और प्रासंगिक था, बल्कि एक बहुत ही मूल्यवान परीक्षण था।"

डी.

ई.

च

143. सादिक अली (ऊपर) में निर्णय के बाद, चुनाव आयोग ने पैराग्राफ 15 के तहत विवादों के लिए पार्टी की विधायी और संगठनात्मक शाखाओं में बहुमत की परीक्षा को लगातार लागू किया। 53 तथापि, न तो प्रतीक आदेश और न ही सादिक अली (ऊपर दिया गया) इंगित करता है कि पैराग्राफ 15 के तहत विवादों का निर्धारण करते समय यह एकमात्र या यहां तक कि प्राथमिक परीक्षण भी लागू किया जाना है।ई. सी. आई. एक परीक्षण लागू कर सकता है जो उसके सामने विशेष विवाद के तथ्यों के लिए उपयुक्त हो।उन तथ्यों और परिस्थितियों के लिए परीक्षण की उपयुक्तता की परवाह किए बिना, सभी विवादों पर एक ही परीक्षण लागू करने की आवश्यकता नहीं है।

जी.

एच.

53 वी. एस. रामा देवी और एस. के. मेंदिरत्ता, हाउ इंडिया वोट्स (तीसरा संस्करण, 2014), 619 पर

घ. वर्तमान मामले में जटिलताओं की संभावना

144. वर्तमान मामले में, जून 2022 के अंत में और जुलाई 2022 के पहले सप्ताह में, प्रत्येक गुट के सदस्यों ने दसवीं अनुसूची के तहत विरोधी गुट के सदस्यों की अयोग्यता के लिए याचिकाएं दायर कीं।19 जुलाई 2022 को, श्री शिंदे ने चुनाव आयोग के समक्ष प्रतीक आदेश के पैराग्राफ 15 के तहत एक याचिका दायर की, जिसमें दावा किया गया कि उनके नेतृत्व वाले गुट ने "वास्तविक" शिवसेना का गठन किया और इसलिए इसे शिवसेना ("धनुष और तीर") का प्रतीक आवंटित किया जाना चाहिए।

145. जब दसवीं अनुसूची और प्रतीक आदेश को समवर्ती रूप से लागू किया जाता है, तो जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिनमें वर्तमान जैसे मामले भी शामिल हैं।यदि निर्वाचन आयोग 'बहुमत की परीक्षा' लागू करता है, तो (अन्य बातों के अलावा) इस बात पर विचार करने की आवश्यकता होगी कि महाराष्ट्र राज्य विधानमंडल में दोनों गुटों में से किस गुट को बहुमत प्राप्त है।इसलिए, सदन में किस गुट का बहुमत है, इसका चुनाव आयोग के समक्ष कार्यवाही के परिणाम पर कुछ प्रभाव पड़ेगा। विधायिका में किसी विशेष गुट का बहुमत है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उस गुट के सदस्यों को अयोग्य ठहराया गया है या नहीं।उदाहरण के लिए, हम एक ऐसे मामले पर विचार कर सकते हैं जहां किसी राज्य की विधान सभा में पार्टी एक्स की सौ सीटें हैं।दो गुट, समूह ए और समूह बी, उभरते हैं।पहले में साठ विधायक हैं और बाद वाले में शेष चालीस विधायक हैं।प्रत्येक समूह के सदस्य दूसरे समूह के सदस्यों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर करते हैं।ई. सी. आई. से यह तय करने के लिए कहा जाता है कि प्रतीक आदेश के पैराग्राफ 15 के तहत कौन सा समूह पार्टी एक्स है।वर्तमान में कानून के संदर्भ में, दो संभावित परिणाम हैं:

डी.

ई.

ए। ई. सी. आई. अपना निर्णय अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करता है।यह देखता है कि समूह ए को विधायिका में बहुमत प्राप्त है।इसके निर्णय पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, हालांकि यह एकमात्र कारक नहीं है जिस पर विचार किया जाता है।समूह ए को पार्टी एक्स के रूप में चुना जाता है और प्रतीक से सम्मानित किया जाता है; या

च

बी। अध्यक्ष अपना निर्णय निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। वे दल-बदल विरोधी कानून का उल्लंघन करने के लिए समूह ए के कुछ या सभी सदस्यों को अयोग्य ठहराते हैं।प्रतीक आदेश के पैराग्राफ 15 के तहत याचिका पर निर्णय लेते समय, ईसीआई (समूह ए के कुछ या सभी सदस्यों द्वारा की गई अयोग्यता को ध्यान में रखते हुए) नोट करता है कि समूह ए को विधायिका में बहुमत प्राप्त नहीं है।एक बार फिर, इसके निर्णय पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, हालांकि यह एकमात्र कारक नहीं है जो ए है।

जी.

एच.

945

सुभाष देसाई बनाम राज्यपाल सचिव, महाराष्ट्र के राज्यपाल [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

विचार किया।समूह बी को पार्टी एक्स के रूप में चुना जाता है और प्रतीक से सम्मानित किया जाता है।

146. निर्वाचन आयोग के समक्ष विवाद का परिणाम अयोग्यता याचिकाओं के परिणाम के आधार पर बदल सकता है।यह ठीक यही जटिलता है जिसके खिलाफ याचिकाकर्ता बचाव करना चाहते हैं।याचिकाकर्ताओं का आग्रह है कि जब प्रतीक आदेश के पैराग्राफ 15 और दसवीं अनुसूची के तहत कार्यवाही समवर्ती रूप से उत्पन्न हुई है, तो इस न्यायालय को कार्यवाही के लिए एक 'संवैधानिक अनुक्रम' निर्धारित करना चाहिए।वे प्रस्तुत करते हैं कि प्रतीक आदेश के पैराग्राफ 15 के तहत विवाद निर्धारित होने से पहले दसवीं अनुसूची के तहत कार्यवाही का निर्णय लिया जाना चाहिए, और यह कि "दसवीं अनुसूची की कार्यवाही के अंतिम निर्णय" के बाद ही एक प्रतीक आवंटित किया जा सकता है।"

ग

147. याचिकाकर्ताओं की दलीलों को दरकिनार नहीं किया जा सकता।यदि सदन में बहुमत प्राप्त करने वाले गुट को राजनीतिक दल घोषित किए जाने के तुरंत बाद अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, तो राजनीतिक दल होने के उनके दावे का आधार अब नहीं रहता है।भले ही उन्हें अयोग्य नहीं ठहराया जाता है, उनके दावे की नींव (यानी, एक विधायी बहुमत) अभी भी निर्णय के समय अनिश्चित आधार पर है।यह संवैधानिक रूप से वांछनीय परिणाम नहीं है।

डी.

ई. प्रतीक आदेश के पैराग्राफ 15 के साथ दसवीं अनुसूची का सामंजस्य बनाना।

ई.

148. यह न्यायालय याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित समाधान को स्वीकार नहीं कर सकता है और एक संवैधानिक क्रम निर्धारित नहीं कर सकता है।यह अभिनिर्धारित करना कि निर्वाचन आयोग को प्रतीक आदेश के अनुच्छेद 15 के तहत याचिकाओं पर निर्णय लेने से तब तक प्रतिबंधित किया गया है जब तक कि दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता याचिकाओं का "अंतिम निर्णय" नहीं हो जाता है, प्रभावी रूप से निर्वाचन आयोग के समक्ष कार्यवाही पर अनिश्चित काल के लिए रोक लगा दी जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि अध्यक्ष का आदेश तभी अंतिम होता है जब अपील के लिए सभी रास्ते समाप्त हो जाते हैं या समय के साथ बाधित हो जाते हैं।अध्यक्ष के आदेश को अंतिम रूप देने में कितना समय लगेगा, यह अनिश्चित है।निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक रूप से स्थापित संस्थान है जिसे चुनावी प्रक्रिया पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण का कार्य सौंपा गया है।निर्वाचन आयोग, जो एक संवैधानिक प्राधिकरण है, को

अनिश्चित काल के लिए अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करने से नहीं रोका जा सकता है।एक संवैधानिक प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाही को दूसरे संवैधानिक प्राधिकरण के निर्णय की प्रत्याशा में नहीं रोका जा सकता है।

च

जी.

एच.

149. इस न्यायालय को इस बीच की अवधि में किसी राजनीतिक दल की मृत्यु की संभावना के प्रति भी सचेत रहना चाहिए, या यदि निर्वाचन आयोग के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने की अवधि के दौरान चुनाव की घोषणा की जाती है तो आगे की जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं, यदि रोक दी जानी थी।जब प्रतीक आदेश के पैराग्राफ 15 के तहत कोई विवाद निर्णय के लिए लंबित है, तो चुनाव आयोग के लिए उस राजनीतिक दल के लिए आरक्षित प्रतीक को फ्रीज करना और प्रतिद्वंद्वी समूहों को अंतरिम प्रतीक आवंटित करना मानक प्रथा है।यदि आरक्षित प्रतीक को अत्यधिक लंबे समय तक रोक दिया जाता है और प्रत्येक उपचुनाव और चुनाव के लिए अंतरिम प्रतीकों का सहारा लिया जाना चाहिए, तो यह मतदाताओं के दिमाग में आरक्षित प्रतीक और राजनीतिक दल के बीच संबंध को समाप्त कर सकता है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह उस राजनीतिक दल के लिए एक झटका होगा जो कानूनी रूप से अपने उपयोग के लिए आरक्षित प्रतीक का हकदार है।इसलिए, ई. सी. आई. को यह निर्णय लेना चाहिए कि उस राजनीतिक दल का गठन किस समूह द्वारा किया जाता है।

ग

150. इस निर्णय पर पहुंचने के लिए, ई. सी. आई. के लिए केवल विधायिका में बहुमत की परीक्षा पर भरोसा करना आवश्यक नहीं है। वर्तमान जैसे मामलों में, यह आकलन करना व्यर्थ होगा कि विधायिका में किस समूह को बहुमत प्राप्त है।इसके बजाय, ई. सी. आई. को प्रतीक आदेश के पैराग्राफ 15 के तहत एक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अन्य परीक्षणों पर ध्यान देना चाहिए।अन्य परीक्षणों में राजनीतिक दल की संगठनात्मक शाखाओं में बहुमत का मूल्यांकन, पार्टी संविधान के प्रावधानों का विश्लेषण या कोई अन्य उपयुक्त परीक्षण शामिल हो सकता है।

डी.

ई.

151. जब इस न्यायालय ने सादिक अली (ऊपर) में याचिका का फैसला किया, तो दसवीं अनुसूची संविधान का हिस्सा नहीं थी।इस न्यायालय के लिए यह निर्णय लेते समय कि कौन सा परीक्षण सबसे उपयुक्त है, उन जटिलताओं का अनुमान लगाने का कोई तरीका नहीं था जो इसे शामिल करने पर उत्पन्न हो सकती थीं।इसके बावजूद, इस न्यायालय ने यह नहीं माना कि विधायिका में बहुमत की परीक्षा विशेष रूप से उचित थी या यह भी कि यह प्राथमिक परीक्षा थी।इसके बजाय यह पाया गया कि परीक्षण उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुकूल था।जैसा कि पिछले पैराग्राफ में देखा गया है, प्रतीक आदेश में कुछ भी अन्य परीक्षणों के बहिष्कार के लिए एक विशेष परीक्षण के उपयोग को अनिवार्य नहीं करता है।ई. सी. आई. को एक परीक्षण लागू करना चाहिए जो उसके सामने मामले के अद्वितीय तथ्यों और परिस्थितियों के लिए सबसे उपयुक्त हो।ई. सी. आई. के समक्ष विवाद में पक्षकार एक उपयुक्त परीक्षण का प्रस्ताव करने के लिए स्वतंत्र हैं और ई. सी. आई. या तो प्रस्तावित परीक्षणों में से एक को लागू कर सकता है या उपयुक्त होने पर एक नया परीक्षण तैयार कर सकता है।इस न्यायालय ने सादिक अली (ऊपर) में कहा कि विधायी बहुमत का परीक्षण दो कारणों से उस मामले में पैराग्राफ 15 की कार्यवाही के तहत एक प्रासंगिक परीक्षण थाःपहला, आई. एन. सी. अदालत के अनुसार एक लोकतांत्रिक संगठन था, और ऐसे संगठनों में संख्याएँ मायने रखती हैं; और दूसरा, कुल संख्या ए।

च

जी.

एच.

947

सुभाष देसाई बनाम राज्यपाल सचिव, महाराष्ट्र के राज्यपाल [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

विधान सभा में राजनीतिक दल द्वारा प्राप्त सीटों की संख्या किसी राजनीतिक दल की राज्य या राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता के लिए एक प्रासंगिक कारक है।जब विधायकों को दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य ठहराया जाता है, तो प्रतीक आदेश के तहत राजनीतिक दल की मान्यता का आधार और तदनुसार, विधायी बहुमत के परीक्षण का उपयोग करने का एक कारण ही कमजोर हो जाता है।इस प्रकार, ऐसी स्थितियों में निर्वाचन आयोग को विधायी बहुमत की एकल परीक्षा तक सीमित रखना उचित नहीं है।

152. सादिक अली (ऊपर) में, इस न्यायालय ने उल्लेख किया कि निर्वाचन आयोग द्वारा विचार किए गए परीक्षणों में से एक यह मूल्यांकन था कि दो प्रतिद्वंद्वी समूहों में से कौन सा दल के उद्देश्यों और उद्देश्यों का पालन करता है जैसा कि उसके संविधान में शामिल किया गया है।इस न्यायालय के पास इस परीक्षण की वैधता पर अपनी राय व्यक्त करने का अवसर नहीं था क्योंकि उसने पाया कि बहुमत का परीक्षण सादिक अली (उपरोक्त) के तथ्यों के लिए प्रासंगिक था।चूँकि हमने ई. सी. आई. के लिए यह खुला छोड़ दिया है कि वह इसके अलावा एक अन्य परीक्षण लागू करे जो यह मूल्यांकन करता है कि कौन से समूह बहुमत का गठन करते हैं, इसलिए यह विचार करना आवश्यक हो जाता है कि क्या विकल्प व्यवहार्य हैं।

ग

डी.

153. प्रतिद्वंद्वी समूह अपने संविधान में शामिल पार्टी के उद्देश्यों और उद्देश्यों का पालन कर रहे हैं या नहीं, और कौन सा प्रतिद्वंद्वी समूह ऐसे उद्देश्यों और उद्देश्यों के अनुरूप है, इसका मूल्यांकन पूरी तरह से व्यक्तिपरक अभ्यास है।अलग-अलग समूह एक ही उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अलग-अलग रास्ते या तरीके अपना सकते हैं।ई. सी. आई. के लिए यह उचित नहीं होगा कि वह एक समूह द्वारा चुने गए मार्गों या तरीकों को दूसरे समूह द्वारा चुने गए मार्गों पर अपनी मंजूरी की मुहर लगाए।यह राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने के बराबर होगा।उदाहरण के लिए, किसी दल के संविधान में विस्तृत उद्देश्यों में से एक यह हो सकता है कि वह आर्थिक न्याय प्राप्त करने की दिशा में काम करेगा।इस पार्टी के दो प्रतिद्वंद्वी वर्ग उभर सकते हैं।पहला समूह प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की वकालत कर सकता है जबकि दूसरा समूह यह मान सकता है कि कुछ उत्पादों की लागत पर सब्सिडी देना एक बेहतर विकल्प है।आर्थिक न्याय प्राप्त करने के लिए इनमें से कौन सी विधि (और विस्तार से, प्रतिद्वंद्वी समूहों में से कौन सी) अधिक उपयुक्त है, यह निर्धारित करने में निर्वाचन आयोग का अभ्यास व्यक्तिपरक है।यद्यपि यह एक सरलीकृत उदाहरण है, यह उस तरीके का उदाहरण है जिसमें एक ही लक्ष्य को विभिन्न मार्गों से प्राप्त करने की कोशिश की जा सकती है, और ईसीआई इस तरह का मूल्यांकन करते समय बिना किसी वस्तुनिष्ठ आधार के अपनी राय देगा।ई. सी. आई. को एक तटस्थ निकाय बने रहना चाहिए और प्रतिद्वंद्वी गुटों द्वारा पसंद किए गए दृष्टिकोणों पर व्यक्तिपरक निर्णय पारित करने से बचना चाहिए।

ई.

च

जी.

एच.

948

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 8 एस सी आर।

154. इस स्तर पर, एक सवाल उठ सकता है कि क्या प्रतीक आदेश के तहत निर्वाचन आयोग का निर्णय दसवीं अनुसूची के तहत अध्यक्ष के निर्णय के अनुरूप होना चाहिए।इसका जवाब है नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अध्यक्ष का निर्णय और निर्वाचन आयोग का निर्णय अलग-अलग विचारों पर आधारित होते हैं और अलग-अलग उद्देश्यों के लिए लिए जाते हैं।

155. ई. सी. आई. के निर्णय का संभावित प्रभाव है।एक घोषणा कि प्रतिद्वंद्वी समूहों में से एक यह है कि राजनीतिक दल निर्णय की तारीख से संभावित रूप से प्रभावी होता है।जिस गुट को प्रतीक दिया गया है, उसके सदस्यों को अध्यक्ष द्वारा सदन से अयोग्य घोषित किए जाने की स्थिति में, समूह के जो सदस्य सदन में बने रहेंगे, उन्हें अपने समूह को नए प्रतीक के आवंटन के लिए प्रतीक आदेश और किसी अन्य प्रासंगिक कानून (ओं) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा।

ग

156. निर्वाचन आयोग के निर्णय की प्रत्याशा में अध्यक्ष के समक्ष अयोग्यता की कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। जिन मामलों में (कथित) निषेधात्मक आचरण के बाद प्रतीक आदेश के पैराग्राफ 15 के तहत याचिका दायर की जाती है, वहां अयोग्यता की कार्यवाही पर निर्णय लेने के लिए अध्यक्ष द्वारा निर्वाचन आयोग के निर्णय पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।यदि अयोग्यता याचिकाओं पर ऐसे मामलों में निर्वाचन आयोग के निर्णय के आधार पर निर्णय लिया जाता है, तो निर्वाचन आयोग के निर्णय का पूर्वव्यापी प्रभाव होगा।यह कानून के खिलाफ होगा।

डी.

ई.

157. जब दसवीं अनुसूची के तहत निषिद्ध आचरण (कथित रूप से) किया जाता है, तो केवल एक राजनीतिक दल होता है।जैसा कि इस निर्णय के पूर्ववर्ती खंडों में चर्चा की गई है, इसके लिए अध्यक्ष को प्रथम दृष्टया यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि अधिनियम के समय राजनीतिक दल कौन था, जो कथित रूप से दसवीं अनुसूची के प्रावधानों को आकर्षित करता है।अध्यक्ष का यह निर्णय कि सदन के किसी सदस्य को स्वेच्छा से राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ने के लिए अयोग्य ठहराया जाता है, केवल उन्हें सदन से अयोग्य ठहराएगा।इससे राजनीतिक दल से सदस्य का स्वतः निष्कासन नहीं होगा।यह इस प्रकार है कि याचिकाकर्ताओं का यह निवेदन कि जिस विधायक को दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 2 के तहत अयोग्य ठहराया गया है, उसे प्रतीक आदेश के पैराग्राफ 15 के तहत याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है।हम तदनुसार इस निर्णय के पैराग्राफ 32 (जे) में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर देते हैं।

च

जी.

158. श्री शिंदे द्वारा प्रतीक आदेश के पैराग्राफ 15 के तहत शुरू की गई कार्यवाही में, निर्वाचन आयोग ने "धनुष और तीर" प्रतीक को सम्मानित किया।

एच.

949

सुभाष देसाई बनाम राज्यपाल सचिव, महाराष्ट्र के राज्यपाल [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

क.

उनके नेतृत्व वाले गुट के लिए शिवसेना के लिए आरक्षित।याचिकाकर्ताओं ने इस आदेश को इस अदालत में चुनौती दी।54 22 फरवरी 2023 के एक आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने नोटिस जारी किया।हमने उस मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

vi)दसवीं अनुसूची 159 के अनुच्छेद 3 को हटाने का प्रभाव।संविधान की दसवीं अनुसूची को संविधान (बावनवा संशोधन) अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया था।दसवीं अनुसूची ने दलबदल के 'संवैधानिक पाप' के लिए एक उपाय प्रदान करने की मांग की। सीधे शब्दों में कहें तो दलबदल राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन या संसद के किसी भी सदन के सदस्यों का उस राजनीतिक दल से बाहर निकलकर निष्ठा बदलने का कार्य है जिसके टिकट पर वे चुनाव में गए थे और दूसरे राजनीतिक दल में शामिल हो गए

थे।दसवीं अनुसूची के शामिल होने से पहले के वर्षों में संघ और राज्य दोनों स्तरों पर राजनीतिक दलों में असंख्य दलबदल हुए थे। इन दल-बदलों से उत्पन्न अशांत राजनीतिक परिदृश्य ने देश में दल-बदल विरोधी कानून की आवश्यकता को जन्म दिया।

ग

डी.

160. दसवीं अनुसूची सदन के किसी भी सदस्य को अयोग्य ठहराकर दलबदल को दंडित करती है जो निषिद्ध कार्य में लिप्त पाया जाता है।पैराग्राफ 2 (1) (ए) में कहा गया है कि किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित सदन के सदस्य को सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा यदि उन्होंने स्वेच्छा से ऐसे राजनीतिक दल की अपनी सदस्यता छोड़ दी है।पैराग्राफ 2 (1) (बी) में प्रावधान है कि एक सदस्य को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा यदि वह उस राजनीतिक दल द्वारा जारी किए गए किसी भी निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करता है या मतदान करने से बचता है जिससे वह संबंधित है, या इस संबंध में उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा।

ई.

161. दसवीं अनुसूची के अनुच्छेद 6 में सदन के अध्यक्ष को अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने का अधिकार सौंपा गया है। अयोग्यता याचिका पर निर्णय लेते समय, अध्यक्ष को उस सदस्य द्वारा उठाए गए किसी भी बचाव (ओं) पर भी विचार करना चाहिए जिसके खिलाफ याचिका दायर की गई है।दसवीं अनुसूची, जैसा कि वर्तमान में है, पाँच बचावों को निर्दिष्ट करती है जिनका एक सदस्य दल-बदल विरोधी कानून के परिणामों से खुद को बचाने के लिए सहारा ले सकता हैः

च

जी.

ए। पैराग्राफ 2 (1) (बी) के तहत किसी सदस्य को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, अगर उन्होंने ऐसे राजनीतिक दल द्वारा जारी निर्देशों के विपरीत मतदान करने या मतदान से दूर रहने के लिए अपने राजनीतिक दल की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली है।

54 2023 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 3997

एच.

55 संविधान की दसवीं अनुसूची का अनुच्छेद 2 (1) (बी)

बी। एक सदस्य को पैराग्राफ 2 (1) (बी) के तहत अयोग्य ठहराए जाने से संरक्षित किया जाता है यदि वह राजनीतिक दल जिससे वे संबंधित हैं, ने ऐसे मतदान या अनुपस्थित रहने के पंद्रह दिनों के भीतर ऐसे राजनीतिक दल द्वारा जारी निर्देशों के विपरीत मतदान करने या मतदान से दूर रहने में अपने कार्यों को माफ कर दिया है।

ग. पैराग्राफ 4 के संदर्भ में, एक सदस्य को पैराग्राफ 2 (1) (ए) के तहत या पैराग्राफ 2 (1) (बी) के तहत अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, जहां उनका मूल राजनीतिक दल किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय हो जाता है और वे दावा करते हैं कि वे और उनके मूल राजनीतिक दल के कोई अन्य सदस्य ऐसे अन्य राजनीतिक दल या विलय से बने नए राजनीतिक दल के सदस्य बन गए हैं।57 यह बचाव केवल तभी किया जाता है जब संबंधित विधायक दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्य विलय के लिए सहमत हों; 58 डी।ऐसे मामलों में जहां किसी सदस्य के मूल राजनीतिक दल का पैराग्राफ 4 (1) (ए) के तहत किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय पाया जाता है, मूल राजनीतिक दल के सदस्यों को अयोग्य ठहराए जाने से संरक्षित किया जाता है यदि उन्होंने इस तरह के विलय को स्वीकार नहीं किया है और एक अलग समूह के रूप में कार्य करने का विकल्प चुना है; और

ग

डी.

ङ. संसद या राज्यों की विधानसभाओं में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष (या यथास्थिति, अध्यक्ष या उपसभापति) के पद के लिए चुने गए सदस्यों को दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता से छूट दी गई है यदि वे स्वेच्छा से ऐसे पद के लिए अपने चुनाव के कारण अपने राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देते हैं और राजनीतिक दल में फिर से शामिल नहीं होते हैं या किसी अन्य राजनीतिक दल के सदस्य नहीं बनते हैं जब तक कि वे ऐसे पद पर बने रहते हैं।इसके अलावा, उन्हें अयोग्य नहीं ठहराया जाता है यदि वे उस राजनीतिक दल में फिर से शामिल हो जाते हैं जिसकी सदस्यता उन्होंने पद छोड़ने के बाद छोड़ दी थी।60

ई.

च

162. 2003 से पहले, अनुच्छेद 3 के तहत छठा बचाव उन सदस्यों के लिए उपलब्ध था जिनके खिलाफ अयोग्यता याचिकाएं दायर की गई थीं।अनुच्छेद

जी.

56 संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2 (1) (बी) 57 संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 4 (1) (ए) 58 संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 4 (2) 59 संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 4 (1) (बी) 60 संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 5 ए

एच.

951

सुभाष देसाई बनाम राज्यपाल सचिव, महाराष्ट्र के राज्यपाल [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

3 यह निर्धारित किया गया था कि यदि उनके मूल राजनीतिक दल में विभाजन होता है तो सदन का कोई सदस्य अयोग्यता के अधीन नहीं होगा।इसे संविधान (91 वां संशोधन) अधिनियम 2003 द्वारा दसवीं अनुसूची से हटा दिया गया था।इसके लोप होने से पहले, अनुच्छेद 3 निम्नानुसार पढ़ा गया थाः“3. दलबदल के आधार पर अयोग्यता विभाजन के मामले में लागू नहीं होगी।—जहां किसी सदन का कोई सदस्य यह दावा करता है कि वह और उसके विधायक दल का कोई अन्य सदस्य उस गुट का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह का गठन करते हैं जो उसके मूल राजनीतिक दल में विभाजन के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ है और ऐसे समूह में ऐसे विधायक दल के कम से कम एक तिहाई सदस्य होते हैं, -

(क) वह पैराग्राफ 2 के उप-पैराग्राफ (1) के तहत अयोग्य नहीं होगा -

ग

((i) कि उसने स्वेच्छा से अपने मूल राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ दी है; या

((ख) कि उसने ऐसे दल, व्यक्ति या प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना उस पक्ष या उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए किसी भी निर्देश के विपरीत ऐसे सदन में मतदान किया है या मतदान करने से परहेज किया है और ऐसे मतदान या बहिष्कार को ऐसे दल, व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा ऐसे मतदान या बहिष्कार की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर माफ नहीं किया गया है; और (ख) ऐसे विभाजन के समय से, ऐसे गुट को वह राजनीतिक दल माना जाएगा जिससे वह अनुच्छेद 2 के उप-अनुच्छेद (1) के उद्देश्यों के लिए संबंधित है और इस अनुच्छेद के उद्देश्यों के लिए अपना मूल राजनीतिक दल माना जाएगा।"

डी.

ई.

ए। अयोग्यता कार्यवाही का सामना करने वाले सदस्यों के लिए 'विभाजन' का बचाव अब उपलब्ध नहीं है।

च

163. इस न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह है कि दसवीं अनुसूची के अनुच्छेद 3 को हटाने का क्या प्रभाव पड़ता है?यह सवाल शिवसेना के दोनों गुटों के "असली" शिवसेना होने का दावा करने के संदर्भ में उठा है।वास्तव में, यह एस. एस. एल. पी. के भीतर विभाजन के अस्तित्व की ओर इशारा करता है। हालांकि, कोई भी गुट या समूह यह तर्क नहीं दे सकता है कि वे दलबदल के आधार पर अयोग्यता के खिलाफ बचाव के रूप में मूल राजनीतिक दल का गठन करते हैं।

जी.

164. दसवीं अनुसूची से अनुच्छेद 3 को हटाने का अपरिहार्य परिणाम यह है कि विभाजन का बचाव अब उन सदस्यों के लिए उपलब्ध नहीं है जो अयोग्यता की कार्यवाही का सामना करते हैं।ऐसे मामलों में जहां किसी राजनीतिक दल या विधायक दल में विभाजन हुआ है, के सदस्य

एच.

यदि प्रत्येक गुट दूसरे गुट के सदस्यों की अयोग्यता के लिए याचिका दायर करता है तो कोई भी गुट वैध रूप से यह बचाव नहीं कर सकता है कि वे राजनीतिक दल हैं।जिस बचाव का लाभ उठाया जाना चाहिए, वह दसवीं अनुसूची के भीतर पाया जाना चाहिए जैसा कि वर्तमान में है।165. यदि दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 4 (1) की आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो कई समूहों या गुटों के सदस्य सदन के सदस्य के रूप में बने रह सकते हैं।एक राजनीतिक दल के दो (या अधिक) गुट सदन में रह सकते हैं यदि एक गुट ने पैराग्राफ 4 (1) (ए) के संदर्भ में दूसरे राजनीतिक दल में विलय करने का विकल्प चुना है और दूसरे गुट ने विलय को स्वीकार नहीं करने का विकल्प चुना है।हालांकि, ऐसे मामलों में जहां एक विभाजन हुआ है, और गुटों में से एक के सदस्यों को पैराग्राफ 2 (1) की शर्तों को पूरा करते हुए पाया जाता है और वे ऊपर वर्णित पांच बचावों में से किसी को भी स्थापित करने में असमर्थ हैं, वे अयोग्य ठहराए जाएंगे।प्रत्येक गुट में सदस्यों का प्रतिशत इस बात के निर्धारण के लिए अप्रासंगिक है कि अयोग्यता का बचाव किया जाता है या नहीं। 166. यह अनिवार्य रूप से पैराग्राफ 3 को हटाने का निहितार्थ है।अन्यथा पकड़ रखना दसवीं अनुसूची में 'विभाजन' के बचाव के प्रवेश की अनुमति पिछले दरवाजे से देना होगा।यह अस्वीकार्य है और पैराग्राफ 3 को हटाने को अर्थहीन बना देगा।यह एक तुच्छ कानून है कि जो सीधे नहीं किया जा सकता है उसे अप्रत्यक्ष रूप से करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।61 हमने जो व्याख्या की है वह केवल वही है जो पैराग्राफ 3 को हटाने के साथ मेल खाती है।

ग

डी.

ई.

बी। दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 2 के तहत अध्यक्ष का निर्णय

167. अयोग्यता कार्यवाही का सामना करने वाले सदस्यों के लिए उपलब्ध बचाव के बावजूद, अनुच्छेद 2 (1) (ए) के तहत अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेते समय अध्यक्ष से यह निर्धारित करने के लिए कहा जा सकता है कि "वास्तविक" राजनीतिक दल कौन है, जहां राजनीतिक या विधायक दल के दो या दो से अधिक गुट उत्पन्न हुए हैं।पैराग्राफ 3 को हटाने का प्रभाव यह है कि दोनों गुटों को मूल राजनीतिक दल का गठन नहीं माना जा सकता है।यह निर्धारित करने के लिए कि पार्टी के किन (यदि कोई हो) सदस्यों ने पैराग्राफ 2 (1) (ए) के तहत स्वेच्छा से राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ दी है, पहले यह निर्धारित करना आवश्यक है कि कौन से गुट राजनीतिक दल का गठन करते हैं।यह निर्धारण प्रथम दृष्टया एक निर्धारण है और प्रतीक आदेश के पैराग्राफ 15 के तहत कार्यवाही सहित किसी भी अन्य कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा।

जी.

61 दिल्ली प्रशासन बनाम गुरदीप सिंह उबन, (2000) 7 एससीसी 296; टैक्सी ओनर्स यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट बनाम राज्य परिवहन प्राधिकरण (उड़ीसा), (1983) 4 एस. सी. सी. 34 ए.

एच.

953

सुभाष देसाई बनाम राज्यपाल सचिव, महाराष्ट्र के राज्यपाल [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

168. अपने निर्णय पर पहुंचने में, अध्यक्ष को पार्टी के संविधान के साथ-साथ किसी भी अन्य नियम और विनियमों पर विचार करना चाहिए जो पार्टी के नेतृत्व की संरचना को निर्दिष्ट करते हैं।यदि प्रतिद्वंद्वी समूह पार्टी के संविधान के दो या अधिक संस्करण प्रस्तुत करते हैं, तो अध्यक्ष को उस संस्करण पर विचार करना चाहिए जो प्रतिद्वंद्वी गुटों के उभरने से पहले निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत किया गया था।दूसरे शब्दों में, अध्यक्ष को पार्टी के संविधान के उस संस्करण पर विचार करना चाहिए जो दोनों गुटों की सहमति से निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत किया गया था।यह ऐसी स्थिति को दूर करेगा जहां दोनों गुट अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संविधान में संशोधन करने का प्रयास करते हैं।इसके अलावा, अध्यक्ष को अपना निर्णय इस आधार पर नहीं लेना चाहिए कि कौन सा समूह राजनीतिक दल का गठन करता है, इस बात पर कि विधानसभा में किस समूह के पास बहुमत है।यह संख्याओं का खेल नहीं है, बल्कि कुछ और का है।विधान सभा के बाहर नेतृत्व की संरचना एक विचार है जो इस मुद्दे के निर्धारण के लिए प्रासंगिक है।169. पैराग्राफ 3 को हटाने से पैराग्राफ 2 (1) (बी) के तहत कार्यवाही भी प्रभावित होती है।जब राजनीतिक दल के दो या दो से अधिक गुटों द्वारा दो सचेतक नियुक्त किए जाते हैं, तो अध्यक्ष, जैसा कि निर्णय के पूर्ववर्ती खंड में कहा गया है, यह तय करता है कि दोनों में से कौन सा सचेतक राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करता है।इस प्रकार, अनुच्छेद 2 (1) (बी) के तहत किसी सदस्य को अयोग्य ठहराया जाना चाहिए या नहीं, इस पर अध्यक्ष का निर्णय भी अध्यक्ष के दो (या अधिक) सचेतकों में से एक को मान्यता देने के निर्णय पर निर्भर करेगा।हम तदनुसार इस निर्णय के पैराग्राफ 32 (एफ) में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर देते हैं।

ग

डी.

ई.

vii.श्री ठाकरे को शक्ति परीक्षण का सामना करने का निर्देश देने में राज्यपाल द्वारा विवेक का प्रयोग

170. इस मुद्दे के निर्धारण से संबंधित तथ्यों का वर्णन इस निर्णय के प्रारंभिक भाग में किया गया है।शिवसेना के चौंतीस विधायक 21 जून 2022 को मिले और एक प्रस्ताव पारित किया।प्रस्ताव में इस बात की पुष्टि की गई कि श्री एकनाथ शिंदे एस. एस. एल. पी. के समूह नेता बने रहेंगे, श्री सुनील प्रभु की मुख्य सचेतक के रूप में नियुक्ति को रद्द कर दिया गया और उनके स्थान पर श्री भरत गोगावले को नियुक्त किया गया।हस्ताक्षरकर्ताओं ने आई. एन. सी. और एन. सी. पी. के साथ गठबंधन में सरकार बनाने के लिए शिवसेना के प्रति असंतोष और असंतोष भी व्यक्त किया। अलग से, 28 जून 2022 को, राज्यपाल को उस समय के विपक्ष के नेता, श्री देवेंद्र फडणवीस और सात निर्दलीय उम्मीदवारों से पत्र प्राप्त हुए, जिन्होंने उनसे अनुरोध किया कि वे श्री ठाकरे को सदन में अपना बहुमत साबित करने का निर्देश दें।उसी दिन राज्यपाल ने पत्र जारी किया

च

जी.

एच.

954

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 8 एस सी आर।

2022 के डब्ल्यू. पी. (सी) 470 में श्री ठाकरे को 30 जून 2022 को सदन में अपना बहुमत साबित करने का निर्देश दिया।श्री ठाकरे ने 29 जून 2022 को इस्तीफा दे दिया क्योंकि इस अदालत ने विश्वास मत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।इस प्रकार, 2022 का डब्ल्यू. पी. (सी) 470 निष्फल हो गया है।इस न्यायालय को अब 28 जून 2022 के पत्र को रद्द करने के लिए नहीं कहा गया है। तथापि, यह प्रश्न कि क्या राज्यपाल ने कानून के अनुसार संविधान द्वारा निहित विवेकाधिकार का प्रयोग किया, इस न्यायालय द्वारा संबोधित किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि राज्यपाल के कार्यालय को सौंपी गई जिम्मेदारी की विशालता के साथ-साथ इस तरह के विवेकाधिकार के प्रयोग से होने वाले परिणामों के महत्व को भी ध्यान में रखा जाता है।

ग

171. राज्यपाल द्वारा तत्कालीन मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र से संकेत मिलता है कि उन्होंने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों पर भरोसा किया कि शक्ति परीक्षण की आवश्यकता थीः

ए। तत्कालीन विपक्ष के नेता से प्राप्त एक पत्र जिसमें कहा गया था कि श्री ठाकरे को अब सदन का विश्वास प्राप्त नहीं है;

डी.

बी। सात निर्दलीय विधायकों से राज्यपाल से अनुरोध करते हुए पत्र प्राप्त हुए कि वे श्री ठाकरे को सदन में अपना बहुमत साबित करने का निर्देश दें।

ग. एस. एस. एल. पी. के चौंतीस सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित 21 जून 2022 के प्रस्ताव में कहा गया है कि वे आई. एन. सी. और एन. सी. पी. के साथ गठबंधन करने के लिए शिवसेना से असंतुष्ट थे।

ई.

घ. श्री शिंदे द्वारा 21 जून 2022 को उपाध्यक्ष को संबोधित एक पत्र जिसमें कहा गया था कि श्री अजय चौधरी की एसएसएलपी के नेता के रूप में नियुक्ति अवैध थी; और

च

ई. एस. एस. एल. पी. के अड़तीस सदस्यों से 25 जून 2022 को प्राप्त एक पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा उन्हें प्रदान की गई सुरक्षा को अवैध रूप से वापस ले लिया गया है और उनकी जान को खतरा है।

जी.

172. इन सामग्रियों के आधार पर, राज्यपाल (28 जून 2022 के पत्र में) ने निष्कर्ष निकाला कि श्री ठाकरे ने सदन का विश्वास खो दिया हैः

“… शिवसेना के अधिकांश विधायकों ने शिवसेना विधायक दल की ओर से स्पष्ट संकेत दिया है कि उनका इरादा ए.

एच.

955

सुभाष देसाई बनाम राज्यपाल सचिव, महाराष्ट्र के राज्यपाल [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

महा विकास अघाड़ी सरकार से बाहर निकलें और आपको इसके बारे में जागरूक किया गया है और आप अपने विधायकों और कैडर को ऐसे तरीकों से जीतने की कोशिश कर रहे हैं जो लोकतांत्रिक नहीं हैं।इसलिए मुझे विश्वास है कि आपने और आपकी सरकार ने सदन का विश्वास खो दिया है और सरकार अल्पमत में है।"

इसके बाद राज्यपाल ने श्री ठाकरे से 30 जून 2022 को सदन में अपना बहुमत साबित करने का आह्वान किया।

173. राज्यपाल राज्य विधानमंडल का एक अभिन्न अंग होता है।राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है।अनुच्छेद 163 राज्यपाल से मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर अपनी विधायी और कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करने की अपेक्षा करता है। अनुच्छेद 163 (2) राज्यपाल को संविधान द्वारा या उसके तहत आवश्यक होने पर अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार देता है।अनुच्छेद 174 (1) में प्रावधान है कि राज्यपाल समय-समय पर सदन को ऐसे समय और स्थान पर बैठक के लिए बुलाएगा जो वे उचित समझते हैं।अनुच्छेद 175 (1) राज्यपाल को सदन को संबोधित करने का अधिकार देता है।अनुच्छेद 175 (2) राज्यपाल को किसी लंबित विधेयक के संबंध में या अन्यथा सदन को संदेश भेजने की अनुमति देता है।

ग

डी.

ए। शक्ति परीक्षण का आह्वान करने की राज्यपाल की शक्ति

174. एस. आर. बोम्मई (ऊपर) में जनता पार्टी ने अगस्त 1988 में एस. आर. बोम्मई के नेतृत्व में कर्नाटक में सरकार बनाई।इसके तुरंत बाद, जनता पार्टी और लोक दल (बी) का जनता दल नामक एक नई पार्टी में विलय हो गया। अप्रैल 1989 में जनता दल के सत्रह विधायकों ने राज्यपाल को पत्र लिखकर सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया।19 अप्रैल 1989 को राज्यपाल ने राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेजी जिसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बहुमत खो दिया है और संविधान के अनुच्छेद 356 (1) के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की।20 अप्रैल 1989 को मुख्यमंत्री ने सदन में बहुमत साबित करने की पेशकश की।हालाँकि, उसी दिन राज्यपाल ने राष्ट्रपति को एक और रिपोर्ट भेजी जिसमें दोहराया गया कि मुख्यमंत्री ने सदन के बहुमत का विश्वास खो दिया है और अनुच्छेद 356 (1) के तहत कार्रवाई की सिफारिश की है।तदनुसार, 21 अप्रैल 1989 को राष्ट्रपति ने एक घोषणा जारी की, राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया और विधानसभा को भंग कर दिया।

ई.

च

जी.

175. इस न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल यह तय नहीं कर सकते कि क्या मंत्रिपरिषद ने सदन का विश्वास खो दिया है और इसका निर्धारण सदन के पटल पर किया जाना है।यह न्यायालय मंजूरी देता है

एच.

राज्यपालों की पाँच सदस्यीय समिति की रिपोर्ट का उल्लेख किया गया जिसमें सिफारिश की गई थी कि जब कोई राज्यपाल "किसी भी प्रक्रिया या साधन से" संतुष्ट हो जाता है कि सरकार को अब बहुमत का समर्थन नहीं है, तो उन्हें मुख्यमंत्री से विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने के लिए कहना चाहिए।न्यायाधीश बी. पी. जीवन रेड्डी ने कहा कि सरकार द्वारा विश्वास की हानि एक वस्तुनिष्ठ तथ्य है जिसका पता केवल सदन के पटल पर लगाया जाना चाहिएः

“391. [.....] संविधान में यह बाध्यता नहीं है कि मंत्रालय बनाने वाले राजनीतिक दल के पास विधानमंडल में बहुमत होना चाहिए। अल्पसंख्यक सरकारें अनजान नहीं हैं।यह आवश्यक है कि सरकार को सदन का विश्वास प्राप्त हो।ऐसा प्रतीत होता है कि राज्यपाल ने इस पहलू को ध्यान में नहीं रखा है।दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या मंत्रिपरिषद ने सदन का विश्वास खो दिया है, यह राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाने वाला विषय नहीं है या उस मामले के लिए सदन के पटल को छोड़कर कहीं और निर्धारित किया जाना है।हमारे संविधान में अंतर्निहित लोकतंत्र के सिद्धांत का अनिवार्य रूप से अर्थ है कि इस तरह के किसी भी प्रश्न का निर्णय सदन में किया जाना चाहिए।सदन वह स्थान है जहाँ लोकतंत्र सक्रिय है।यह राज्यपाल के लिए नहीं है कि वह उक्त प्रश्न को

अपने दम पर या अपने सत्यापन पर निर्धारित करे।यह उनकी व्यक्तिपरक संतुष्टि का विषय नहीं है।यह एक वस्तुनिष्ठ तथ्य है जिसे सदन के पटल पर स्थापित किया जा सकता है।[.....]"

ग

डी.

ई.

176. शिवराज सिंह चौहान (ऊपर) में, मध्य प्रदेश राज्य में सरकार का गठन कांग्रेस द्वारा किया गया था। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान, भाजपा के विधायकों ने कांग्रेस के बाईस विधायकों के इस्तीफे अध्यक्ष को सौंपे।अध्यक्ष ने बाईस में से छह इस्तीफों को स्वीकार कर लिया।विधानसभा में विपक्ष की पार्टी ने इन इस्तीफों को स्वीकार करते हुए राज्यपाल को एक पत्र लिखा।राज्यपाल ने विश्वास मत कराने का निर्देश दिया।राज्यपाल की कार्रवाई पर इस न्यायालय के समक्ष हमला किया गया था।इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि संवैधानिक योजना ने राज्यपाल को "चल रही विधानसभा" में विश्वास मत का आह्वान करने की शक्ति और विवेकाधिकार प्रदान किया है और इस तरह का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है।इस न्यायालय ने फैसला सुनाया कि शक्ति परीक्षण के लिए बुलाने का निर्णय वस्तुनिष्ठ सामग्री और कारणों पर आधारित होना चाहिए जो विवेक के प्रयोग के लिए प्रासंगिक और उपयुक्त हैं, और इसके लिए बाहरी नहीं हैं।न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि राज्यपाल को लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकारों को अस्थिर करने या विस्थापित करने के लिए अपनी विवेकाधीन शक्ति का उपयोग नहीं करना चाहिएः

च

जी.

एच.

957

सुभाष देसाई बनाम राज्यपाल सचिव, महाराष्ट्र के राज्यपाल [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

क.

"71. संवैधानिक अधिकारियों को सौंपी गई शक्तियां न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं हैं।जहां राज्यपाल द्वारा शक्ति परीक्षण बुलाने के विवेकाधिकार के प्रयोग को अदालत के समक्ष चुनौती दी जाती है, वह न्यायिक समीक्षा से मुक्त नहीं है।अदालत को यह निर्धारित करने का अधिकार है कि क्या फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाने में, राज्यपाल ने वस्तुनिष्ठ सामग्री और कारणों के आधार पर ऐसा किया जो शक्ति के प्रयोग के लिए प्रासंगिक और उपयुक्त थे।इस तरह की शक्ति के प्रयोग का उद्देश्य विधान सभा के प्रति उत्तरदायी और सामूहिक रूप से इसके प्रति उत्तरदायी लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार को अस्थिर या विस्थापित करना नहीं है।विश्वास मत के लिए आह्वान करने की शक्ति का प्रयोग इस व्यापक विचार से निर्देशित होना चाहिए कि राज्यपाल द्वारा संतुष्टि का गठन बाहरी विचारों पर आधारित नहीं है।"177. इस न्यायालय ने यह भी कहा कि जब तक "आवश्यक और मजबूर करने वाली परिस्थितियाँ" न हों, राज्यपाल को अविश्वास प्रस्ताव की सामान्य विधायी प्रक्रिया को अपने नियत समय पर चलने से नहीं रोकना चाहिए।शिवराज सिंह चौहान (ऊपर) में, अध्यक्ष ने केवल छह सदस्यों के इस्तीफे स्वीकार किए जो मौजूदा सरकार के मंत्री थे, और विधानसभा को तेरह दिनों के लिए स्थगित कर दिया।इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि राज्यपाल द्वारा शक्ति परीक्षण का आह्वान करने के लिए वस्तुनिष्ठ सामग्री और प्रासंगिक कारण थे।

ग

डी.

178. अनुच्छेद 174 के तहत सदन बुलाने की राज्यपाल की शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर किया जाना चाहिए।महाराष्ट्र विधान सभा नियमों के नियम 95 में कहा गया है कि एक सदस्य जो मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव पेश करना चाहता है, वह लिखित सूचना द्वारा ऐसा करेगा।यदि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है और विधानसभा का सत्र चल रहा है, तो प्रस्ताव पेश करने की अनुमति नोटिस की तारीख से दो दिन के बाद नहीं दी जानी चाहिए।हालाँकि, यदि विधानसभा के सत्र में नहीं होने पर नोटिस प्राप्त होता है, तो प्रस्ताव पेश करने की अनुमति सत्र शुरू होने के दो दिनों के भीतर दी जाएगी।

ई.

च

179. अविश्वास प्रस्ताव को टालने के लिए, मौजूदा सरकार राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने की सलाह नहीं दे सकती है, और अध्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की अनुमति देने के लिए मतदान को रोकने के लिए सदन की बैठक को स्थगित कर सकते हैं।यदि अध्यक्ष और सरकार अविश्वास प्रस्ताव को दरकिनार करने का प्रयास करते हैं, तो राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना अनुच्छेद 174 के तहत शक्ति का प्रयोग करना उचित होगा।

जी.

एच.

180. संविधान और उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली शासन प्रणाली प्रतिनिधि लोकतंत्र पर आधारित है।इसका मतलब है कि विभिन्न स्तरों पर सरकारें कैसे काम करती हैं, इसमें प्रत्येक नागरिक की सक्रिय और सहभागी भूमिका होती है।जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि कानून बनाकर और नीतियों के कार्यान्वयन की देखरेख करके उनकी ओर से कार्य करते हैं।लोकतंत्र को प्राप्त करने के लिए यह हमारा चुना हुआ मार्ग है।प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव और निर्वाचित उम्मीदवार हमारे प्रतिनिधि लोकतंत्र के मॉडल के लिए अपरिहार्य हैं।इसलिए, संविधान निर्वाचित प्रतिनिधियों को लोगों की ओर से कार्य करने का अधिकार देता है।नतीजतन, राज्यपाल जो अपनी संवैधानिक स्थिति के बावजूद अनिर्बाचित है, के पास सीमित विवेकाधीन शक्तियां निहित हैं।

ग

181. मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना कार्य करने की राज्यपाल की शक्ति असाधारण प्रकृति की है।इस तरह की शक्तियों के प्रयोग का संसदीय लोकतंत्र पर प्रभाव पड़ता है।इसलिए, राज्यपाल द्वारा ऐसी शक्ति के प्रयोग की सीमा को उन स्थितियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कैलिब्रेट किया जाना चाहिए जहां राज्यपाल को वस्तुनिष्ठ सामग्री के आधार पर संतुष्ट किया जाता है कि उनकी असाधारण शक्ति के प्रयोग की गारंटी देने के लिए पर्याप्त कारण है।शक्ति परीक्षण का आह्वान करने का विवेकाधिकार एक निरंकुश विवेकाधिकार नहीं है, बल्कि कानून द्वारा उस पर निर्धारित सीमाओं के अनुसार सावधानीपूर्वक प्रयोग किया जाना चाहिए।

डी.

बी। राज्यपाल द्वारा शक्ति परीक्षण का आह्वान करने की शक्ति का प्रयोग

ई.

182. 28 जून 2022 के अपने पत्र में, राज्यपाल ने निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए ऊपर उल्लिखित पांच परिस्थितियों पर भरोसा कियाः(i) शिवसेना के अधिकांश विधायक एमवीए सरकार से बाहर निकलने का इरादा रखते थे; (ii) श्री ठाकरे अलोकतांत्रिक तरीकों का उपयोग करके विधायकों को जीतने की कोशिश कर रहे थे; और (iii) श्री ठाकरे ने सदन का विश्वास खो दिया था और एमवीए सरकार अल्पमत में थी।

च

183. याचिकाकर्ताओं ने आग्रह किया है कि राज्यपाल इस निष्कर्ष पर पहुंचने में उचित नहीं थे कि उन्होंने 21 जून 2022 के प्रस्ताव के आधार पर ऐसा किया क्योंकिः(i) शिवसेना के चौंतीस विधायकों ने एमवीए सरकार से बाहर निकलने का इरादा व्यक्त नहीं किया; और (ii) प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वाले विधायकों ने एसएसएलपी के एक गुट का गठन किया। 184.हालाँकि 21 जून 2022 के

प्रस्ताव में निर्दिष्ट किया गया है कि एस. एस. एल. पी. के कुछ विधायक एम. वी. ए. सरकार के कामकाज से असंतुष्ट थे, लेकिन यह समर्थन वापस लेने के उनके इरादे को दर्ज नहीं करता है।

जी.

एच.

959

सुभाष देसाई बनाम राज्यपाल सचिव, महाराष्ट्र के राज्यपाल [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

सरकार की ओर से।28 जून 2022 के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वाले चौंतीस विधायकों में से कुछ सरकार में मंत्री भी थे।इस प्रस्ताव के आधार पर, राज्यपाल ने निष्कर्ष निकाला कि "शिवसेना के अधिकांश विधायकों ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वे महा विकास अघाड़ी सरकार से बाहर निकलने का इरादा रखते हैं।"185. विधानसभा का सत्र तब नहीं चल रहा था जब श्री फडणवीस और सात निर्दलीय विधायकों ने राज्यपाल को पत्र लिखा था।हालांकि, विपक्षी दलों के सदस्यों ने मौजूदा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए नोटिस जारी करने का कोई प्रयास नहीं किया।186. राज्यपाल के पास ऐसी कोई वस्तुनिष्ठ सामग्री नहीं थी जिसके आधार पर वह मौजूदा सरकार के विश्वास पर संदेह कर सकें।जिस प्रस्ताव पर राज्यपाल ने भरोसा किया, उसमें इस बात का कोई संकेत नहीं था कि विधायक एमवीए सरकार से बाहर निकलना चाहते हैं।कुछ विधायकों की ओर से असंतोष व्यक्त करने वाला संचार राज्यपाल के लिए शक्ति परीक्षण का आह्वान करने के लिए पर्याप्त नहीं है।राज्यपाल को यह आकलन करने के लिए अपने समक्ष संचार (या किसी अन्य सामग्री) पर अपना दिमाग लगाना चाहिए कि क्या सरकार ने सदन का विश्वास खो दिया है।हम 'राय' शब्द का उपयोग वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर संतुष्टि के लिए करते हैं कि क्या उनके पास प्रासंगिक सामग्री है, और राज्यपाल की व्यक्तिपरक संतुष्टि के लिए नहीं।एक बार जब कोई सरकार कानून के अनुसार लोकतांत्रिक रूप से चुनी जाती है, तो यह धारणा होती है कि उसे सदन का विश्वास प्राप्त है।इस धारणा को दूर करने के लिए कुछ वस्तुनिष्ठ सामग्री मौजूद होनी चाहिए।

ग

डी.

ई.

187. विधायकों ने 21 जून 2022 के प्रस्ताव में एमवीए सरकार से समर्थन वापस लेने की इच्छा व्यक्त नहीं की।भले ही यह माना जाए कि विधायक सरकार से बाहर निकलने का इरादा रखते हैं, उन्होंने केवल एस. एस. एल. पी. के एक गुट का गठन किया और वे अधिक से अधिक थे, जो उनके राजनीतिक दल द्वारा अपनाई गई कार्रवाई के प्रति उनके असंतोष का संकेत देते हैं।

च

188. महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल-पुथल शिवसेना के भीतर पार्टी मतभेदों के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई।हालांकि, शक्ति परीक्षण का उपयोग पार्टी के आंतरिक विवादों या पार्टी के भीतर के विवादों को हल करने के लिए एक माध्यम के रूप में नहीं किया जा सकता है। एक राजनीतिक दल के भीतर असहमति और असहमति को पार्टी के संविधान के तहत निर्धारित उपायों के अनुसार, या किसी अन्य तरीके के माध्यम से हल किया जाना चाहिए जिसे पार्टी चुनती है।सरकार का समर्थन नहीं करने वाली पार्टी और पार्टी के भीतर अपने पार्टी नेतृत्व और कामकाज के प्रति असंतोष व्यक्त करने वाले व्यक्तियों के बीच एक स्पष्ट अंतर है।

जी.

एच.

960

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 8 एस सी आर।

189. राज्यपाल राज्य सरकार का नाममात्र प्रमुख होता है।वह एक संवैधानिक पदाधिकारी हैं जो संविधान से अपना अधिकार प्राप्त करते हैं।इस मामले में, राज्यपाल को अपने में निहित शक्ति की संवैधानिक सीमाओं से अवगत होना चाहिए।वह ऐसी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता जो उसे संविधान या उसके तहत बनाए गए कानून द्वारा प्रदान नहीं की गई हो।न तो संविधान और न ही संसद द्वारा अधिनियमित कानूनों में ऐसा तंत्र प्रदान किया गया है जिसके द्वारा किसी विशेष राजनीतिक दल के सदस्यों के बीच विवादों का निपटारा किया जा सके।वे निश्चित रूप से राज्यपाल को राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने और अंतर-पार्टी विवादों या अंतर-पार्टी विवादों में भूमिका निभाने (हालांकि सूक्ष्म) का अधिकार नहीं देते हैं।इससे पता चलता है कि राज्यपाल इस निष्कर्ष पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं कि शिवसेना का एक वर्ग सदन में सरकार से अपना समर्थन वापस लेना चाहता है।

ग

190. यह सच है कि शिवसेना के कुछ विधायकों द्वारा 25 जून 2022 को राज्यपाल को भेजे गए पत्र में उनसे अनुरोध किया गया है कि वे अपने सुरक्षा विवरण की बहाली के लिए उपयुक्त अधिकारियों को निर्देश जारी करें, जिसमें उल्लेख है कि वे विधायक "अब भ्रष्ट एमवीए सरकार का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे।" हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं लिया जा सकता है कि उन्होंने सदन में अपना समर्थन वापस ले लिया था।राज्यपाल द्वारा भरोसा किए गए किसी भी संचार में कुछ भी इस बात का संकेत नहीं देता है कि शिवसेना के असंतुष्ट विधायक मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से अपना समर्थन वापस लेने का इरादा रखते थे।सबसे ऊपर, विभिन्न संचारों ने इस तथ्य को व्यक्त किया कि विधायकों का एक गुट पार्टी के कुछ नीतिगत फैसलों से असहमत था।जिस समय शक्ति परीक्षण आयोजित करने का निर्देश दिया गया था, उस समय अपनी शिकायतों को व्यक्त करने और उनके निवारण के लिए वे जिस कार्रवाई को अपनाना चाहते थे, वह अनिश्चित थी।क्या वे सदन में या राजनीतिक दल में अपने सहयोगियों के साथ विचार-विमर्श करने का विकल्प चुनेंगे, या कार्यकर्ताओं को संगठित करेंगे, या विरोध में विधानसभा से इस्तीफा देंगे, या किसी अन्य पार्टी में विलय करने का विकल्प चुनेंगे, यह अनिश्चित था।इसलिए, राज्यपाल ने एस. एस. एल. पी. विधायकों के एक गुट द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव पर भरोसा करके यह निष्कर्ष निकाला कि श्री ठाकरे ने सदन के बहुमत का समर्थन खो दिया है।

डी.

ई.

च

191. दूसरा, राज्यपाल ने एस. एस. एल. पी. के अड़तीस सदस्यों के 25 जून 2022 के पत्र पर भरोसा किया जिसमें दावा किया गया था कि उन्हें और उनके परिवारों को प्रदान की गई सुरक्षा को अवैध रूप से वापस ले लिया गया था।विधायकों ने दावा किया कि उनकी स्वतंत्र इच्छा के खिलाफ एमवीए सरकार का समर्थन जारी रखने के लिए उन्हें मजबूर करने के लिए सुरक्षा वापस ले ली गई थी।" इसलिए, उन्होंने उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को प्रदान की गई सुरक्षा को बहाल करने की मांग की।

जी.

एच.

961

सुभाष देसाई बनाम राज्यपाल सचिव, महाराष्ट्र के राज्यपाल [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

क.

पत्र प्राप्त करने के बाद, राज्यपाल ने राज्य पुलिस को विधायकों, उनके परिवार के सदस्यों और उनकी संपत्ति को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश जारी किए।हालांकि, विधायकों की सुरक्षा की कमी का इस सवाल पर कोई असर नहीं है कि क्या सरकार को सदन का विश्वास प्राप्त है।ऐसे मामलों में राज्यपाल की उचित प्रतिक्रिया यह सुनिश्चित करना है कि जिस सुरक्षा के वे कानूनी रूप से हकदार हैं, वह उन्हें प्रदान की जाती रहे, यदि उसे हटा दिया गया है।यह एक बाहरी कारण था जिस पर राज्यपाल ने विचार किया था।

192. राज्यपाल ने जिस तीसरे पत्र पर भरोसा किया, वह 21 जून 2022 का पत्र है जिसे श्री एकनाथ शिंदे ने उपाध्यक्ष को संबोधित किया था, जिसमें कहा गया था कि श्री अजय चौधरी की नियुक्ति अवैध थी।राज्यपाल विधायिका की कार्यवाही की वैधता पर पूछताछ या राय व्यक्त नहीं कर सकता है।यह विशेष रूप से विधायिका के अधिकार क्षेत्र के भीतर या कुछ परिस्थितियों में (इस

निर्णय के पिछले खंड में चर्चा की गई) न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के भीतर है।संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति उन स्थितियों तक सीमित है जहां एक संवैधानिक प्रावधान स्पष्ट रूप से इसके लिए प्रदान करता है, या जहां संविधान को ऐसा विवेकाधिकार देने के अलावा अन्यथा नहीं माना जा सकता है।62 इसलिए, राज्यपाल को 21 जून 2022 के पत्र पर भरोसा नहीं करना चाहिए था।किसी भी मामले में, पत्र की सामग्री से यह संकेत नहीं मिलता कि तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री ठाकरे ने सदन का विश्वास खो दिया था।

ग

डी.

ई.

193. अंत में, राज्यपाल ने श्री फडणवीस और सात 'निर्दलीय' विधायकों द्वारा लिखे गए पत्रों पर भरोसा किया, जिसमें उनसे श्री ठाकरे को सदन में अपना बहुमत साबित करने का निर्देश देने का आह्वान किया गया था।सबसे पहले, श्री फडणवीस के साथ-साथ सात विधायक भी अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकते थे।उन्हें ऐसा करने से कोई नहीं रोक सका।दूसरा, कुछ विधायकों द्वारा मुख्यमंत्री को अपना बहुमत साबित करने का निर्देश देने का अनुरोध करना, अकेले, शक्ति परीक्षण का आह्वान करने के लिए एक प्रासंगिक और स्पष्ट कारण नहीं है।केवल शक्ति परीक्षण के लिए अनुरोध करने के अलावा कुछ वस्तुनिष्ठ सामग्री होनी चाहिए।वर्तमान मामले में, राज्यपाल के पास इस बात का संकेत देने के लिए कोई वस्तुनिष्ठ सामग्री नहीं थी कि मौजूदा सरकार ने सदन का विश्वास खो दिया है और उन्हें शक्ति परीक्षण का आह्वान करना चाहिए।इसलिए, इस मामले में राज्यपाल द्वारा विवेकाधिकार का प्रयोग कानून के अनुसार नहीं था।

च

जी.

194. बोम्मई (ऊपर) और नबाम रेबिया (ऊपर) पर भरोसा करते हुए याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि इस न्यायालय के पास यथास्थिति बहाल करने की शक्ति है

एच.

62 नबाम रेबिया (ऊपर)

पूर्व और नियम है कि श्री ठाकरे के मुख्यमंत्री के रूप में सरकार को बहाल किया जाना है।हालाँकि, यह तर्क इस तथ्य के लिए जिम्मेदार नहीं है कि श्री ठाकरे ने 30 जून 2022 को शक्ति परीक्षण का सामना नहीं किया और इसके बजाय अपना इस्तीफा सौंप दिया।यह न्यायालय स्वेच्छा से दिए गए इस्तीफे को रद्द नहीं कर सकता है।यदि श्री ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से परहेज किया होता, तो यह न्यायालय उनके नेतृत्व वाली सरकार को बहाल करने के उपाय पर विचार कर सकता था।29 जून 2022 के इस न्यायालय के आदेश में कहा गया है कि 30 जून 2022 को आयोजित होने वाले विश्वास मत का परिणाम याचिकाओं के इस समूह के "अंतिम परिणाम के अधीन होगा"।चूंकि विश्वास मत आयोजित नहीं किया गया था, इसलिए इन याचिकाओं के अंतिम परिणाम के अधीन होने का सवाल ही नहीं उठता है।

ग

195. याचिकाकर्ताओं का आग्रह है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के समक्ष अयोग्यता याचिकाओं के लंबित होने के परिणामस्वरूप शक्ति परीक्षण स्थगित हो जाना चाहिए था।इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।जैसा कि इस फैसले के पिछले खंड में चर्चा की गई थी, अयोग्यता याचिकाओं का लंबित होना किसी विधायक को सदन की कार्यवाही में भाग लेने से नहीं रोकता है।इसमें एक विधायक का शक्ति परीक्षण में भाग लेने का अधिकार शामिल है।यह सच है कि अयोग्यता याचिकाओं का निर्णय विधानसभा में संख्या

को बदल देगा, और अंततः शक्ति परीक्षण के परिणाम पर निर्भर करेगा।अयोग्यता याचिकाओं के निर्णय के बाद अविश्वास प्रस्ताव शुरू करने का विकल्प विधायकों के लिए खुला है। हालाँकि, यह न्यायालय अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय होने तक सदन की कार्यवाही पर रोक नहीं लगा सकता है।ऐसा करना सदन की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने के बराबर होगा।मुख्यमंत्री को शक्ति परीक्षण का सामना करने का निर्देश देने का राज्यपाल का विवेकाधिकार वस्तुनिष्ठ सामग्री पर आधारित होना चाहिए।

डी.

ई.

च

viii.श्री शिंदे को मुख्यमंत्री के रूप में आमंत्रित करने में राज्यपाल द्वारा विवेक का प्रयोग

196. याचिकाकर्ताओं ने दो आधारों पर श्री शिंदे को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने में राज्यपाल द्वारा विवेकाधिकार के प्रयोग को चुनौती दी है:पहला, श्री शिंदे की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 164 (1 बी) द्वारा वर्जित है और दूसरा, राज्यपाल ने दो प्रतिद्वंद्वी गुटों में से एक को "वास्तविक" शिवसेना के रूप में मान्यता देकर अपने अधिकार के दायरे को पार कर लिया है।इन प्रस्तुतियों को बारी-बारी से संबोधित किया जाता है।

जी.

क.श्री शिंदे की नियुक्ति संविधान ए के अनुच्छेद 164 (1 बी) द्वारा वर्जित नहीं है।

एच.

963

सुभाष देसाई बनाम राज्यपाल सचिव, महाराष्ट्र के राज्यपाल [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

197. संविधान के अनुच्छेद 164 (1 बी) को नीचे दोहराया गया है:“164. मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान।

…

(1 ख) किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद वाले राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य।

किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित जो दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ **2** के तहत उस सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य है**,** वह भी नियुक्त होने के लिए अयोग्य होगा।

खंड (1) के अधीन मंत्री अपनी अयोग्यता की तारीख से शुरू होने वाली अवधि की उस तारीख तक जिसके दिन ऐसे सदस्य के रूप में अपने पद का कार्यकाल समाप्त होगा या जहां वह किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद वाले राज्य के विधान मंडल के किसी भी सदन के लिए, ऐसी अवधि की समाप्ति से पहले, उस तारीख तक, जिस पर उसे निर्वाचित घोषित किया जाता है, जो भी पहले हो, कोई भी चुनाव लड़ता है।"

ग

डी.

(जोर दिया गया) 198।अनुच्छेद 164 (1 बी) किसी राज्य के विधायक या विधान परिषद के सदस्य (जहां कोई मौजूद हो) को मंत्री के रूप में नियुक्त होने से रोकता है यदि उन्हें दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 2 के तहत अयोग्य ठहराया गया है।बार केवल विधायिका के सदस्य को अयोग्य ठहराने पर ही काम करना शुरू करता है।अनुच्छेद 164 (1 बी) किसी सदस्य की मंत्री पद पर नियुक्ति को बाधित नहीं करता है यदि दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 2 के तहत उनकी अयोग्यता के लिए याचिका अध्यक्ष के समक्ष निर्णय के लिए लंबित है।यह अनुच्छेद 164 (1 बी) की भाषा से स्पष्ट है, जिसमें कहा गया है कि एक सदस्य जिसे दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 2 के तहत अयोग्य ठहराया जाता है, उसे भी मंत्री के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा।

ई.

च

199. दूसरे शब्दों में, अयोग्यता याचिका की मात्र स्थापना कुछ या सभी परिणामों को ट्रिगर नहीं करती है जो अयोग्यता से ही उत्पन्न होते हैं।अन्यथा अभिनिर्धारित करना सदन के किसी सदस्य के खिलाफ अयोग्यता याचिका की स्थापना और उस सदस्य की अयोग्यता के बीच के अंतर को धुंधला करना या मिटाना होगा।एक दावा कि कुछ सच है इसका मतलब यह नहीं है कि यह वास्तव में सच है।दावा को तथ्य मानने से पहले कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार स्थापित किया जाना चाहिए।जब दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के लिए याचिका अध्यक्ष के समक्ष दायर की जाती है, तो याचिका दायर करने वाला पक्ष दावा करता है कि याचिका में प्रतिवादी ने याचिका का उल्लंघन किया है।

जी.

एच.

दसवीं अनुसूची के प्रावधान।इस कथन का परीक्षण अध्यक्ष के समक्ष साक्ष्य के आधार पर किया जाना चाहिए, जो दसवीं अनुसूची के तहत एक न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करता है।इसलिए अनुच्छेद 164 (1 बी) को तभी लागू किया जाता है जब अध्यक्ष यह निर्णय देता है कि सदन के सदस्य ने दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 2 का उल्लंघन किया है।यदि अध्यक्ष को पता चलता है कि श्री शिंदे अयोग्य हैं, तो वे अनुच्छेद 164 (1 बी) में निर्दिष्ट अवधि के लिए मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के पात्र नहीं होंगे।200. याचिकाकर्ताओं ने अपने तर्क के समर्थन में राजेंद्र सिंह राणा (ऊपर) के फैसले पर भरोसा किया है।जैसा कि इस निर्णय के पिछले खंड में चर्चा की गई थी, सदन के किसी सदस्य की अयोग्यता उस तारीख से संबंधित है जिस दिन यह निर्धारित करने के उद्देश्य से निषिद्ध कार्य किया गया था कि अयोग्यता का बचाव किया गया है या नहीं।

ग

201. याचिकाकर्ताओं ने श्रीमंत बालासाहेब पाटिल (उपरोक्त) के फैसले पर भी भरोसा किया है कि श्री शिंदे की नियुक्ति अनुच्छेद 164 (1 बी) द्वारा वर्जित है।इस मामले में, कर्नाटक राज्य सरकार का गठन 2018 में कांग्रेस और जनता दल (सेक्युलर) के विधायकों के गठबंधन द्वारा किया गया था।2019 की शुरुआत में, सरकार बनाने वाले विभिन्न दलों के विधायकों के खिलाफ दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता याचिकाओं की एक श्रृंखला दायर की गई थी।उनमें से कुछ ने अपने खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर होने से तुरंत पहले या उसके तुरंत बाद अध्यक्ष को अपने इस्तीफे सौंप दिए।इस मामले का इतिहास उतार-चढ़ाव वाला रहा है।अध्यक्ष ने अंततः अन्य बातों के साथ-साथ इन विधायकों को अयोग्य घोषित करने का आदेश पारित किया।

डी.

ई.

202. अध्यक्ष के आदेश से व्यथित, अयोग्य ठहराए गए विधायकों ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस अदालत का दरवाजा खटखटाया।जिन विधायकों ने अपने इस्तीफे दिए थे, उन्होंने तर्क दिया कि अध्यक्ष के पास उनकी अयोग्यता की याचिकाओं पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि वे पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं और इसलिए वे सदन के सदस्य नहीं हैं जिन्हें अयोग्य ठहराया जा सकता है।राजेन्द्र सिंह राणा (ऊपर) पर भरोसा करते हुए, इस न्यायालय ने इस निवेदन को खारिज कर दिया और कहा कि अध्यक्ष के पास अयोग्यता याचिकाओं को निर्धारित करने का अधिकार क्षेत्र है क्योंकि अयोग्यता उस तारीख से संबंधित है जब दलबदल का गठन करने वाला अधिनियम कथित रूप से किया गया थाः

च

जी.

“93. इस प्रकार, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अयोग्यता उस तारीख से संबंधित है जब दलबदल का ऐसा कार्य होता है।त्यागपत्र देने का इस संबंध में अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।इस बिंदु पर हम ए के मामले की ओर इशारा कर सकते हैं।

एच.

965

सुभाष देसाई बनाम राज्यपाल सचिव, महाराष्ट्र के राज्यपाल [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

डी. संजीवया बनाम चुनाव न्यायाधिकरण [डी. संजीवया बनाम चुनाव न्यायाधिकरण, ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 1211], जिसमें इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है किः(AIR pp. 1213-14, पैरा 5)

“5. इसलिए, वर्तमान मामले में, अधिनियम के भाग III के संदर्भ के बिना अधिनियम की धारा 150 की अलग से व्याख्या करने की अनुमति नहीं है, जो एक लौटे उम्मीदवार के चुनाव पर सवाल उठाने के लिए तंत्र को निर्धारित करता है।जब चुनाव आयोग द्वारा किसी चुनाव याचिका को न्यायाधिकरण को भेजा जाता है और पूर्व को मामले से अवगत कराया जाता है, तो याचिका का कानून के अनुसार निपटारा किया जाना चाहिए।न्यायाधिकरण को कार्यवाही के समापन पर यह निर्णय लेना होता है कि क्या लौटे उम्मीदवार ने चुनाव में कोई भ्रष्ट आचरण किया है या नहीं और दूसरा, उसे यह तय करना होता है कि दूसरे प्रतिवादी को विधिवत निर्वाचित घोषित किया जाना चाहिए या नहीं।एक लौटा हुआ उम्मीदवार विधायिका में अपनी सीट से इस्तीफा देकर अपने खिलाफ दायर चुनाव याचिका से छुटकारा नहीं पा सकता है, चाहे उसके इस्तीफे का कारण कुछ भी हो।"

ग

डी.

इसलिए, उपरोक्त सिद्धांत को तदनुसार अपनाया जा सकता है, जिसमें इस्तीफे पर अयोग्यता का दाग वाष्पित नहीं होता है, बशर्ते कि दलबदल इस्तीफे की तारीख से पहले हुआ हो।"

(जोर दिया गया)

ई.

203. श्रीमंत बालासाहेब पाटिल (ऊपर) में निर्णय लागू हुआ।

यह सिद्धांत कि अयोग्यता उस तारीख से संबंधित है जिस पर दलबदल का कार्य होता है जिसका अर्थ है कि दसवीं अनुसूची के तहत निषिद्ध आचरण के बाद के कार्यों या घटनाओं का छूट प्रभाव नहीं होता है।दूसरे शब्दों में, बाद के कार्यों या घटनाओं का इस तरह के आचरण को ठीक करने या अभिनेता को आने वाले परिणामों से मुक्त करने का प्रभाव नहीं पड़ता है।यह राजेंद्र सिंह राणा (ऊपर) के निर्णय के अनुरूप है।इसलिए श्री शिंदे की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 164 (1 बी) द्वारा वर्जित नहीं है।

च

बी। राज्यपाल ने अपने अधिकार के दायरे को पार नहीं किया।

जी.

204. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि राज्यपाल ने श्री शिंदे को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करके अपने अधिकार के दायरे को पार कर लिया है क्योंकिः

ए। शिवसेना के अध्यक्ष श्री ठाकरे भाजपा के साथ गठबंधन में सरकार बनाने के पक्ष में नहीं थे।

एच.

966

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हालाँकि, श्री शिंदे के नेतृत्व वाला समूह इस तरह के गठबंधन के पक्ष में था।श्री शिंदे को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करके राज्यपाल ने वास्तव में उनके नेतृत्व वाले समूह को "वास्तविक" शिवसेना के रूप में मान्यता दी है; और

बी। राज्यपाल को एक गुट के ऊपर दूसरे गुट की वैधता को मान्यता देने का अधिकार नहीं है।ई. सी. आई. यह निर्धारित करने के लिए उपयुक्त प्राधिकरण है कि दोनों गुटों में से कौन सा गुट शिवसेना का गठन करता है।

205. भाजपा ने महाराष्ट्र विधानसभा में एक सौ छह उम्मीदवारों को वापस भेजा, जो सभी राजनीतिक दलों में सबसे अधिक है।इसने सदन में प्राथमिक विपक्षी दल का गठन किया।30 जून 2022 के एक पत्र द्वारा, तत्कालीन विपक्ष के नेता, श्री फडणवीस ने राज्यपाल को पत्र लिखकर दावा किया कि भाजपा के एक सौ छह विधायक श्री शिंदे के नेतृत्व में सरकार के गठन के लिए श्री एकनाथ शिंदे को अपना समर्थन देते हैं।आठ निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी श्री शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार को अपना समर्थन दिया।उसी दिन श्री शिंदे ने राज्यपाल को पत्र लिखकर सरकार बनाने के लिए बुलाने की मांग की।उनके सामने मौजूद सामग्री के आधार पर, यानी प्राप्त संचार के आधार पर, राज्यपाल ने श्री शिंदे को पद की शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया और उन्हें सात दिनों की अवधि के भीतर सदन में अपना बहुमत साबित करने का निर्देश दिया।29 जून 2022 को श्री ठाकरे के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री का पद खाली हो गया।राज्य विधानसभा में सबसे अधिक उम्मीदवार वापस करने वाली पार्टी के नेता ने पार्टी की ओर से श्री शिंदे को समर्थन दिया।इस प्रकार, राज्यपाल द्वारा 30 जून 2022 को श्री शिंदे को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने का निर्णय उचित था।

ग

डी.

ई.

च

एफ. निष्कर्ष

206. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमारे निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

ए। नबाम रेबिया (ऊपर) में निर्णय की शुद्धता को सात न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ को भेजा जाता है।

जी.

बी। यह न्यायालय पहली बार में दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के लिए याचिकाओं पर आम तौर पर निर्णय नहीं ले सकता है। तत्काल मामले में ऐसी कोई असाधारण परिस्थितियाँ नहीं हैं जो अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए इस न्यायालय द्वारा अधिकार क्षेत्र के प्रयोग की गारंटी देती हैं।स्पीकर ए

एच.

967

सुभाष देसाई बनाम राज्यपाल सचिव, महाराष्ट्र के राज्यपाल [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

अयोग्यता याचिकाओं पर उचित अवधि के भीतर निर्णय लेना चाहिए।

ग. एक विधायक को अपनी अयोग्यता के लिए किसी भी याचिका के लंबित होने की परवाह किए बिना सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है।मध्यावधि में सदन की कार्यवाही की वैधता अयोग्यता याचिकाओं के परिणाम के अधीन नहीं है;

घ. सदन में सचेतक और पार्टी के नेता की नियुक्ति विधायक दल नहीं, बल्कि राजनीतिक दल करता है।इसके अलावा, एक विशेष तरीके से मतदान करने या मतदान से दूर रहने का निर्देश राजनीतिक दल द्वारा जारी किया जाता है न कि विधायक दल द्वारा।3 जुलाई 2022 को महाराष्ट्र विधानसभा के उप सचिव द्वारा सूचित अध्यक्ष का निर्णय कानून के विपरीत है।अध्यक्ष इस संबंध में जांच करने के बाद और इस निर्णय में चर्चा किए गए सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, पार्टी के संविधान के प्रावधानों के संदर्भ में शिवसेना राजनीतिक दल द्वारा विधिवत अधिकृत सचेतक और नेता को मान्यता देंगे।

ग

डी.

ङ. अध्यक्ष और निर्वाचन आयोग को क्रमशः दसवीं अनुसूची और प्रतीक आदेश के पैराग्राफ 15 के तहत उनके समक्ष दायर याचिकाओं पर समवर्ती निर्णय लेने का अधिकार है।

ई.

च. प्रतीक आदेश के अनुच्छेद 15 के तहत याचिकाओं पर निर्णय लेते समय, निर्वाचन आयोग एक परीक्षण लागू कर सकता है जो उसके समक्ष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के लिए सबसे उपयुक्त हो।

च

छ. दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 3 को हटाने का प्रभाव यह है कि अयोग्यता की कार्यवाही का सामना कर रहे सदस्यों के लिए 'विभाजन' का बचाव अब उपलब्ध नहीं है।अध्यक्ष प्रथम दृष्टया यह निर्धारित करेगा कि दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 2 (1) के तहत अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने के उद्देश्य से राजनीतिक दल कौन है, जहां दो या दो से अधिक गुट उस राजनीतिक दल होने का दावा करते हैं।

जी.

ज. राज्यपाल ने श्री ठाकरे को सदन में अपना बहुमत साबित करने के लिए बुलाना उचित नहीं था क्योंकि उनके सामने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए वस्तुनिष्ठ सामग्री के आधार पर कारण नहीं थे कि श्री ठाकरे

एच.

सदन का विश्वास खो दिया था।हालाँकि, पूर्व की स्थिति को बहाल नहीं किया जा सकता है क्योंकि श्री ठाकरे ने शक्ति परीक्षण का सामना नहीं किया और अपना इस्तीफा दे दिया; और i.राज्यपाल ने श्री शिंदे को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना उचित समझा।

207. रिट याचिकाओं के इस समूह का निपटारा ऊपर दर्ज किए गए निष्कर्षों और निर्देशों के संदर्भ में किया जाता है।

208. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

बिभूति भूषण बोस

लिखित याचिकाओं का निपटारा किया जाता है।

ग

(सहायकः स्पूर्ति कोथा और राहुल राठी, एलसीआरए)

डी.

ई.

च

जी.

एच.